Sixteenth Lok Sabha
XI Session (31/01/2017 to 12/04/2017)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 31 जनवरी, 2017/11 माघ, 1938 (शक)

संख्या 198

अपराह्न 12.41 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.42 बजे

2. राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया।

महासचिव ने 31 जनवरी, 2017 को एक साथ समवेत् संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.42 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री जुझार सिंह; चौथी लोक सभा के सदस्य श्री पी॰ विश्वम्भरण; सातवीं और आठवीं लोक सभा की सदस्य श्रीमती किशोरी सिन्हा; ग्यारहवीं

और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री सुन्दर लाल पटवा; पांचवीं से नौवीं और बारहवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री बालासाहेब विखे पाटिल; आठवीं से दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री मनकु राम सोढ़ी; छठीं ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री सुरजीत सिंह बरनाला के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने निम्नलिखित के बारे में भी उल्लेख किया:—

(एक) 14.1.2017 को पटना के समीप गंगा नदी में एक नौका डूबने के कारण 26 व्यक्तियों की कथित तौर पर मृत्यु होने।

(दो) 19.1.2017 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक स्कूल बस की ट्रक से भिडंत होने के कारण 18 बच्चों सहित 30 व्यक्तियों की कथित मृत्यु होने तथा 50 अन्य व्यक्तियों के घायल होने।

(तीन) 21.1.2017 को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण 41 व्यक्तियों की कथित तौर पर मृत्यु होने और 65 अन्य व्यक्तियों के घायल होने।

(चार) 25.1.2017 को जम्मू और कश्मीर में गुरेज और सोनमर्ग के उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में भारी हिमस्खलन की चार घटनाओं में 11 सैनिक सहित 15 व्यक्तियों की मृत्यु होने।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.50 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 9) को प्रख्यापित कर तत्काल विधान लाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 22 दिसम्बर, 2016 को प्रख्यापित शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवां अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 8)।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 28 दिसम्बर, 2016 को प्रख्यापित मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 9)।

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 30 दिसम्बर, 2016 को प्रख्यापित विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 10)।

अपराह्न 12.51 बजे

(*लोक सभा बुधवार,* 1 *फरवरी,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—4293LS(S3)—31-01-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 1 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 (शक)

संख्या 199

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री ई॰ अहमद के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको ज्ञात है कि किसी वर्तमान सदस्य का निधन हाने की दशा में सभा में उस सदस्य के निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् उनके सम्मान में सभा पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी जाती है।

मैं पूरे दिन के लिए सभा स्थगित कर देती, किन्तु आज की बैठक वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय बजट की प्रस्तुति, जो एक संवैधानिक कर्तव्य है, के लिए माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट रूप से नियत की गई है।

इस असाधारण स्थिति के दृष्टिगत सभा वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय बजट की प्रस्तुति की कार्यवाही कर सकती है। तथापि, दिवंगत आत्मा के सम्मान में कल सभा की बैठक नहीं होगी।''

पूर्वाह्न 11.08 बजे

3. केन्द्रीय बजट 2017-2018

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2017-2018 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.57 बजे

4. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण

श्री अरुण जेटली ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

(1) बृहत्-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण;

(2) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण; और

(3) राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण।

5. सरकारी विधेयक —पुर:स्थापित

वित्त विधेयक, 2017

अपरह्न 12.58 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार,* 3 *फरवरी,* 2017 *के* *पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—4343LS(S3)—01-02-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 (शक)

संख्या 200

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

(एक) तारांकित प्रश्न संख्या 21 के मौखिक उत्तर दिए गए। सदस्य, जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं॰ 22 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। यद्यपि संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 22 का अनुपूरक प्रश्न पूछा गया। व्यवधान के कारण शेष तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर के लिए सभा में नहीं पुकारा जा सका। अत:, आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 23—40 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(दो) चूंकि गुरुवार, 2 फरवरी, 2017 के लिए निर्धारित लोक सभा की बैठक रद्द की गई है इसीलिए उस दिन के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न सं॰ 1—20 को भी अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.07 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 12.01 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2017-2018 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों पर ईंधन प्रबंध के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा, विद्युत मंत्रालय—भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2016 का प्रतिवेदन संख्यांक 35) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 23(अ), जो 12 जनवरी, 2017 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 131/2016-सी॰शु॰, (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 1173(अ), जो 27 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 1202(अ), जो 31 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 1203(अ), जो 31 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 1204(अ), जो 31 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 1205(अ), जो 31 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 53/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 1206(अ), जो 31 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का॰आ॰ 3450(अ), जो 15 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) अधिसूचना संख्या 138/2016-सी॰शु॰(एन॰टी॰), जो 17 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना संख्या 143/2016-सी॰शु॰(एन॰टी॰), जो 29 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या 138/2016-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 3593(अ), जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या 145/2016–सी॰शु॰(एन॰टी॰), जो 1 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) अधिसूचना संख्या 147/2016–सी॰शु॰(एन॰टी॰), जो 15 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का॰आ॰ 4054(अ), जो 15 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 4226(अ), जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) अधिसूचना स॰ 1/2017–सी॰शु॰(एन॰टी॰), जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का॰आ॰ 122(अ), जो 13 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) अधिसूचना सं॰ 5/2017–सी॰शु॰(एन॰टी॰), जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के

निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आयकर (28वां संशोधन) नियम, 2016, जो 17 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 982(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां तथा कर का अधिरोपण) (संशोधन) नियम, 2016, जो 28 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1180(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2016, जो 16 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2979(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (33वां संशोधन) नियम, 2016, जो 28 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3573(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था नियम, 2016, जो 16 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 4059(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 4060(अ), जो 16 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था नियम, 2016 के अंतर्गत कथन दायर करने के प्रयोजनार्थ यथास्थिति, प्रधानायुक्त या आयुक्त या आयकर आयुक्त, केन्द्रीयकृत संसाधन केन्द्र, बंगलुरू को अधिसूचित किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (35वां संशोधन) नियम, 2016, जो 21 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 4110(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (36वां संशोधन) नियम, 2016, जो 27 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 4168(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेवाओं के उपबंध का स्थान (दूसरा संशोधन) नियम, 2016, जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1102(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर (पांचवा संशोधन) नियम, 2016, जो 19 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1155(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 24(अ) जो 12 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवा कर (संशोधन) नियम, 2017, जो 12 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 25(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 26(अ) जो 12 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 27(अ) जो 12 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 10(अ) जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 2/2011-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 22(अ) जो 11 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 49(अ) जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय में चीन जनवादी गणराज्य, चाईनीज ताईपे, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'नायलोन फिलामेंट यार्न' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को एक और वर्ष की अवधि अर्थात् 12 जनवरी, 2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 50(अ) जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जिनका प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सैकरीन के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को एक और वर्ष की अवधि अर्थात् 12 जनवरी, 2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 1090(अ) जो 25 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में ऑस्ट्रेलिया और चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित लो एश मैटलर्जिकल कोक पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 1101(अ) जो 29 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''ट्रेलर्स के लिए एक्सल'' के

आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए विहित रीति से निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 1163(अ) जो 21 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 3 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 34/2012-सी॰शु॰ (एडीडी) को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 1164(अ) जो 21 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 08/2013-सी॰शु॰ (एडीडी) को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 11(अ) जो 05 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बंगलादेश या नेपाल से जूट उत्पादों अर्थात् जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हेसेन फैब्रिक तथा जूट सैकिंग बैगों के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 21(अ) जो 11 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के प्रारंभिक निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित मिश्र धातु अथवा गैर-मिश्र धातु के विनिर्दिष्ट कलर कोटिड/प्रीपेंटेड फ्लैट प्रोडक्ट्स के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए विहित रीति से अतंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन—

(एक) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

(दो) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर

(10) (एक) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) खाद्य और मानक (स्वास्थ्य सम्पूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए खाद्य, कार्यात्मक खाद्य और नवीन खाद्य) विनियम, 2016, जो 26 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-4/ न्यूट्रास्यूटिकल्स/ एफएसएसएआई-2013 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों के लिए कारबार का संव्यवहार और प्रक्रिया) विनियम, 2016 जो 6 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिूसचना संख्या एफ सं॰ एफ॰ 1-63/ एफएसएसएआई/टीआर॰ बिज़नेस एससी एंड एसपी/रंग/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योगज) 12वां संशोधन विनियम, 2016, जो 16 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 1-11(1)/मानक/एसपी(जल और पेय) एफएसएसएआई-2015 में प्रकाशित हुए थे।

(13) चार्टेड एकाउंटेड अधिनियम, 1949 की धारा 30ख, लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 22क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 22क के अंतर्गत अधिूसचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1130(अ), जो 13 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 3 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 835 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) वर्ष 2017-2018 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 17 अप्रैल, 2016 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 16वीं लोक सभा के 10वें सत्र के दौरान संसद के दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयक सभा पटल पर रखेः—

(1) कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016;

(2) निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016;

(3) विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2016; और

(4) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2016

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने कार्य मंत्रणा समिति का 38वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 16वां, 17वां और 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.05 बजे

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 6 फरवरी, 2017 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.12 बजे

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कामराजार बंदगाह से कुछ दूरी पर जलयानों की टक्कर के पश्चात् की गई कार्यवाही के बारे में एक वक्तव्य दिया।

9. राष्ट्रीय जूट बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा 4 के खंड (ख) और उप-धारा (5) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.18 बजे

10. सरकारी विधेयक—वापस लिया गया

मजदूरी संदाय संशोधन विधेयक, 2016

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2016 को वापस लिए जाने के लिए सभा की अनुमति चाही।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2016 को वापस लिए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक वापस लिया गया।

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थपित

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017

अपराह्न 12.25 बजे

12. अध्यादेश के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा गया

विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 10) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रख गया।

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) विधेयक, 2017

श्री अरुण जेटली ने विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) विधेयक, 2017 को पुर:स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति चाही।

प्रो॰ सौगत राय ने विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का विरोध किया।

वित्त मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.36 बजे

14. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

का॰मं॰स॰ द्वारा आबंटित समय	:	8 घंटे
लिया गया समय	:	02 मिनट
शेष	:	7 घंटे 58 मिनट

डॉ॰ महेश शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2017 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(*व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न* 12.38 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 1.01 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 1.03 बजे

(*निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा सोमवार,* 06 *फरवरी,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—4396LS(S3)—03-02-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 6 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 (शक)

संख्या 201

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 1 फरवरी, 2017 को ओडिशा के कोरापुट जिले में हुए लैंडमाइन विस्फोट में ओडिशा राज्य सशस्त्र पुलिस के आठ कार्मिकों के शहीद होने और पांच अन्य के घायल होने के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 2 फरवरी, 2017 को झारखंड को गोड्डा जिले में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के एक कोयला खदान के ढहने के कारण 17 व्यक्तियों की कथित मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 और 42 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(*सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न* 11.05 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुनः समवेत हुई*।)

तारांकित प्रश्न संख्या 43 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461—559 और 561—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) जैम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जैम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा 3 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2665(अ) जो 9 अगस्त, 2016 के भारत के रापजत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 में उल्लिखित धाराओं में अंतर्विष्ट अपराधों को अधिनियम के अधीन अपराधों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 2666(अ) जो 9 अगस्त, 2016 के भारत के रापजत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962के अधीन अपराधों के लिए अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय को और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन अपराधों के लिए अपर महानिदेशक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय को विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित अपराध अथवा कारित अपराधों या कारित होने वाले अपराधों के संबंध में प्रवर्तन अधिकारी (यों) के रूप में अधिकृत किया गया है। प्रवर्तन अधिकारी लिखित में रिकार्ड किए

जाने वाले कारणों से विशेष आर्थिक जोन अथवा यूनिट में अन्वेषण, निरीक्षण, तलाशी या समापहरण कर सकेंगे और अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (3) के अधीन शुरू की गई किसी कार्यवाही के ब्यौरे की सूचना वाणिज्य विभाग में विशेष आर्थिक जोन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव को तत्काल और हरहाल में कोई कार्यवाही आरंभ किए जाने के 7 दिन पश्चात् देंगे।

(तीन) का॰आ॰ 2667(अ) जो 9 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम,1962 के अधीन अपराधों के संबंध में अधिकारिता सीमा शुल्क आयुक्त को और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत तथा लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित अपराधों के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को संबंधित विकास आयुक्त को पूर्व सूचना देकर विशेष आर्थिक जोन अथवा यूनिट में अन्वेषण, निरीक्षण, तलाशी या समापहरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(4) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 के अधीन जारी चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2016 जो 4 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 21(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आॅर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आॅर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) खुदा बक्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) खुदा बक्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो वितरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) डोनी पोलो अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, इटानगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोनी पोलो अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, इटानगर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) उत्कल अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पूरी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पूरी के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) मध्य प्रदेश अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) कुमारकरूपा फारंटियर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमारकरूपा फारंटियर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) रांची अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) पंजाब अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड़, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड़, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षण की टिप्पणियां।

(झ) (एक) असम अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड़, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड़, गुवाहट़ी के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षण की टिप्पणियां।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे—

(एक) डॉ॰ अम्बेडकर इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रीशन, चंडीगढ़।

(दो) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम।

(तीन) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रीशन, पूसा।

(चार) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रीशन, लखनऊ।

(पाँच) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रीशन, शिमला।

(छह) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, मुंबई।

(सात) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, भोपाल।

(आठ) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, ग्वालियर।

(नौ) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रीशन (सोसायटी), गुरदासपुर।

(दस) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन (कलकत्ता) सोसायटी, कोलकाता।

(ग्यारह) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रीशन, शिलांग।

(बारह) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, चेन्नई।

(तेरह) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, हाजीपुर।

(चौदह) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, जयपुर।

(पन्द्रह) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गुवाहाटी।

(सोलह) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, भुवनेश्वर।

(सत्रह) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, हैदराबाद।

(अठारह) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, श्रीनगर।

(उन्नीस) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, अहमदाबाद।

(बीस) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गोवा।

(इक्कीस) इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, बैंगलोर।

(बाईस) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी नोएडा।

(तेईस) इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर।

(28) ऊपर उल्लिखित 23 संस्थानों के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त मद संख्या (23) और (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2017-18 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 38 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष

(संशोधन) नियम, 2016, जो 27 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 918(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अंडमान और निकोबार दीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार दीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(33) (एक) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2017-2018 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(40) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, पटना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, पटना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, पटना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) असम यूनिवर्सिटी, सिल्चर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम यूनिवर्सिटी, सिल्चर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) असम यूनिवर्सिटी, सिल्चर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) द इंग्लिश एंड फोरन लैंगवेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) द इंग्लिश एंड फोरन लैंगवेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) द इंग्लिश एंड फोरन लैंगवेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) द यूनिवर्सिटी आफ हैदराबाद , हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) द यूनिवर्सिटी आफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) द यूनिवर्सिटी आफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफारमेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ सीयूएसबी/परिनियम/संशोधन/2016, जो 17 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा

स्कूल ऑफ स्टडीज की स्थापना और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कुलपति के लिए दूसरा कार्यकाल संबंधी उपबंध से संबंधित क्रमश: केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 15 और परिनियम संख्या 2 (4) में संशोधन को अनुमोदित किया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ सीयूएसबी/पहला अध्यादेश/2016, जो 17 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पहला अध्यादेश अंतर्विष्ट है।

(तीन) अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ 144/पंजीयक/2012, जो 12 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के परिनियम सं॰ 11 और 13 में संशोधन किया गया है।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबधित 'भारत में निर्यात अवसंरचना' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 123वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगी।

6. प्रस्ताव

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि यह सभा 3 फरवरी, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 38वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. **नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री राहुल कास्वां द्वारा राजस्थान में सुजानगढ़-रतनगढ़ रेल खंड पर छापर में मानवयुक्त क्रॉसिंग को यथावत रखने और आबसर में एक रेल अंडर ब्रिज के निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कालपी नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के एक भाग के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ॰ बंशीलाल महतो द्वारा छत्तीसगढ़ में पात्र जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(4) श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा प्रीमियम रेल सेवाओं के किरायों में बढ़ोतरी को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात में प्रताप नगर (बड़ौदा) से जम्बूसर तक मीटर लाइन को बदले जाने की आवश्यकता और राज्य में जम्बूसर से भरूच तक एक नई रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा आग लगने की घटनाओं के दौरान बेहतर और शीघ्र समन्वित प्रतिक्रिया के लिए अग्निशमन विभाग, एम्बुलेंस सेवा और पुलिस विभाग के लिए एक समेकित प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री हरीश मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्यालयों में समुचित कक्षा कक्षों के निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा अखण्ड भारत की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए लोगों की सूची जारी करना और दिल्ली में उनके सम्मान में एक 'शहीद गेट' का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री नाना पटोले द्वारा महाराष्ट्र में गोवारी समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में घटिया स्तर के बीजों, नकली उर्वरकों और कीटनाशकों की बिक्री को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री बिष्णु पद राय द्वारा चेन्नै और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने परियोजना के लिए टेंडर जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा मराठी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(13) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में जनजातीय युवाओं के लिए कौशल विकास केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री नलीन कुमार कटील द्वारा कर्नाटक में वर्ष में एक बार होने वाली भैसों की पारम्परिक दौड़ काम्बला को अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा पूरे देश में दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए एक समान गणित का प्रश्न पत्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एम॰ आई॰ शनवास द्वारा यमन में बंधक बनाए गए केरल के एक पुजारी को शीघ्र छुड़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) प्रो॰ सौगत राय द्वारा विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में।

(18) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजा राममोहन राय कॉलेज में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए एक कोचिंग और गाइडेंस केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए केन्द्रीय बलों की तैनाती के लिए प्रभारों को माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री एम॰ मुरली मोहन द्वारा आन्ध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने संबंधी आश्वासनों को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी द्वारा आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले में लोगों को हो रही गुर्दे की गंभीर बीमारी के बारे में।

(22) श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में तुलु भाषा को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना को चुस्त-दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.04 बजे

8. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय: 8 घंटे 59 मिनट

डॉ॰ महेश शर्मा द्वारा 3 फरवरी, 2017 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार जारी रहा:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:— कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 31 जनवरी, 2017 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।''

उन्होने अपना भाषण जारी रखा।

श्री वीरेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन किया और अपनी बात रखी।

अपराहन 1.43 बजे

तत्पश्चात् अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की—

''माननीय सदस्यगण धन्यवाद प्रस्ताव पर जिनके संशोधनों को परिचालित किया गया है, यदि वे अपने संशोधनों को पेश करना चाहते है, तो वे 15 मिनट के भीतर पेश किए जाने वाले अपने संशोधनों की क्रम सं॰ का उल्लेख करते हुए पर्ची सभा पटल पर भेजें। निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हुए पर्चियों वाले संशोधनों को ही पेश किया हुआ माना जाएगा।

उसके ठीक थोड़ी देर बाद पेश किया गया माने गए संशोधनों की क्रम सं॰ दर्शाने वाली सूची सूचना पटल पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई खामी लगती है तो वे कृपया तुरंत ही पटल अधिकारियों को सूचित करें।''

एक सौ नवासी (1-94, 98-115, 133-183, 192-196, 201-208, 267-268, 380-390) संशोधन पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री आनंदराव अडसुल
6. श्री थोटा नरसिम्हन

*7. श्री अजय मिश्र (टेनी)

*8. श्री नारनभाई काछड़िया

*9. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

*10. श्री रामचंद्रन मुल्लापल्ली

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*11. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*12. श्री मोहम्मद सलीम

*13. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*14. श्री शरद त्रिपाठी

*15. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू

*16. श्री रामेश्वर तेली

*17. डॉ॰ सुनील गायकवाड़

*18. श्री गणेश सिंह

*19. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावित

*20. श्री एे॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

*21. श्रीमती रंजनबेन भट्ट

*22. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

*23. श्री शंकर प्रसाद दत्ता

*24. श्री गौरव गोगोई

*25. प्रो॰ रिचर्ड हे

*26. श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी

*27. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी

*28. श्री बिद्युत बरण महतो

*29. श्रीमती कमला देवी पाटले

*30. श्री पशुपति नाथ सिंह

*31. श्री तारिक अनवर

*32. श्रीमती रीती पाठक

*33. डॉ॰ ए॰ संपत

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

34. श्री जयप्रकाश नारायण यादव

*35. श्री (एडवोकेट) जोएस जार्ज

*36. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

37. श्री भगवंत मान

*38. कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल

39. श्री जोस के॰ मणि

*40. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

*41. श्री नित्यानंद राय

*42. श्री जितेन्द्र चौधरी

43. श्री कल्याण बनर्जी

*44. श्री पी॰ के॰ बीजू

*45. श्री मो॰ बदरूद्दोजा खान

46. श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया

*47. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

*48. डॉ॰ थोकचोम मेन्या

*49. श्री राकेश सिंह

*50. कुमारी शोभा कारांदलाजे

*51. श्री पी॰ करुणाकरन

52. श्री प्रहलाद वी॰ जोशी

*53. श्रीमती गीता कोतापल्ली

*54. श्री बी॰ एन॰ चंद्रप्पा

55. श्री दुष्यंत चौटाला

56. श्री कौशलेंद्र कुमार

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

57. श्री मनोज तिवारी

*58. श्रीमती ज्योति धुर्वे

59. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर

60. श्री ओम बिरला

61. श्री एन॰ के॰ प्रेमचंद्रन

62. श्री के॰ हरिबाबू

63. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

64. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील

65. श्री तथागत सत्पथी

66. श्री जुगल किशोर शर्मा

*67. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

68. श्री रवीन्द्र राय

69. श्रीमती पी॰ के॰ श्रीमथि टीचर

70. श्री रमेश कौशिक

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 9.01 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 7 फरवरी, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—4473LS(S3)—06-02-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 7 फरवरी, 2017/18 माघ, 1938 (शक)

संख्या 202

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 (71 के साथ मिलाकर) और 62—64 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 65—70 और 72—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2017-2018 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड I)।

(दो) वर्ष 2017-2018 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड II) (संघ राज्यक्षेत्र)।

(2) वर्ष 2017-2018 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2017-2018 के लिए आयुष मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बैंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) वर्ष 2017–2018 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम् के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम् का वर्ष 2015–2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा इन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम् के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरूवनंतपुरम् का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा इन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा इन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, परनेम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, परनेम का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) वर्ष 2017-2018 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) वर्ष 2017-2018 के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

तेरहवीं लोक सभा

1.	विवरण संख्या 36	ग्यारहवां सत्र, 2002

चौदहवीं लोक सभा

2.	विवरण संख्या 32	पांचवा सत्र, 2005
3.	विवरण संख्या 35	छठा सत्र, 2005

पंद्रहवीं लोक सभा

4.	विवरण संख्या 29	दूसरा सत्र, 2009
5.	विवरण संख्या 24	पांचवां सत्र, 2010
6.	विवरण संख्या 23	छठा सत्र, 2010
7.	विवरण संख्या 21	सातवां सत्र, 2011
8.	विवरण संख्या 21	आठवां सत्र, 2011
9.	विवरण संख्या 20	नौवां सत्र, 2011
10.	विवरण संख्या 19	दसवां सत्र, 2012
11.	विवरण संख्या 17	ग्यारहवां सत्र, 2012
12.	विवरण संख्या 16	बारहवां सत्र, 2012
13.	विवरण संख्या 15	तेरहवां सत्र, 2013
14.	विवरण संख्या 13	चौदहवां सत्र, 2013
15.	विवरण संख्या 11	पन्द्रहवां सत्र, 2013-2014

सोलहवीं लोक सभा

16.	विवरण संख्या 10	दूसरा सत्र, 2014
17.	विवरण संख्या 9	तीसरा सत्र, 2014

18.	विवरण संख्या 8	चौथा सत्र, 2015
19.	विवरण संख्या 6	पांचवां सत्र, 2015
20.	विवरण संख्या 5	छठा सत्र, 2015
21.	विवरण संख्या 3	सातवां सत्र, 2016
22.	विवरण संख्या 3	आठवां सत्र, 2016
23.	विवरण संख्या 2	नौवां सत्र, 2016

(27) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर कॉपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर कॉपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर कॉपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन चिरोंजी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2016, जो 19 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1154(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अधीन नागरिकता (संशोधन) नियम, 2016, जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1168(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 4132 जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आवेदन शुल्क की राशि घटाए जाने तथा जिलाधिकारियों की अनुपस्थिति में उप जिलाधिकारियों को आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यनिष्ठा की शपथ स्वीकार करने की

शक्तियां प्रत्यायोजित किए जाने और नागरिकता की प्रोसेसिंग और उसे प्रदान किए जाने के लिए 16 जिले और 7 राज्यों के जिला कलेक्टरों और शेष जिले के लिए राज्य सरकारों को 2 वर्ष की अवधि के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित किए जाने के आदेश के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) विदेशी विषयक आदेश, 1948 के खण्ड 2 के उप-खण्ड (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० का०आ० 3436(अ) जो 11 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 नवम्बर 2010 की पूर्व अधिसूचना सं० का०आ० 2851(अ) के अधिक्रमण में मुख्य आव्रजन अधिकारी, हरिदासपुर को दिनांक 15.11.2016 से पश्चिम बंगाल राज्य में नार्थ 24 परगना जिले के अंतर्गत हरिदासपुर में अवस्थित आव्रजन चेक पोस्ट की अधिकारिता के लिए विदेशी विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) विदेशी विषयक आदेश, 1948 के खण्ड 2 के उप-खण्ड (2) तथा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 के नियम 3 के उप-नियम (ख) के अधीन जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का०आ० 4190(अ) जो 28 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर मिजोरम राज्य में नालबस्ती, लोंगतलाई जिले को बीजीबी टुकड़ियों/श्रमिकों के लिए वैध यात्रा दस्तावेज के साथ भारत में प्रवेश/से निकास के लिए अस्थायी तौर पर एक वर्ष के लिए अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट अभिहित किया गया है।

(दो) का०आ० 4191(अ) जो 28 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1.1.2017 से मिजोरम सरकार की अधिकारिता में, नालबस्ती, लोंगतलाई जिले में अवस्थित आव्रजन चेक पोस्ट के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मिजोरम को 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है।

(तीन) का०आ० 4192(अ) जो 28 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर मिजोरम राज्य में सिलकोर (सिलगुर), लुंगई जिले को बीजीबी टुकड़ियों/श्रमिकों के लिए वैध यात्रा दस्तावेज के साथ भारत में प्रवेश/से निकास के लिए अस्थायी तौर पर एक वर्ष के लिए अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट अभिहित किया गया है।

(चार) का॰आ॰ 4193(अ) जो 28 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1.1.2017 से मिजोरम सरकार की अधिकारिता में, सिलकोर (सिलगुर), लुंगलई जिले में अवस्थित आव्रजन चेक पोस्ट के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ विदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मिजोरम को 'सिविल प्राधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है।

(34) (एक) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रकशन कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बैंगलोर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएमटी लिमिटेड, बैंगलोर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालाकाड के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालाकाड का वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(45) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत ओषधि (मूल्य नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2016, जो 21 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 4100 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) वर्ष 2017-2018 के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पिनाकी मिश्र ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में दसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

(2) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

5. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 84वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 88वां प्रतिवेदन।

(2) कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 85वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 89वां प्रतिवेदन।

6. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2017 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2017 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2017 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री शान्ता कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2017 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री शान्ता कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2017 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2017 से शुरू होने वाली और

30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2017 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.10 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निर्देशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में नदियों पर बांध बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती रक्षाताई खाड़से द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन पर पुन: विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उदयपुर-सोम-देय वाया झाड़ोल से गुजरात सीमा तक प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 ई का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा पूलगांव-आर्वी-आमला रेल लाइन का आमान परिवर्तन का अनुमोदन एवं इस परियोजना हेतु निधियां भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 12.14 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(5) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के पूर्वी चम्पारण के घोड़ासहन प्रखंड के अंतर्गत बगही भेलवा ग्राम को गांधी सर्किट में शामिल किए जाने तथा इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री बोध सिंह भगत द्वारा मध्य प्रदेश की 'कोहरी' जाति को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री डी॰ एस॰ राठौड़ द्वारा रेलवे प्लेटफार्म टिकट के मूल्य में हुई बढ़ोतरी को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री लखन लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में रतनपुर स्थित महामाया मन्दिर का विकास किए जाने तथा मन्दिर आने वाले तीर्थ यात्रियों हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं को यथोचित पारिश्रमिक उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम-चौधरी द्वारा राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं पर्यटन महत्व के स्थलों को स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना में शामिल किए जाने एवं इनका विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जुगसलाई में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ भागीरथ प्रसाद द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की स्मृति में ग्वालियर से कालपी तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा औरंगाबाद में दाउदनगर और नासरीगंज के बीच सोन नदी पर पुल के निर्माण के लिए जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश में झांसी मंडल के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर पानी की बोतलों की अत्यधिक मूल्य पर बिक्री पर रोक लगाए जाने एवं इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ थोकचोम मेन्या द्वारा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बॉक्सर को सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों के बैंक खातों के माध्यम से राजसहायता की धनराशि का संवितरण किए जाने के बारे में।

(18) श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा नारियल और सुपारी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री नगेन्द्र कुमार प्रधान द्वारा ओडिशा थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड को टेन्टुलाटी कोल ब्लॉक का आवंटन किए जाने के बारे में।

(20) श्री पी॰के॰ बिजू द्वारा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ॰ के॰आर॰ नारायणन के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने के बारे में।

(21) श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा मुंगेर रेलवे स्टेशन पर जारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता को विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किए जाने तथा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में राजगीर का विकास अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल के कोल्लम में स्थित एडापल्लीकोटा में एचपीसीएल के स्वामित्व वाली भूमि का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.15 बजे

8. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय : 10 घंटे 38 मिनट

डॉ॰ महेश शर्मा द्वारा 3 फरवरी, 2017 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार जारी रहा:—

''कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2017 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं'।''

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

1. श्री हरि मांझी
2. श्री विनोद चावड़ा
3. श्रीमती रंजीत रंजन
4. श्री सुनील कुमार सिंह
5. डॉ॰ कुलमणि सामल
6. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा
7. श्री सी॰पी॰ जोशी
8. श्री डी॰के॰ सुरेश
9. श्री लखन लाल साहू
10. श्रीमती रक्षाताई निखिल खड़से
11. श्रीमती संतोष अहलावत
12. डॉ॰ भारतीबेन धीरूभाई श्याल
13. श्री रोड़मल नागर
14. श्री आलोक संजर
15. श्रीमती अंजू बाला
16. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
17. श्रीमती सुप्रिया सुले
18. श्री देवजी एम॰ पटेल
19. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
20. श्री रामचरण बोहरा
21. डॉ॰ (प्रो॰) किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी
22. श्रीमती रमा देवी
23. श्रीमती पूनमबेन माडम
24. श्री राहुल कस्वां
25. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा

26. डॉ॰ वारा प्रसादराव वेलगापल्ली
27. श्री राम कुमार शर्मा
28. श्री विष्णु दयाल राम
29. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह

श्री नरेन्द्र मोदी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी संशोधनों पर मतदान हुआ और अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 1.54 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.05 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 3.05 बजे

#9. सांविधिक संकल्प

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

लिया गया समय : 1 घंटा 32 मिनट

"कि यह सभा 28 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।"

चर्चा के पश्चात् नीचे के पैरा 10 में यथा उल्लिखित संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

#10. सरकारी विधेयक—पारित

मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017

श्री बंडारु दत्तात्रेय द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखें उपर्युक्त पैरा 9) और विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया।

#एक साथ चर्चा की गई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. श्री दुष्यंत चौटाला
4. डॉ॰ तपस मंडल
5. डॉ॰ रवीन्द्र बाबू पंडूला
6. डॉ॰ कुलमणि सामल
7. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
8. डॉ॰ वारा प्रसादराव वेलगापल्ली
9. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
10. डॉ॰ संजय जायसवाल
11. कु॰ सुष्मिता देव
12. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव

श्री बंडारु दत्तात्रेय ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधयेक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री बंडारु दत्तात्रेय द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.37 बजे

$11. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय: 4 घंटे 13 मिनट

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

$एक साथ चर्चा की गई।

''कि यह सभा 30 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 10) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात् नीचे के पैरा 12 में संकल्प अस्वीकृत हुआ।

$12. सरकारी विधेयक—पारित

विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) विधेयक, 2017

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखें उपर्युक्त पैरा 11) और विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
2. डॉ॰ शशि थरुर
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री एम॰ श्रीनिवास राव (अवंती)
5. डॉ॰ ए॰ संपत
6. श्री वाई॰ वी॰ सुब्बारेड्डी
7. श्रीमती सुप्रिया सुले
8. श्रीमती रंजीत रंजन
9. श्री जगदंबिका पाल
10. श्री कौशलेन्द्र कुमार
11. श्री जोस के॰ मणि
12. श्री दुष्यंत चौटाला
13. श्री गौरव गोगोई
14. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
15. श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज

$एक साथ चर्चा की गई।

श्री अरुण जेटली ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधयेक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 से 13 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 8.50 बजे

(लोक सभा बुधवार, 8 फरवरी, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

दिनांक 6.02.2017 के समाचार भाग-1

संख्या 201 का

शुद्धिपत्र

पृष्ठ 20, क्रम संख्या 70, श्री रमेश कौशिक के पश्चात् क्रम सं॰ 71. 'श्री अश्विनी कुमार चौबे' जोड़ा जाए।

GMGIPMRND—4503LS(S3)—07-02-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 8 फरवरी, 2017/19 माघ, 1938 (शक)

संख्या 203

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

जिन सदस्यों के नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 81—85 सूचीबद्ध थे, वे अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्रियों ने प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 81—83 और 85 के पूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 86 का मौखिक उत्तर दिया गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 84 और 87—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2017-2018 के लिए वित्त मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2017-18 के लिए शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2017-2018 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2017-2018 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वर्ष 2017-2018 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वर्ष 2017-2018 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2017-2018 के लिए अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2017-2018 के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सर्तकता आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2017-2018 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 2017 जो 20 जनवरी, 2017

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 59(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) केन्द्रीय भंडार नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भंडार नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) वर्ष 2017-2018 के लिए संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वर्ष 2017-2018 के लिए डाक मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(14) वर्ष 2017-2018 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(15) (एक) रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अधीन रेल यात्री सेवा अभिकर्ता (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 16 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰का॰आ॰ 4055(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) वर्ष 2017-2018 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) वर्ष 2017-2018 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) वर्ष 2017-2018 के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) भारतीय विधि आयोग का प्रतिवेदन संख्या 263 — बालकों का संरक्षण (अंतर्देशी बर्खास्तगी और प्रतिधारण) विधेयक, 2016 — अक्तूबर, 2016 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(24) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) सेंटर फॉर मैटरियल्स फॉर इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मैटरियल्स फॉर इलेक्ट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंफारमेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंफारमेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी॰ करूणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 7वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नियोजन में आरक्षण और कल्याणकारी उपायों' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के

कल्याण संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेन डेका ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 197वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 199वां प्रतिवेदन।

(2) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 196वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 200वां प्रतिवेदन।

7. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुमेधानन्द सरस्वती ने 'भारत में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के समक्ष मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 284वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

कुमारी अर्पिता घोष ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 'मोटर-यान (संशोधन) विधेयक, 2016' के बारे में 243वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित 'लंबित परियोजनाओं' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.09 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के एकमा और महाराजगंज रेलवे स्टेशनों का स्तरोन्नयन कर आदर्श रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड के सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में निजी सुरक्षा गार्डों की सेवाएं लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अजय मिश्रा 'टेनी' द्वारा उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को और्गेनिक और पॉली हाऊस खेती के संबंध में जानकारी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू-कश्मीर के जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित सांबा और विजयपुर में रेलवे समपारों पर रेलवे ऊपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदियों को साफ और संरक्षित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ उदित राज द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थानों में फैकल्टी के पदों में आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रोड़मल नागर द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्रभावशाली ढंग से प्रदान करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात में क्षेत्रीय कपास अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान में सरिस्का, रणथम्भौर और मुकुंदरा हिल्स के बाघ अभयारण्य क्षेत्रों से पुनर्वासित होने वाले परिवारों के लिए प्रतिकर पैकेज बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड में विशेषकर इसके पलामू और गढ़वा जिले में बार-बार बारिश और बाढ़ के कारण होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री गोकाराजू गंगा राजू द्वारा आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों के किनारे टाइड-ब्रेकर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात के पालनपुर और मेहसाणा में रेल सम्पर्क बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा मध्य प्रदेश की नर्मदा-माही नदियों को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती रीती पाठक द्वारा महानगरों में अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के जान-माल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल की दूरसंचार सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिकों की समस्याओं का निराकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल द्वारा आन्ध्र प्रदेश के पालर नदी पर चेक डैम के बारे में।

(18) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा पश्चिम बंगाल के बैरकपुर/ईशापुर में सीजीएचएस स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के डिजिटल कार्यान्वयन हेतु अवसंरचना सृजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा आन्ध्र प्रदेश के उड्डानम में लम्बे समय से चल रही गुर्दे की बीमारी के फैलने के बारे में।

(21) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा उत्तर-पूर्व राज्यों में नई रेलगाड़ियां चलाए जाने के बारे में।

(22) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा देश में 'आशा' कार्यकर्ताओं की समस्याओं के बारे में।

(23) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा बिहार के रोहतास जिले में भालुनी भवानी मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किए जाने और वहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को पर्याप्त सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.10 बजे

11. केन्द्रीय बजट 2017-18

आवंटित समय : 8 घंटे
लिया गया समय : 6 घंटे 51 मिनट
शेष : 1 घंटा 9 मिनट

वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा प्रारंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ वीरप्पा मोइली
2. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
3. प्रो॰ सौगत राय
4. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह
5. श्री जैदेव गल्ला
6. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
7. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
8. श्री पी॰ करूणाकरन
9. श्री मिदून रेड्डी
10. श्री धनंजय महाडीक
11. श्री शरद त्रिपाठी
12. श्री मोहम्मद असरारुल हक
13. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
14. श्री एच॰डी॰ देवगौड़ा

15. श्री सुरेश सी॰ अंगड़ी
*16. श्री नारणभाई काछड़िया
*17. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर
*18. श्रीमती सुप्रिया सदानन्द सुले
*19. श्रीमती गीता कोथापल्ली
*20. श्री नलिन कुमार कटील
*21. प्रो॰ रिचर्ड हे
22. श्री चिराग पासवान
*23. श्री चिन्तामणि मालवीय
24. श्री अजय मिश्रा (टेनी)
*25. श्री बी॰एन॰ चंद्रप्पा
*26. श्री संजय धोत्रे
*27. श्री आर॰ ध्रुवनारायण
*28. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
29. श्री राम कुमार शर्मा
30. श्री गणेश सिंह
*31. श्रीमती रंजनबेन भट्ट
*32. श्रीमती वीणा देवी
*33. श्री आलोक संजर
*34. श्री रोड़मल नागर
35. श्री सिराजुद्दीन अजमल
36. श्री निहाल चंद चौहान
*37. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा
*38. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*39. श्री प्रकाश बा॰ हुक्केरी

40. श्री संतोष कुमार

*41. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

*42. श्रीमती रेणुका बुत्ता

43. डॉ॰ (प्रो॰) किरिट प्रेमजी भाई सोलंकी

*44. श्री रामसिंह राठवा

*45. श्री रामेश्वर तेली

*46. श्री रमेन डेका

*47. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़

48. श्री नेफिउ रिओ

49. श्री सुमेधानन्द सरस्वती

*50. श्री मो॰ बदरुद्दोजा खान

51. श्री राजेश रंजन **उर्फ** पप्पू यादव

*52. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

53. श्री रत्न लाल कटारिया

54. श्री एन॰के॰ प्रेमचंद्रन

*55. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

56. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

*57. श्री पी॰ के॰ बीजू

58. श्री प्रेम दास राई

*59. श्री सी॰के॰ संगमा

*60. डॉ॰ ए॰ संपत

61. प्रो॰ चिंतामणि मालवीय

62. श्रीमती रंजीत रंजन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

63. श्री चंदू लाल साहू

64. श्री भगवंत मान

65. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

66. श्री छोटेलाल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

$12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने कार्य मंत्रणा समिति का 39वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सांय 7.04 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 9 फरवरी, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

$अपराह्न 5.46 बजे।

GMGIPMRND—4519LS(S3)—08-02-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 9 फरवरी, 2017/20 माघ, 1938 (शक)

संख्या 204

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 7 फरवरी, 2017 को अफगानिस्तान में उच्चतम न्यायालय परिसर के बाहर हुए आतंकवादी हमले के कारण लगभग 20 लोगों के मारे जाने का उल्लेख किया।

उन्होंने अफगारिस्तान में हाल में हुए हिमस्खलन के कारण 100 से अधिक लोगों के मारे जाने तथा संपत्ति को हुए नुकसान का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रही।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 (109 के साथ मिलाकर) का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.11 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 102, 103 और 105 के मौखिक उत्तर दिए गए।

जिस सदस्य के नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 104 सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 104 के पूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 106—108 और 110—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) वर्ष 2017-2018 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वर्ष 2017-2018 के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वर्ष 2017-2018 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2017-2018 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2017-2018 के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(5) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) सेंट्रल कॉटेज इंड्रस्टीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंड्रस्टीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) वर्ष 2017-2018 के लिए वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) वर्ष 2017-2018 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) वर्ष 2017-2018 के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) वर्ष 2017-2018 के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट एक्ट, 2012 की धारा 45 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आरजीएनवाईडी अध्यादेश (दूसरा संशोधन), 2016, जो 18 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1079(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट का पहला परिनियम (दूसरा संशोधन) परिनियम, 2016, जो 20 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1158(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(13) पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न) रियायत (संशोधन) नियम, 2016, जो 8 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1120(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(15) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) उपर्युक्त (15) मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2017-2018 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2017-2018 के लिए विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(तीन) वर्ष 2017-2018 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(18) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2015-16 का 66वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय-9 में प्रतिवेदित मामलों के संबंध में आयोग की सलाह को अस्वीकृत करने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

(19) विस्फोटक सामग्री अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उप-धारा (8) के अंतर्गत गैस सिलेंडर्स नियम, 2016 जो 22 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1081(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) आदित्यपुर आटो क्लस्टर, जमशेदपुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आदित्यपुर आटो क्लस्टर, जमशेदपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (ग्वालियर) एम०पी० लिमिटेड, ग्वालियर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (ग्वालियर) एम०पी० लिमिटेड, ग्वालियर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एम०पी० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड, इंदौर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम०पी० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड, इंदौर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) बड्डी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बड्डी इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलन के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) फाउंड्री क्लस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फाउंड्री क्लस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) नरोल टैक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरो मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथ लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नरोल टैक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरो मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अधीन विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2017 जो 6 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 12(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2017-18 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) असम अशोक होटल निगम लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) डोन्यी पोलो अशोक होटल निगम लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) कुमाराक्रुप्पा फंट्रियर होटल प्राइवेट लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(35) वर्ष 2017-2018 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(37) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय) नियम, 2017 जो 24 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 68(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(38) वर्ष 2017-2018 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) वर्ष 2017-2018 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) सर्व शिक्षा अभियान-यूटी मिशन अॅथारिटी अंडमान और निकोबार, द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान-यूटी मिशन अॅथारिटी अंडमान और निकोबार, द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) यूनियन टैरिटरी मिशन अॅथारिटी दादरा और नगर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिल्वासा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूनियन टैरिटरी मिशन अॅथारिटी दादरा और नगर हवेली (सर्व शिक्षा अभियान), सिल्वासा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अॅथारिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अॅथारिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2017-2018 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2017-2018 के लिए पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(51) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 1124(अ), जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 1125(अ), जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 1126(अ), जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा॰का॰नि॰ 1148(अ), जो 16 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती,

वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 1149(अ), जो 16 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा॰का॰नि॰ 1150(अ), जो 16 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुर्मु पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा॰का॰नि॰ 1151(अ), जो 16 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 1185(अ), जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (त्योहारों और प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम की संस्वीकृति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 1186(अ), जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(दस) सा॰का॰नि॰ 1187(अ), जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 1188(अ), जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2016 का अनुमोदन किया गया है।

(52) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3451(अ), जो 15 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मैसर्स ओरियंटल पाथवेज (इंदौर) प्राइवेट लिमिटेड को मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की मौजूदा दो लेन की सड़क को चार लेन में (इंदौर खालघाट खंड) में विकास, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु शुल्क के संग्रहण और प्रतिधारण के लिए अधिकृत किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 3452(अ), जो 15 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 946(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 3638(अ), जो 2 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(53) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 जो 2 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1114(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) वर्ष 2017-2018 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(55) वर्ष 2017-2018 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(56) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) वर्ष 2017-2018 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2013-14 से 2015-2016 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2013-14 से 2015-2016 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिन्टिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इक्नोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इक्नोमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) वर्ष 2017-2018 के लिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) नेशनल कॉउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिन्धी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कॉउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कॉउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपेट टेक्नोलॉजी, भदोई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षत लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपेट टेक्नोलॉजी, भदोई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) कॉरपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षत लेखे।

(दो) कॉरपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) वर्ष 2017-2018 के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(79) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2017-2018 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(दो) वर्ष 2017-2018 के लिए रक्षा सेवा प्राक्कलन।

*(80) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 8 फरवरी, 2017 को हुई अपनी बैठक में मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2017 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

(1)	श्री राम चंद्र हंसदा	18.07.2016 से 12.08.2016 और 16.11.2016 से 16.12.2016
(2)	श्री चांद नाथ	01.02.2017 से 09.02.2017 और 09.03.2017 से 12.04.2017

7. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री शांता कुमार ने 'नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

---

*अपराह्न 3.15 बजे।

8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण

डॉ॰ शशि थरूर ने वर्ष 2016-2017 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2016-2017) का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. प्रस्ताव

श्री एस॰एस॰ अहलूवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 8 फरवरी, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 39वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक,* 2017

(दो) *निरसन और संशोधन विधेयक,* 2017

*अपराह्न 12.11 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) डॉ॰ ए॰ संपत ने देश में नाविकों को पर्याप्त पेंशन लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर, श्री पी॰के॰ बीजू, श्री अलोक संजर, श्री रोड़मल नागर, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री सुधीर गुप्ता सहयोजित हुए।

श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.04 बजे

(दो) श्री आर॰ ध्रुवनारायण ने कर्नाटक में सूखे की स्थिति के बारे में निवेदन किया।

श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 12.13 बजे से अपराह्न 1.11 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 1.11 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में तीन केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन किसानों की फसलों को ओला वृष्टि के कारण नुकसान पहुंचा है, उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड के रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डोरांडा गांव में किसानों को उनकी भूमि पर खेती किए जाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत अस्पतालों के पैनल में राजस्थान के निजी अस्पतालों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती मौसम नूर द्वारा पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच नदी द्वीपों के स्वामित्व संबंधी विवाद का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा पश्चिम बंगाल में ब्रिज और रूफ कंपनी का विनिवेश किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा केरल के तिरुवनन्तपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र में संविदाकर्मियों के बारे में।

(8) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में संरक्षा अधिकारी के पद को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश में रेल नीर संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 1.11 बजे

13. केन्द्रीय बजट 2017-18

लिया गया समय: 9 घंटे 58 मिनट

वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा आगे जारी रही। निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कल्याण बनर्जी
*2. श्री राम चरण बोहरा
*3. श्रीमती रमा देवी
*4. श्री पी॰सी॰ गद्दीगौदर
*5. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली
*6. श्री लखन लाल साहू
*7. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
*8. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
*9. डॉ॰ भगीरथ प्रसाद
*10. श्री जुगल किशोर शर्मा
*11. श्री हरि मांझी
*12. श्री रायपति सांबासिवा राव
*13. श्री विद्युत वरण महतो
*14. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
*15. श्री राकेश सिंह
*16. श्रीमती सावित्री ठाकुर
*17. श्री बी॰वी॰ नाईक
*18. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमेगौड़ा
*19. श्री जनार्दन मिश्र
20. श्री भरत सिंह

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*21. श्री ओम बिरला
*22. श्रीमती अंजू बाला
23. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
*24. श्री विष्णु दयाल राम
*25. श्री सुनील कुमार सिंह
*26. श्री टी॰जी॰ वेंकटेशबाबू
27. श्री राम टहल चौधरी
28. श्री थोटा नरसिंहम
29. श्री वीरेन्द्र कश्यप
*30. प्रो॰ (डॉ॰) ममताज संघमिता
*31. डॉ॰ कुलमणि सामल
*32. श्री कमल भान सिंह मरावी
*33. श्रीमती पूनमबेन माडप
34. श्री दुष्यंत चौटाला
*35. श्रीमती रीती पाठक
36. श्रीमती संतोष अहलावत
*37. श्री देवजी एम॰ पटेल
38. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
*39. कु॰ शोभा कारांदलाजे
40. श्री बोध सिंह भगत
*41. डॉ॰ थोकचोम मेन्या
42. श्री सी॰एन॰ जयदेवन
43. डॉ॰ बंशीलाल महतो
*44. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
45. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
46. श्रीमती विजया चक्रवर्ती

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

47. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल

*48. श्री डी॰के॰ सुरेश

49. श्री सुधीर गुप्ता

50. श्री भर्तृहरि महताब

*51. श्री के॰ अशोक कुमार

*52. डॉ॰ जय कुमार जयवर्धन

53. श्री सी॰पी॰ जोशी

*54. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*55. कु॰ पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल

*56. डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

*57. श्री राहुल कस्वां

*58. श्री अश्विनी कुमार चौबे

श्री अरूण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 4.19 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 9 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—4548LS(S3)—09-02-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 9 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 (शक)

संख्या 205

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने नौवीं लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष तथा चौथी, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री रवि राय; पांचवीं और सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री जंबुवंत धोते; छठी, सातवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री पी॰ शिव शंकर; तथा आठवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री सैय्यद शहाबुद्दीन के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121, 122 (126 के साथ संबद्ध) के मौखिक उत्तर दिए गए।

प्रश्न सं॰ 123 जिस सदस्य के नाम सूचीबद्ध था, वह अनुपस्थित थे। यद्यपि, संबंधित मंत्री ने उत्तर को सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 123 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 124, 125 और 127—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से 104 उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के वैज्ञानिक को बधाई दी।

अपराह्न 12.02 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आर्थिक सर्वेक्षण* 2016-17 के शुद्धिपत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर), दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर), दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2017-2018 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) 2017-2018 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वर्ष 2017-2018 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, 31.01.2017 को सभा पटल पर रखा गया।

(7) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत खान और खनिज (विकास और विनियमन) कठिनाइयों का निराकरण आदेश, 2017 जो 4 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 27(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) वर्ष 2017-2018 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

"मुझे सदन को यह सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रपति से मुझे दिनांक 8 फरवरी, 2017 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

'मुझे 31 जनवरी, 2017 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को मेरे द्वारा दिए गए संबोधन के लिए लोक सभा के सदस्यों की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।' "

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रसून बनर्जी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2016-17) का 34वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सामान्य रक्षा बजट, रक्षा मंत्रालय के सिविल व्यय (मांग सं॰ 20) और रक्षा पेंशन (मांग सं॰ 21) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 24वां प्रतिवेदन।

(2) थल सेना, नौ सेना और वायु सेना (मांग सं॰ 22) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की

मांगों (2016-17) के बारे में 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 25वां प्रतिवेदन।

(3) रक्षा मंत्रालय (प्रकीर्ण) (मांग सं॰ 20) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 26वां प्रतिवेदन।

(4) रक्षा सेवाएं, प्रापण नीति और रक्षा आयोजना पर पूंजीगत परिव्यय (मांग सं॰ 23) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 27वां प्रतिवेदन।

(5) सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक बल, सैन्य अभियांत्रिकी सेवाएं कैंटीन स्टोर्स विभाग, रक्षा संपदा महानिदेशालय, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा पेंशन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (अनुदान सं॰ 19 और 22) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन।

(6) थल सेना, नौ सेना और वायु सेना (मांग सं॰ 20) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 29वां प्रतिवेदन।

(7) आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशलय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (अनुदान सं॰ 20) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 30वां प्रतिवेदन।

(8) रक्षा सेवाएं, रक्षा आयोजना और प्रापण नीति पर पूंजीगत परिव्यय (अनुदान सं॰ 21) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 31वां प्रतिवेदन।

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्री ने 7 और 8 मार्च, 2017 को क्रमश: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुई दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.12 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) निम्नलिखित सदस्यों ने यूएसए में भारतीय पर हाल ही में बड़े पैमाने पर नस्लीय हमलों के संबंध में निवेदन किया:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

2. प्रो॰ सौगत राय

3. श्री भर्तृहरि महताब

4. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

5. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

6. श्री मोहम्मद सलीम

7. डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै

श्री किन्जरापु राम मोहन नायडू, श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली, श्री राजीव सातव, श्री पी॰के॰ बिजू, डॉ॰ ए॰ सम्पत, श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर, श्री रवीन्द्र जेना, श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री देवजी एम॰ पटेल, डॉ॰ मनोज राजोरिया, श्री सी॰पी॰ जोशी, श्री रामचरण बोहरा, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह@ ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.10 बजे

(दो) श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर ने गांधीनगर गुजरात में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित एक समारोह में केरल की महिला पंचायत अध्यक्ष को पारंपरिक वेशभूषा 'हिजाब' पहनकर भाग लेने से कथित रूप से मना करने के बारे में निवेदन दिया।

---

*अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 1.39 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

@गृह मंत्री।

श्री पी॰के॰ बिजू, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, डॉ॰ ए॰ सम्पत, श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन और श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली सहयोजित हुए।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी@ ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.15 बजे

(तीन) श्री जितेन्द्र चौधरी ने छोटा नागपुर अभिधारण अधिनियम (सीएनटी) तथा संथाल परगना अभिधारण अधिनियम (एसपीटी) के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा किए गए संशोधन को निरस्त करने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री शंकर प्रसाद दत्ता सहयोजित हुए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर# ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.39 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.44 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.44 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा प्टल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड में रेल परियोजनाओं में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा संगम एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 14163/64) को समय पर चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा महाराष्ट्र में वर्धा से नागपुर तथा अमरावती के बीच चलने वाली विदर्भ एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस में मासिक पासधारकों के लिए एक अतिरिक्त डिब्बा लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

@अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री।

#ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री।

(5) श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा अंडमान और निकोबार की सैल्युलर जेल परिसर में वीर विनायक दामोदर सावरकर की उद्धरण वाली पट्टिका को फिर से लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा साइबर अपराधों के शिकार उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने तथा साइबर अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में बाल तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य योजना का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार के सिवान में एक कैंसर अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा धनबाद, झारखंड में बागमारा विकास खंड में बीसीसीएल की कोयला लिंकेज बोलियों में पात्र और हितबहड पक्षकारों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा डेयरी क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय को कृषि आय के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात के भरूच जिले में एक प्लास्टिक पार्क को स्थापित करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ जे॰ जयवर्धन द्वारा चेन्नै से सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी के मुख्यालय को हटाए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) प्रो॰ सौगत राय द्वारा अमरीका में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े पेशेवर लोगों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा महिलाओं में सर्विकल कैंसर के नियंत्रण तथा इसकी रोकथाम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा देश में लापता हुए बच्चों के बारे में।

(19) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव द्वारा आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक नया रेलवे जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा तेलंगाना में कोथापल्ली-मनोहारबाद-अक्कानापेट-मेढक रेल लाइन हेतु पर्याप्त निधियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत चिकित्सा सहायता राशि की सीमा को बढाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा देश में कृषि क्षेत्र का विकास करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.45 बजे

13. सरकारी विधेयक — पारित

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 *राज्य सभा द्वारा यथापारित*

लिया गया समय: 3 घंटे 23 मिनट

श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. कुमारी सुष्मिता देव

2. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे

3. श्रीमती एम॰ वसन्ती

4. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)

5. श्री तथागत सत्यपथी

6. श्री अरविंद सांवत

7. डॉ॰ रवीन्द्र बाबू पाण्डुला

8. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड

9. श्री पी॰ के॰ बिजू

10. श्रीमती सुप्रिया सुले

11. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

12. डॉ॰ (श्रीमती) काकोली दस्तीदार

13. डॉ॰ संजय जायसवाल

14. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर

15. श्रीमती विजया चक्रवर्ती

16. श्री कौशलेन्द्र कुमार

17. श्रीमती संतोष अहलावत

18. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन

19. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

20. श्री दुष्यंत चौटाला

21. श्री रमेश बिधूड़ी

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा यथासंशोधित विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक यथासंशोधित, पारित किया गया।

सायं 6.08 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार,* 10 *मार्च,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—4900LS(S3)—09-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 10 मार्च, 2017/19 फाल्गुन, 1938 (शक)

संख्या 206

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.20 बजे पुन: समवेत हुई)

पूर्वाह्न 11.20 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 142—145 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 146—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2016 जो 7 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11-76/2016-यूनानी (स्नातक-पूर्व विनियम) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातक-पूर्व आयुर्वेद महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं) विनियम, 2016 जो 7 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-15/2016-आयु (एमएसआर) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातक-पूर्व सिद्धा महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं) विनियम, 2016 जो 7 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 18-12/2016-सिद्धा (एमएसआर) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा) विनियम, 2016 जो 7 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11-77/2016-यूनानी (स्नातकोत्तर विनियम) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2016 जो 7 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 18-12/2016-सिद्धा (पाठ्यक्रम स्नातक-पूर्व) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2016 जो 7 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 24-14/2016 (स्नातक-पूर्व विनियम) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016 जो 7 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4-90/2016-स्नातकोत्तर विनियम में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातक-पूर्व यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं) विनियम, 2016

जो 7 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11-134/2016-यूनानी (एमएसआर) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (स्नातकोत्तर सिद्धा शिक्षा) विनियम, 2016 जो 7 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 18-12/2016-सिद्धा (पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (दौरे पर गए कर्मचारियों को दैनिक भत्ता तथा होटल प्रभार) संशोधन नियम, 2016 जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1136(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम (पर्यवसित विकास अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति) संशोधन नियम, 2016 जो 21 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1162(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम (संशोधन) विनियम, 2016 जो 6 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-13011/02/2015/बीमा-I में प्रकाशित हुए थे।

(3) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत वर्ष 2015-2016 के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) नियम, 2017 जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 57(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, गुड़गांव के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 1-सीए(7)/179/2017 जो 9 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों के रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए शुल्क की दरों, वार्षिक सदस्यता शुल्क, वार्षिक व्यवसाय शुल्क प्रमाणपत्र तथा सदस्यों के रजिस्टर में नाम का पुन:स्थापन शुल्क अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की नियुक्ति, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2017 जो 18 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 46(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का प्रतिवेदन संख्यांक 41)—राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का प्रतिवेदन संख्यांक 40) (निष्पादन लेखापरीक्षा)—एयर इंडिया लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय की टर्न अराउण्ड योजना तथा वित्तीय पुनर्गठन योजना।

(तीन) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2016 का संख्यांक 37)—रेल वित्त।

(चार) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2017 का संख्यांक 1)—राजस्व विभाग-सीमा शुल्क (अनुपालन लेखा परीक्षा)।

(पाँच) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आर्मी बेस वर्कशापों के कार्यकरण के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार

(2016 का प्रतिवेदन संख्यांक 36) (निष्पादन लेखा परीक्षा)—(रक्षा सेवाएं-थल सेना)।

(छह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क) (2016 का संख्याक 42) प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स के बारे में निष्पादन लेखा परीक्षा।

(सात) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैंटीन स्टोर्स विभाग के कार्यकरण के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का प्रतिवेदन संख्यांक 38) (निष्पादन लेखा परीक्षा)—(रक्षा सेवाएं-थल सेना)।

(आठ) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2017 का संख्यांक 2)—(राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)।

(नौ) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत-चीन सीमा सड़कों के विनिर्माण के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2017 का प्रतिवेदन संख्यांक 5) (निष्पादन लेखा परीक्षा)—(रक्षा सेवाएं-थल सेना)।

(दस) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2017 का प्रतिवेदन संख्यांक 4)—टीडीएस/टीसीएस स्कीमों का लागू किया जाना, राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर।

(ग्यारह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2017 का संख्यांक 3)—(राजस्व विभाग) (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)।

(बारह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2016 का प्रतिवेदन संख्यांक 39)—पर्यावरणीय निर्बाधन तथा निर्बाधन-पश्चात् निगरानी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बारे में निष्पादन लेखा परीक्षा।

(11) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2015-16 के लिए भारत रेल के विनियोग लेखे (भाग एक-समीक्षा)।

(दो) वर्ष 2015-16 के लिए भारत रेल के विनियोग लेखे (भाग दो-विस्तृत विनियोग लेखे)।

(तीन) वर्ष 2015-16 के लिए भारत रेल के विनियोग लेखे [भाग दो-विस्तृत विनियोग लेखे (संलग्नक-छ)]।

(12) किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 की उप-धारा (3) के अंतर्गत दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 जो 4 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 3 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उप-धारा (3) के अंतर्गत संपूरक पोषण (एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत) नियम, 2017 जो 20 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 149 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 347 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) छावनी (स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए वारंट का निष्पादन) नियम, 2016 जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 14(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) छावनियों में संपत्ति का अंतरण (सूचना का प्ररूप और ऐसी सूचना देने की रीति) नियम, 2016 जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 15(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) छावनी (प्ररूप और सूचनाओं का तामील करने की रीति) नियम, 2017 जो 24 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰नि॰आ॰ 2(अ) में प्रकाशित हुए थे।

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री एस॰एस॰ अहलूवालिया ने कार्य मंत्रणा समिति का चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सत्यपाल सिंह (संभल) ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (सोलहवीं लोक सभा) प्रस्तुत किए:—

(एक) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

(दो) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

(तीन) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वर्ष 2017-2018 के लिए विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 2017-2018 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में 27वां प्रतिवेदन।

7. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों-2017-18' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों-(2017-18)' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने 14 मार्च, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.16 बजे

10. राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री मनोहर पर्रिकर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (1) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोर्ट के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के परिनियमों के परिनियम 8(2) के साथ पठित परिनियम 8(1)ङ के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

12. कॉफी बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में 14 दिसम्बर, 2018 तक कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.18 बजे

13. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017

*अपराह्न 12.20 बजे

14. सदस्यों द्वारा निवेदन

सर्वश्री मल्लिकार्जुन खड़गे, एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन और के॰सी॰ वेणुगोपाल ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होने के बावजूद गैर-रियायती एलपीजी की कीमतों में भारी वृद्धि तथा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होने के बारे में निवेदन किया।

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, डॉ॰ ए॰ सम्पत, श्री (एडवोकेट) जोएस जॉर्ज और प्रो॰ (डॉ॰) ममताज़ संघमिता सहयोजित हुए।

#श्री अनन्त कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.12 बजे

15. सरकारी विधेयक—पारित

नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016

लिया गया समय: 2 घंटे 18 मिनट

श्री नितिन गडकरी की ओर से श्री मनसुख एल॰ मांडविया द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. एडवोकेट (श्री) नरेन्द्र केशव सावईकर
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री थोटा नरसिम्हम
6. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
7. डॉ॰ ए॰ सम्पत
8. श्री विनायक भाऊराव राऊत
9. श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी

---

*अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 1.11 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री।

10. श्री हरिबाबू कंभमपति

11. श्री कौशलेन्द्र कुमार

12. श्री गोपाल शेट्टी

13. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

श्री मनसुख एल॰ मांडविया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 8 स्वीकृत हुए।

खण्ड 9 से 11 स्वीकृत हुए।

खण्ड 12 से 15 स्वीकृत हुए।

खण्ड 16 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री मनसुख एल॰ मांडविया द्वारा यथासंशोधित विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक यथासंशोधित पारित किया गया

अपराह्न 3.30 बजे

16. प्रस्ताव

श्री रत्न लाल कटारिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 23 और 30 नवम्बर और 7 दिसम्बर, 2016 और 3 फरवरी, और 9 मार्च, 2017 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के क्रमश: 26वें, 27वें, 28वें और 30वें प्रतिवेदनों से इन उपांतरणों के अध्यधीन सहमत है कि—

(एक) 26वें प्रतिवेदन के पैरा 6 और पैरा 7 के उप-पैरा (तीन);

(दो) 28वें प्रतिवेदन के पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा (दो); और

(तीन) 29वें प्रतिवेदन के पैरा 4 और पैरा 5 के उप-पैरा (दो),

जो संकल्पों के लिए समय के आबंटन के बारे में है, का लोप किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

17. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री बैजयंत पांडा प्रस्ताव करेंगे का नियंत्रक-महालेखा- परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2016 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।

(2) श्री बैजयंत पांडा का साक्षी संरक्षण कार्यक्रम विधेयक, 2016

(3) श्री बैजयंत पांडा का सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 3 का संशोधन, आदि)।

(4) श्री बैजयंत पांडा का मरणासन रोगियों का उपचार विधेयक, 2016।

(5) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली का अनाथ बालक (सामाजिक सुरक्षा उपबंध) विधेयक, 2016

(6) श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 134 का संशोधन)।

(7) श्री पी॰ करुणाकरन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 309 का संशोधन)।

(8) श्री पी॰ करुणाकरन का श्रमजीवी हाथी (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2016।

(9) श्री पी॰ करुणाकरन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 80 का संशोधन)।

(10) श्री पी॰ करुणाकरन का वैज्ञानिक और नवाचार अनुसंधान अकादमी (संशोधन) विधेयक, 2016 (नई धारा 39 का अंत:स्थापन)।

(11) श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए भाग 10क का अंत:स्थापन)।

(12) श्री प्रहलाद सिंह पटेल का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2016

(13) श्री प्रहलाद सिंह पटेल का उपभोक्ता माल का आयात (विनियमन) विधेयक, 2016

(14) श्री प्रवेश वर्मा का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (नई धारा 376च का अंत:स्थापन)।

(15) श्री प्रवेश वर्मा का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 243घ का संशोधन)।

(16) श्री निशिकांत दुबे का युवक (विकास और कल्याण) विधेयक, 2016

(17) श्री दुष्यंत चौटाला का दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 304क का संशोधन, आदि)।

(18) श्री दुष्यंत चौटाला का रेल (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 126 का संशोधन)।

(19) श्री दुष्यंत चौटाला का स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 42 का संशोधन)।

(20) डॉ॰ सत्यपाल सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 15 का संशोधन, आदि)।

(21) डॉ॰ उदित राज का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुसूची एक का संशोधन)।

(22) डॉ॰ उदित राज का एकीकृत बाल विकास सेवाएं (नियमितीकरण) विधेयक, 2016

(23) डॉ॰ उदित राज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 338 का संशोधन)।

(24) डॉ॰ उदित राज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 312 का संशोधन)।

(25) डॉ॰ किरिट प्रेमजी भाई सोलंकी का होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 12क और 12ख का संशोधन)।

(26) श्री जैदेव गल्ला का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 11 का संशोधन, आदि)।

(27) श्री जैदेव गल्ला का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 21ख का अंत:स्थापन)।

(28) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी का विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)।

(29) श्री विष्णु दयाल राम का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (पहली अनुसूची का संशोधन)।

(30) डॉ॰ संजय जायसवाल का उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 2 का संशोधन)।

(31) डॉ॰ संजय जायसवाल का सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (धारा 4 और 6 का संशोधन आदि)।

(32) डॉ॰ धर्म वीर गांधी का हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 6 और 7 का संशोधन)।

(33) डॉ॰ धर्म वीर गांधी का संरक्षक और प्रतिपाल्य (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 10 का संशोधन, आदि)।

(34) प्रो॰ (डॉ॰) सुगत बोस का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 (नई धारा 32क का अंत:स्थापन)।

(35) प्रो॰ (डॉ॰) सुगत बोस का भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

(36) श्रीमती जयश्रीबेन के॰ पटेल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 243ङक और 243पक का संशोधन)।

(37) सुश्री सुष्मिता देव का गुवाहाटी उच्च न्यायालय (सिलचर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(38) डॉ॰ धर्म वीर गांधी का स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 1 का संशोधन, आदि)।

(39) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी का गौ संरक्षण प्राधिकरण विधेयक, 2016

(40) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)।

(41) श्री सदाशिव लोखंडे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 370 का संशोधन)।

(42) श्री सदाशिव लोखंडे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 44 का लोप, आदि)।

(43) श्री अजय मिश्रा टेनी का राष्ट्रीय बाढ़ पीड़ित कल्याण बोर्ड विधेयक, 2016

(44) श्री जगदम्बिका पाल का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 370क का संशोधन)।

(45) श्री जगदम्बिका पाल का केन्द्रीय दासत्व विरोधी अभिकरण विधेयक, 2016

(46) श्री निशिकान्त दुबे का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षिक संस्थाओं में जाति-आधारित भेदभाव का निवारण) विधेयक, 2016

(47) श्री निशिकान्त दुबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)।

(48) श्री निशिकान्त दुबे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नये अनुच्छेद 370क का अंत:स्थापन)।

(49) डॉ॰ शशि थरूर का विभेद निवारण और समानता विधेयक, 2016

(50) डॉ॰ शशि थरूर का परंपरागत ज्ञान का संरक्षण विधेयक, 2016

(51) श्री राजेन्द्र अग्रवाल का राज्यों को आतंकवाद के समर्थक के रूप में, अभिहित करना विधेयक, 2017

(52) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 304क का संशोधन)।

(53) श्री तथागत सत्पथी का वाक्शक्ति और ख्याति का संरक्षण विधेयक, 2016

(54) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे का रक्षा कार्मिक परिवार कल्याण विधेयक, 2016

(55) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे का छावनी (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 12 का संशोधन)।

(56) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)।

(57) श्री भैरों प्रसाद मिश्र का वृद्धावस्था पेंशन विधेयक, 2016

(58) श्री भैरों प्रसाद मिश्र का बाल विकास विधेयक, 2016

(59) श्री ओम प्रकाश यादव का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2016

(60) श्री ओम प्रकाश यादव का महिलाओं पर अत्याचार निवारण विधेयक, 2016

(61) श्री फिरोज वरुण गांधी का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।

(62) श्री भर्तृहरि महताब का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 124 का संशोधन, आदि)।

(63) श्रीमती सुप्रिया सुले का महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2016

(64) श्रीमती सुप्रिया सुले का नि:शुल्क और अनिवार्य माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा विधेयक, 2016

(65) श्रीमती सुप्रिया सुले का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 292 का संशोधन आदि)।

(66) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे का ओषधि (कीमत नियंत्रण) विधेयक, 2016

(67) डॉ॰ किरिट प्रेमजी भाई सोलंकी का सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य देखरेख परामर्श सुविधाएं विधेयक, 2016

(68) डॉ॰ किरिट प्रेमजी भाई सोलंकी का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल करना विधेयक, 2016

(69) श्रीमती रंजीत रंजन का गैर-नाभिकीय औद्योगिक दुर्घटना के लिए लोक दायित्व विधेयक, 2016

(70) श्रीमती रंजीत रंजन का विवाह (अनिवार्य पंजीकरण और अपचयकारक व्यय का निवारण) विधेयक, 2016

(71) प्रो॰ रिचर्ड हे का अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण विधेयक, 2016

(72) श्री राजीव सातव का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 124 का संशोधन, आदि)।

(73) श्री ओम प्रकाश यादव का भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2016 (नई धारा 35 का अंत:स्थापन, आदि)।

(74) श्री ओम प्रकाश यादव का व्यक्तिगत डाटा की गोपनीयता का अधिकार विधेयक, 2016

(75) श्री राघव लखनपाल का ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 5 का संशोधन)।

(76) श्री राघव लखनपाल का कीटनाशी (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 4 और 5 का संशोधन)।

(77) डॉ॰ थोकचोम मेन्या का अन्तर-राष्ट्रीय संधियां और करार (महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व) विधेयक, 2017

(78) डॉ॰ थोकचोम मेन्या का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 197 का संशोधन)।

(79) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी का राष्ट्रगौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017

(80) डॉ॰ थोकचोम मेन्या का सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) विधेयक, 2017

(81) श्रीमती मीनाक्षी लेखी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नये अनुच्छेद 220क का अंत:स्थापन)।

(82) श्रीमती मीनाक्षी लेखी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (7वीं अनुसूची का संशोधन)।

(83) श्रीमती मीनाक्षी लेखी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन)।

(84) श्रीमती मीनाक्षी लेखी का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुसूचियों का संशोधन)।

(85) श्री फिरोज वरुण गांधी का श्रमिक नियोजन-केन्द्रों की स्थापना विधेयक, 2017

(86) एडवोकेट जोएस जॉर्ज का अंतरराष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों एवं प्रसंविदाओं का विनियमन विधेयक, 2017

(87) एडवोकेट जोएस जॉर्ज का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 253 का संशोधन)।

(88) श्री अजय मिश्रा टेनी का प्लास्टिक पुनर्चक्रण विधेयक, 2017

(89) श्रीमती सुप्रिया सुले का उच्च शैक्षणिक संस्थाएं (फीस का विनियमन) विधेयक, 2017

(90) श्री गौरव गोगोई का वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2017 (अध्याय 4घ का अंत:स्थापन)।

(91) डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी का राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 3घ का संशोधन)।

(92) प्रो॰ सौगत राय का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 8ख का अंत:स्थापन)।

(93) श्री ओम बिरला का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (अनुच्छेद 348 का संशोधन)।

(94) श्री महेश गिरी का आतंकी हमला पीड़ितों को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2016

(95) श्री महेश गिरी का ओषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।

(96) श्री महेश गिरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 15 का संशोधन)।

(97) श्री महेश गिरी का सफाई को बनाए रखना विधेयक, 2016

*(98) श्री रमेश बिधूड़ी का शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक शिक्षा पाठ्यपुस्तक के रूप में भगवद् गीता का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2016

*(99) श्री रमेश बिधूड़ी का बेरोजगार स्नातकोत्तरों को वित्तीय सहायता विधेयक, 2016

*(100) श्री रमेश बिधूड़ी का दंगों और सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ित व्यक्ति (समान प्रतिकर) विधेयक, 2016

*(101) श्री रमेश बिधूड़ी का राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2016

अपराह्न 4.22 बजे

18. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—विचाराधीन

संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री विनसेंट एच॰ पाला द्वारा 5 अगस्त, 2016 को प्रस्तुत विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

---

*अपराह्न 04.56 बजे।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी

2. श्री राम प्रसाद सरमा

3. प्रो॰ सौगत राय

4. श्री गौरव गोगोई

5. श्री रामेश्वर तेली

6. श्री निशिकान्त दुबे (भाषण पूरा नहीं हुआ)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.17 बजे

19. राज्य सभा द्वारा संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशये के संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 10 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 को संशोधनों के साथ पारित किया और इस अनुरोध के साथ विधेयक को लौटा दिया कि उन संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।

20. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016

सायं 6.18 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 14 *मार्च,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

---

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.17 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—4975LS(S3)—10-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 14 मार्च, 2017/23 फाल्गुन, 1938 (शक)

संख्या 207

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161—165 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 166—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कनसोरटियम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कनसोरटियम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2017, जो 27 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 264(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2017, जो 7 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 364(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवपलमेंट कॉरपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजीकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजीकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) वर्ष 2017-2018 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) डॉ॰ अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ॰ अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वर्ष 2015-16 के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, नवी मुम्बई का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, हैदराबाद के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) भाण्डागारण (विकास और विनियम) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागारणों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 जो 23 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 165(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 2016, जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1133(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 2015, जो 9 जून, 2015 के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 469(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(30) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाओं, स्टॉक सीमाओं और संचलन प्रतिबंध का निराकरण आदेश, 2016 जो 29 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 929(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विनिर्दिष्ट खाद्य सामग्रियों पर अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाओं, स्टॉक सीमाओं और संचलन प्रतिबंध का निराकरण (संशोधन) आदेश, 2016 जो 28 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3341(अ) में प्रकाशित हुआ था।

अपराह्न 12.04 बजे

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) गृह मंत्री ने 11 मार्च, 2017 को सुक्मा, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर हुए हालिया हमले के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.12 बजे

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रसायन और पेट्रोलियम विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

5. प्रस्ताव

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 10 मार्च, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.14 बजे

6. सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

(एक) *फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक,* 2017

अपराह्न 12.15 बजे

(दो) *अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक,* 2017

श्रीमती उमा भारती द्वारा अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुर: स्थापित करने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव का विरोध हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब ने विधेयक को पुर: स्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। जल संसाधन, नदी विकास ओर गंगा संरक्षण मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण प्रश्नों का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर: स्थापित किया गया।

अपराह्न 12.27 बजे

7. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री पी॰आर॰ सुन्दरम ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु की सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

*श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.28 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा देश के पारा शिक्षकों का वेतन बढ़ाए जाने और उनकी सेवा शर्तों में सुधार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री।

(2) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा देश में स्वदेशी उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री और इस्तेमाल को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चरखारी किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री कुँवर सिंह तंवर द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बालिका विद्यालय और डिग्री कॉलेज की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा महाराष्ट्र में मुंबई और भिवांडी के बीच लोकल ट्रेन चलाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन, राजस्थान में गांधीधाम–गर्बा एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या–12937) और गांधीधाम–कामाख्या एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 15667) का ठहराव दिये जाने और रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर की सुविधा भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के किसानों के लिए फसल बीमा योजना के लाभ का विस्तार सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा तीर्थस्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिकता संवर्धन के अंतर्गत महाराष्ट्र के जलगांव और आसपास के क्षेत्र में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का विकास किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त मोबाइल चिकित्सा वैन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डॉक्टरों का एक दल उस क्षेत्र में चिकेनपॉक्स के फैलाव के संबंध में रिपोर्ट और उसके उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा नेपाल से निकलने और बिहार से होकर बहने वाली नदियों पर स्लूसगेट्स का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री राम टहल चौधरी द्वारा हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड में संविदा श्रमिकों को नियमित नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रोग ग्रस्त बीज के कारण जिन किसानों की दलहन की फसलों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें क्षतिपूर्ति दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री रमेन डेका द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलपथों पर विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के लिये कानून बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जुगसलाई में रेल उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा केरल के पथनमथीट्टा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कोन्नी में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय के लिये अनुमोदन दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एम॰आई॰ शनवास द्वारा महिला प्रतिनिधियों को तथाकथित रूप से परेशान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री पी॰ कुमार द्वारा तमिलनाडु के पोडुकोट्टाई में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू द्वारा हाल के तेल रिसाव से प्रभावित तमिलनाडु के मछुआरों को अंतरिम राहत प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन हेतु तकनीकी दिशानिर्देश और वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) प्रो॰ सौगत राय द्वारा एल्वॉय स्टील प्लांट (एएसपी), दुर्गापुर, बंगाल केमीकल्स एंड ब्रिज एंड रूट कंपनी के विनिवेश प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री भर्तुहरि महताब द्वारा ओडिशा के कटक नगरनिगम के अंतर्गत गडखई हेरीटेज प्रोजेक्ट के पुनरुद्धार और परिरक्षण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री केसिनेनी श्रीनिवास द्वारा विजयवाड़ा से वेलानाकन्नी तक एक सीधी दैनिक ट्रेन का आरंभ किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री भीमराव बी॰ पाटिल द्वारा निजामाबाद/कामारेड्डी और हैदराबाद-सिंकदराबाद के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा कुवैत में खरफी नेशनल कंपनी में काम करने वाले भारतीयों के समक्ष आ रही समस्याओं के किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी तेलंगाना में आईटीसी पेपर मिल फैलाए जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा वस्तु और सेवाकर के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की गणना करते समय नगर निगमों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि पर विचार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(28) कुँवर हरिवंश सिंह द्वारा देश में राष्ट्र विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.32 बजे

$9. **सांविधिक संकल्प — अस्वीकृत**

लिया गया समय: 1 घंटा 59 मिनट

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 दिसम्बर, 2016 को प्रख्यापित शत्रु सम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवां अध्यादेश, 2016 (2016 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के उपरांत जैसाकि नीचे **पैरा 10** में दर्शाया गया है, संकल्प अस्वीकृत हुआ।

$10. **राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन — सहमति हुई**

**शत्रुसम्पत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक,* 2016

श्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1, '**सड़सठवें' के स्थान पर** 'अड़सठवें' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

$एक साथ चर्चा की गई।

*लोक सभा द्वारा 9 मार्च, 2016 को इस विधेयक को पारित किया गया और इस पर सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 10 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और इसे उसी दिन लोक सभा को लौटा दिया।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 3, '2016' **के स्थान पर** ''2017'' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 2

3. पृष्ठ 2, पंक्ति 21 और 22, 'किसी विधि' **के स्थान पर** ''किन्ही विधियों'' शब्द **प्रतिस्थापित** किए जाएं।

खण्ड 3

4. पृष्ठ 3, पंक्ति 8,, यह संशोधन हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

खण्ड 6

5. पृष्ठ 3, पंक्ति 35, '2016' **के स्थान पर** '2017' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

6. पृष्ठ 3, पंक्ति 38, '2016' **के स्थान पर** '2017' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड-8

7. पृष्ठ 4, पंक्ति 25, '2016' **के स्थान पर** '2017' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

8. पृष्ठ 4, पंक्ति 28, '2016' **के स्थान पर** '2017' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 12

9. पृष्ठ 6, पंक्ति 3, ''ऐसे आदेश की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर'' **के पश्चात्** ''अथवा राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से, जो भी पहले हो'' शब्द **अंत:स्थापित** किए जाएंगे।

खण्ड 14

10. पृष्ठ 6, पंक्ति 17, खंड 14 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:—

नई धाराएं 18ख और 18ग का अंत:स्थापन।

''14. मूल अधिनियम की धारा 18क (इस अधिनियम की धारा 13 द्वारा इस प्रकार अंत:स्थापित) **के पश्चात्**, निम्नलिखित धाराएं **अंत:स्थापित** की जाएंगी, अर्थात्:—

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।

''18ख. इस अधिनियम में अन्यथा किए गए उपबंध के सिवाय किसी भी सिविल न्यायालय या प्राधिकरण के पास शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम की विषय वस्तु के अध्यधीन किसी संपत्ति के संबंध में या इस बाबत केन्द्रीय सरकार या अभिरक्षक द्वारा की गई किसी कार्रवाई के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा।

उच्च न्यायालय में अपील।

18ग. इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की सूचना अथवा प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसे आदेश से उत्पन्न किसी प्रश्नगत तथ्य अथवा विधि के संबंध में उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और ऐसी अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उस पर ऐसे आदेश जारी कर सकता है जैसा वह उचित समझे:

परंतु यह कि उच्च न्यायालय, यदि यह इस बात से संतुष्ट हों कि अपीलकर्ता को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारणवश रोका गया था, इसे साठ दिन से अनधिक अग्रेतर अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में, ''उच्च न्यायालय से उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसमें धारा 18 में संदर्भित संपत्ति स्थित है।''

खण्ड 17

11. पृष्ठ 6, पंक्ति 33, ''2016'' **के स्थान पर** ''2017'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

12. पृष्ठ 6, पंक्ति 38, ''2016'' **के स्थान पर** ''2017'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

13. पृष्ठ 7, पंक्ति 6, ''2016'' **के स्थान पर** ''2017'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

14. पृष्ठ 7, पंक्ति 17, ''2016'' **के स्थान पर** ''2017'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 19

15. पृष्ठ 7, पंक्ति 21, ''2016'' **के स्थान पर** ''2017'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

16. पृष्ठ 7, पंक्ति 24, ''2016'' **के स्थान पर** ''2017'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

17. पृष्ठ 7, पंक्ति 25, ''2016'' **के स्थान पर** ''2017'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

18. पृष्ठ 7, पंक्ति 30, ''2016'' **के स्थान पर** ''2017'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

2016 का अध्यादेश 8 19. पृष्ठ 7, पंक्ति 29, ''अध्यादेश 2016'' **के स्थान पर** ''पांचवां अध्यादेश 2016'' **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड 22

20. कि पृष्ठ 8 पर, पंक्ति 16 से 20 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:—

2016 का अध्यादेश 8 ''22(1) शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवा अध्यादेश, 2016 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

1968 का 34 (2) ऐसे निरसन में कोई भी बात होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अंतर्गत की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथापारित उक्त अधिनियम के तद्नुरूपी उपबंधों के अंतर्गत की गई मानी जाएगी।''

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखिए ऊपर **पैरा** 9) तथा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करने के प्रस्ताव पर हुई संयुक्त चर्चा में भाग लिया:—

1. श्री हंसराज गंगाराम अहीर
2. श्री हुकुम सिंह
3. श्री अधीर रंजन चौधरी
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री थोटा नरसिम्हम
6. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
7. श्री मोहम्मद सलीम
8. श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी

9. श्री अरविन्द सावंत

10. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

11. श्री कौशलेन्द्र कुमार

श्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त चर्चा का उत्तर दिया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सभा सहमत हुई।

(लोक सभा अपराह्न 2.31 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.33 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 3.33 बजे

11. **केन्द्रीय बजट — 2017-2018 — अनुदानों की मांगें**

आवंटित समय : 8 घंटे
लिया गया समय : 4 घंटे 26 मिनट
शेष समय : 3 घंटे 34 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 80 पर चर्चा आरंभ हुई।

उप सभापति ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''अब सभा में रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 80 पर चर्चा तथा मतदान होगा।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके कटौती प्रस्ताव रेल मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों पर परिचालित किए गए हैं, वे, यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें, तो पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम सं॰ दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज सकते हैं। केवल उन कटौती प्रस्तावों, जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होंगी, को ही पेश किया गया माना जाएगा।

जिन कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जाएगा, उनकी क्रम सं॰ को दर्शाने वाली सूची उसके तुरन्त बाद सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो वे उसे तत्काल सभा पटल पर उपस्थित अधिकारी के ध्यान में लाएं।

रेल मंत्रालय से संबंधित 80 कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 1 से 36 और 76 से 119) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ के॰ एच॰ मुनियप्पा
2. श्री योगी आदित्यनाथ
3. श्री सी॰ गोपालकृष्णन
4. श्री दिनेश त्रिवेदी
5. श्री बलभद्र माझी
*6. श्रीमती वी॰ सत्यबामा
7. श्री अरविन्द सावंत
*8. प्रो॰ रिचर्ड हे
*9. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़
*10. श्री रामेश्वर तेली
11. श्री जैदेव गल्ला
*12. श्री चिन्तामन नवाशा वांगा
*13. श्री के॰ अशोककुमार
*14. श्री वी॰ एलुमलाई
*15. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेंश बाबू
*16. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
17. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड़
18. श्री एम॰ बी॰ राजेश
*19. श्रीमती आर॰ वनरोजा
*20. श्री विनोद कुमार बोइन्नापल्ली
*21. प्रो॰ (डॉ॰) ममताज़ संघमिता
22. डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल
*23. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

24. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी
*25. श्री निशिकांत दुबे
*26. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत
*27. श्री डी॰ के॰ सुरेश
*28. श्री अजय मिश्रा (टेनी)
29. श्री राजीव सातव
30. श्री जगदम्बिका पाल
*31. श्रीमती सुप्रिया सुले
*32. श्री पी॰ के॰ बिजू
33. सुश्री अर्पिता घोष
34. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
*35. श्री राहुल कस्वां
36. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
37. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
*38. श्रीमती ज्योति धुर्वे
39. डॉ॰ सत्य पाल सिंह
40. श्री ताम्रध्वज साहू

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 7.59 बजे

(लोक सभा बुधवार, 15 *मार्च,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

GMGIPMRND—5032LS(S3)—14-03-2017.

दिनांक 10.3.2017 के समाचार—भाग-1

संख्या 206 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ **16**, (80) डॉ० थोक चोम मेन्या का सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) विधेयक, 2017 **के पश्चात्** (81) श्री ओम बिरला का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 3 का संशोधन) **जोड़ा** जाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 15 मार्च, 2017/24 फाल्गुन, 1938 (शक)

संख्या 208

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने 11वीं, 12वीं और 13वीं लोक सभा के सदस्य श्री बी॰वी॰एन॰ रेड्डी के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन रही।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 181-185 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 186—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2017 जो 15 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 131(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(8) लक्षद्वीप स्टेट वक्फ बोर्ड, कावरत्ती के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) लक्षद्वीप स्टेट वक्फ बोर्ड, कावरत्ती के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लिमिटेड कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लिमिटेड कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 77(अ) जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (संशोधन) नियम, 2016, जो 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 804(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का॰आ॰ 3264(अ) जो 22 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्रिकेट के संबंध में राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 302(अ) जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्रतियोगिताओं को राष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(20) उपर्युक्त (19) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) वर्ष 2017-2018 के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री पी॰ करुणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 7 फरवरी, 2017 को आयोजित सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में 44वां प्रतिवेदन।

(2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में 45वां प्रतिवेदन।

7. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डी ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2016-2017) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के दसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

8. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेन डेका ने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 201वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विनसेंट एच॰ पाला ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में 90वां प्रतिवेदन।

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-2018) के बारे में 91वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित 'रेलवे में सुरक्षा और संरक्षा' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अुनदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 289वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) विदेश मंत्री ने यूनाइटेड स्टेट्स में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों पर हुए हाल ही के हमलों के बारे में एक वक्तव्य दिया

अपराह्न 12.21 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री राम प्रसाद सरमा द्वारा असम में लोअर सुबरसिरी जलविद्युत परियोजना के निर्माण के बारे में।

(2) श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा बैंकों में बढ़ते एनपीए को कम करने के लिए बैंक ऋण के लिए बंधक संपत्तियों के सही मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री गणेश सिंह द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधी मानदंडों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री मानशंकर निनामा द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद में ईएसआई सुपरस्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा देश में डिजिटल वोटिंग प्रणाली शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा पहाड़ी राज्यों में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की परियोजनाओं को विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मरुस्थलीय क्षेत्रों की सभी बस्तियों में सड़कों के निर्माण को सुकर बनाने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री बाबूलाल चौधरी द्वारा देश में किसानों को आलू का लाभप्रद मूल्य प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा आयुध निर्माणियों में जन शक्ति की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के सिरोही जिले में पेयजल परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के देवघर में सांस्कृतिक पर्यटन विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री थुपस्तान छेवांग द्वारा लद्दाख क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को पुन: आरंभ किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बिहार में सहरसा–फारबिसगंज रेलखंड का आमान–परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में।

(16) श्री के॰एन॰ रामचन्द्रन द्वारा तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बुदूर में बंद पड़े नोकिया संयंत्र को पुन: प्रारंभ किये जाने के बारे में।

(17) श्री ए॰ अरूणमणिदेवन द्वारा नेवेल्ली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना के कारण विस्थापित हुए लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) डॉ॰ (श्रीमती) ममताज़ संघमिता द्वारा कोलकाता से कतिपय सेक्टरों में एअर इंडिया की उड़ान पुन: शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री अर्का केशरी देव द्वारा ओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक उर्वरक डिपो स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवा के लिए भूमिगत केबल बिछाये जाने संबंधी कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आंध्र प्रदेश के अमरावती में सीजीएचएस स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा तेलंगाना के करीमनगर में रुकमापुर में एक मेगा लैदर पार्क स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर द्वारा केरल में अजिक्कल पत्तन के विकास हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा बंगलादेश के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रह रहे लोगों का पुनर्वास किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा बिहार में पूर्वी रेल जोन के अंतर्गत स्वीकृत रेल परियोजनाओं पर कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री सी॰एन॰ जयदेवन द्वारा केरल के त्रिस्सूर शहर में पट्टालाम सड़क को चौड़ा किये जाने के बारे में।

अपराह्न 12.24 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

सर्वश्री वी॰ एलुमलाई और कोडिकुन्नील सुरेश ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक दलित छात्र की संदेहास्पद आत्महत्या के बारे में जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री एंटो एंटोनी, श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल, श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली, श्री (एड॰) जोएस जॉर्ज, श्रीमती सुप्रिया सुले, कु॰ सुष्मिता देव, श्री रवनीत सिंह, श्री गौरव गोगोई, श्री पी॰के॰ बिजू, श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर, श्री एम॰बी॰ राजेश, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री मो॰ बदरुद्दोजा खान और डॉ॰ के॰एच॰ मुनियप्पा सहयोजित हुए।

#श्री अनन्तकुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.27 बजे

13. केन्द्रीय बजट— 2017-2018—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 9 घंटे 40 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 80 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री रमेन डेका
2. श्री थोकचोम मेन्या

*3. श्री दुष्यंत सिंह

*4. श्री पी॰आर॰ सुंदरम

*5. श्री आर॰ गोपालकृष्णन

*6. श्री बी॰ सेनगुट्टुवन

*7. श्री ओम बिरला

#संसदीय कार्य मंत्री।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*8. श्री पी॰ करुणाकरन

*9. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

*10. श्री ए॰टी॰ (नाना) पाटील

*11. श्री रोड़मल नागर

*12. डॉ॰ कुलमणि सामल

*13. श्री जितेन्द्र चौधरी

*14. श्री रामचरण बोहरा

*15. श्री भर्तृहरि महताब

*16. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर

*17. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

*18. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी

*19. श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह

*20. डॉ॰ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)

*21. श्री संजय धोत्रे

*22. श्रीमती संतोष अहलावत

*23. श्री एस॰आर॰ विजयकुमार

*24. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

25. श्री गणेश सिंह

26. श्री तारिक अनवर

27. श्री जी॰ हरि

28. डॉ॰ रवीन्द्र कुमार राय

*29. श्री रामचन्द्रन मुल्लापल्ली

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*30. श्रीमती अंजु बाला

*31. डॉ॰ यशवंत सिंह

32. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती)

*33. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

*34. श्री गोपाल शेट्टी

35. श्री धर्मेन्द्र यादव

36. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

*37. श्री दद्दन मिश्रा

38. श्री राधेश्याम बिस्वास

*39. डॉ॰ जयकुमार जयवर्धन

*40. श्रीमती रीता तराई

41. श्री कामाख्या प्रसाद तासा

*42. श्री हरीशचन्द्र चव्हाण

43. श्री एंटो एंटोनी

*44. श्री विष्णु दयाल राम

45. श्री सी॰पी॰ जोशी

46. श्री राम प्रसाद सरमा

*47. श्री (एड॰) जोएस जॉर्ज

*48. कु॰ शोभा कारान्दलाजे

49. श्रीमती रीति पाठक

*50. श्रीमती के॰ मरगथम

51. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*52. श्री देवजी एम॰ पटेल

53. श्री शरद त्रिपाठी

*54. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

55. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*56. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे

*57. श्रीमती रंजनबेन भट्ट

58. श्री एम॰के॰ राघवन

59. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

*60. श्रीमती प्रियंका सिंह रावत

*61. श्रीमती नीलम सोनकर

62. कुंवर हरिबंश सिंह

*63. श्री नलीन कुमार कटील

64. श्री राजेश पांडेय

*65. डॉ॰ भारती धीरूभाई श्याल

66. श्री नेफिउ रिओ

*67. श्री संजय (काका) रामचन्द्र पाटील

68. डॉ॰ बंसीलाल महतो

*69. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय #

70. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

*71. श्री धर्मेन्द्र कुमार

72. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#उन्होंने अपना भाषण भी दिया।

73. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*74. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील

75. श्री पी॰सी॰ मोहन

*76. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

77. श्री प्रेम दास राई

*78. श्री सुनील कुमार सिंह

79. श्री सुशील कुमार सिंह

*80. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

81. डॉ॰ धर्म वीर गांधी

82. श्री लखन लाल साहू

83. श्री दुष्यंत चौटाला

84. श्री राम टहल चौधरी

*85. श्री जुगल किशोर शर्मा

86. श्री सी॰एन॰ जयदेवन

*87. श्री शिवकुमार सी॰ उदासी

88. श्री विद्युत वरण महतो

89. श्री जोस के॰ मणि

*90. डॉ॰ तपस मंडल

91. श्री नारणभाई काछड़िया

*92. श्रीमती वीणा देवी

*93. डॉ॰ ए॰ सम्पत

*94. श्री एम॰ उदयकुमार

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*95. श्री राज कुमार सैनी

*96. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह

97. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

98. श्री कांतिलाल भूरिया

*99. श्री अर्जुन लाल मीणा

*100. श्री आलोक संजर

101. श्री मो॰ बदरूद्दोजा खान

102. डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

103. श्री अधीर रंजन चौधरी

104. श्री राम मोहन किंजरपू नायडू

105. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान

106. श्रीमती प्रतिमा मंडल

107. श्री शैलेष (बुलो मंडल) कुमार

*108. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम

*109. श्री रामदास सी॰ तडस

*110. डॉ॰ (प्रो॰) किरिट पी॰ सोलंकी

*111. श्री सुमेधानंद सरस्वती

112. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी

*113. श्री राहुल रमेश शेवाले

*114. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल

115. श्री सौमित्र खान

*116. श्री अश्विनी कुमार चौबे

117. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री सुरेश प्रभु ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 1 से 36 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 76 से 95 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 96 से 119 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

अनुदानों की मांग संख्या 80 (राजस्व लेखे और पूंजी लेखे दोनों) जिसके लिए रेल मंत्रालय उत्तरदायी है, वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों की मांगों बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अपराह्न 5.42 बजे

14. केन्द्रीय बजट—2017-2018—अनुदानों की मांगें

आवंटित समय : 4 घंटे
लिया गया समय : 2 घंटे 18 मिनट
शेष समय : 1 घंटा 42 मिनट

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 1 से 3 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''अब सभा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग सं॰ 1 से 3 पर चर्चा तथा मतदान को लेगी।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो वे पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज सकते हैं। केवल वे कटौती प्रस्ताव, जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होंगी उन्हें ही पेश किया गया माना जाएगा।

जिन कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जाएगा उनकी क्रम सं० को दर्शाने वाली सूची उसके तुरन्त बाद सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। तत्पश्चात् यदि किसी सदस्य को सूची में कोई विसंगति का पता चलता है तो वे उसे तत्काल सभा पटल पर उपस्थित अधिकारी के ध्यान में लाएं।''

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 37 कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 1 से 16, 22 से 26, 31 से 38 और 46 से 53) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
2. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
3. डॉ० जयकुमार जयवर्धन
4. डॉ० तपस मंडल
5. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान
6. श्री अरविन्द सावंत
7. श्री एन० क्रिष्टप्पा
8. श्री संजय धोत्रे

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 16 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—5067LS(S3)—15-03-2017.

दिनांक 10.3.2017 के समाचार—भाग-1

संख्या 206 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ 16, (80) डॉ॰ थोक चोम मेन्या का सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) विधेयक, 2017 **के पश्चात्** (81) श्री ओम बिरला का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 3 का संशोधन) जोड़ा जाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 16 मार्च, 2017/25 फाल्गुन, 1938 (शक)

संख्या 209

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या 201—204 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 205—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सिंगरैनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड, कोथागुडेम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरैनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड, कोथागुडेम का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, तेजपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 2016 जो 21 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 994(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(दो) वायुयान (पांचवां संशोधन) नियम, 2016 जो 24 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 997(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी।

4. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री भगत सिंह कोश्यारी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में डॉ॰ मधुसूदन दीक्षित से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

(2) उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन टीम में ग्रामीण/स्थानीय युवाओं की तैनाती के बारे में लोक सभा सदस्य श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा अग्रसारित एवं श्री विजेन्द्र रावत से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

(3) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में सुधार के बारे में लोक सभा सदस्य श्री अरविन्द सावंत से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 27वां प्रतिवेदन।

(4) देश में मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु (एचआईवी)/अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (एड्स) के रोगियों की कथित उपेक्षा करने के बारे में श्री डी॰के॰ जोशी से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 28वां प्रतिवेदन।

(5) इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया पेंशन योजना का भारतीय स्टेट बैंक पेंशन योजना में विलय एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इम्पीरियल बैंक इंडिया पेंशन निधि के कथित दुर्विनियोग के बारे में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया पेंशनभोगी संघ के सचिव श्री सी॰एल॰ कपूर से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 29वां प्रतिवेदन।

(6) भारी राशि के बैंक ऋण की मंजूरी प्राप्त करने में ऊंची पैठ रखने वाले लोगों, उद्योगपतियों की बैंक अधिकारियों के साथ कथित सांठ-गांठ और परिणामस्वरूप

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के बढ़ते जाने के बारे में श्री राजेन्द्र प्रसाद से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 30वां प्रतिवेदन।

(7) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रूपांतरण/निजीकरण एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के आरक्षण अधिकारों का संरक्षण एवं इससे जुड़े मुद्दों के बारे में लोक सभा के संसद सदस्यों सर्वश्री अरविन्द सावंत और राजन विचारे से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 31वां प्रतिवेदन।

(8) भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) के ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र को सशक्त करने के बारे में श्री प्रज्ञा प्रिय राहुल से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे 32वां प्रतिवेदन।

(9) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के संदर्भ में श्री वी॰पी॰ बलवातकर से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

5. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा का प्रतिवेदन

डॉ॰ कुलमणि सामल ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशानिर्देशों में नये प्रावधानों के लिए प्रस्ताव' विषय पर समिति के पांचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. जल संसाधान संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हुकुम सिंह ने जल संसाधन संबंधी समिति (2016-2017) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) जल संरक्षण के स्वदेशी और आधुनिक रूप-तकनीक और पद्धति के बारे में 13वां प्रतिवेदन।

(2) 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की समीक्षा' के बारे में 14वां प्रतिवेदन।

(3) 'जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुनर्भरण-जल निकायों पर अतिक्रमण एवं अतिक्रमण हटाने के लिए अपेक्षित कदम तथा जल निकायों के पुनर्भरण' के बारे में समिति के 10वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(4) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

7. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 280वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारें में 281वां प्रतिवेदन।

(3) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 282वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विदेश मंत्री ने श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों को जान से मार दिए जाने के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री; और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; और पोत परिवहन मंत्रालय राज्य मंत्री की ओर से निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य दिया:—

(एक) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 220वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 227वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 234वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 235वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.05 बजे

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017' के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.16 बजे

9. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

श्री सुरेश प्रभु ने वर्ष 2016-17 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

श्री सुरेश प्रभु ने वर्ष 2013-14 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.18 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना को ग्राहक अनुकूल बनाए जाने तथा इस योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री देवुसिंह भाई चौहान द्वारा गुजरात के खेड़ा जिले के नेपुर में रेलवे प्लेटफार्म और सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

(3) श्री सुधीर गुप्ता द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में रजक/धोबी जाति के लोगों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा महाराष्ट्र में नागपुर और बल्लारशाह के बीच दैनिक इंटरसिटी जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा स्कूली छात्रों का मतदान और स्वच्छता का महत्व समझाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में घाटमपुर के भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री लल्लू सिंह द्वारा देश में उच्च गुणवत्ता वाले नए बीज का उपयोग करके कृषि उत्पादकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखंड के धनबाद में सरकारी विधि महाविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गांवों के विद्युतीकरण का कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम के डिब्रूगढ़ के चाय बागान क्षेत्रों में दो नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा कर्नाटक के सुपारी उत्पादकों की समस्याओं के बारे में।

(12) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ नैपाल सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण हेतु तटबंधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा बिहार के बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ स्टेट बैंक ऑफ ट्रावन्कोर का विलय किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायकों का पारिश्रमिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ॰ के॰ कामराज द्वारा कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल विनियमन समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री सी॰ गोपालकृष्णन द्वारा कावेरी नदी जल विवाद का अंतिम निपटारा होने तक भवानी नदी पर चेक डैम का निर्माण नहीं करने हेतु केरल सरकार को राजी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा देश में मोटापे की समस्या के बारे में।

(20) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री बलभद्र माझी द्वारा विमुद्रीकरण के कारण किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

(22) श्री राहुल शेवाले द्वारा मुम्बई के चेम्बूर और गोवंडी रेलवे स्टेशनों के आस-पास की रेलवे भूमि के अतिक्रमण को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) द्वारा चीनी उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाने के बारे में।

(24) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के राजगीर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने और इसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा के हिसार स्थित दूरदर्शन केन्द्र का स्तरोन्नयन किए जाने के बारे में।

(26) श्री जोस के॰ मणि द्वारा यमन में आतंकवादियों द्वारा अपहरण किए गए केरल के कैथोलिक पादरी को जल्द छुड़ाए जाने के बारे में।

अपराह्न 12.25 बजे

12. केन्द्रीय बजट—2017-2018—अनुदानों की मांगें

लिया गया समय : 8 घंटे 06 मिनट

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन मांग संख्या 1 से 3 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
2. श्री जितेन्द्र चौधरी

3. श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी
*4. श्री नारणभाई काछड़िया
*5. श्री चिंतामन नवाशा वांगा
*6. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
*7. श्री बी॰ विनोद कुमार
*8. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार
*9. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
*10. श्री पी॰ के॰ बीजू
*11. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
*12. श्री एम॰ उदय कुमार
*13. श्री एम॰ के॰ राघवन
*14. श्री देवजी एम॰ पटेल
*15. श्रीमती वीणा देवी
*16. श्री शरद त्रिपाठी
*17. श्रीमती रीता तराई
*18. श्रीमती रंजनबेन भट्ट
*19. श्री अभिजीत मुखर्जी
*20. डॉ॰ थोकचोम मेन्या
*21. श्री सुनील कुमार सिंह
*22. श्री आलोक संजर
23. श्री धनन्जय महादिक
24. श्री निनोंग इरिंग
*25. श्री एंटो एंटोनी
*26. श्रीमती सुप्रिया सुले

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*27. श्री ए॰ टी॰ नाना पाटील

*28. श्री भर्तृहरि महताब

29. श्री सुरेश सी॰ अंगड़ी

*30. डॉ॰ ममताज संघमिता

*31. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

*32. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया

*33. श्री देवेन्द्र सिंह भोले

*34. श्रीमती रीती पाठक

35. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा

*36. श्रीमती अंजू बाला

37. श्री उदय प्रताप सिंह

38. श्री बदरुद्दीन अजमल

*39. श्रीमती प्रियंका सिंह रावत

40. श्री निशिकांत दुबे

*41. श्री जगदंबिका पाल

*42. श्री रोड़मल नागर

43. श्री सुमेधानंद सरस्वती

*44. श्री मो॰ बदरुद्दोजा खान

45. श्री आर॰ के॰ भारती मोहन

46. श्री कंभमपति हरि बाबू

*47. श्री बिद्युत बरण महतो

*48. डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल

49. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

*50. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*51. श्री बी॰ एन॰ चंद्रप्पा

52. श्री निहाल चंद

*53. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

*54. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेश बाबू

55. श्री राम कुमार शर्मा

*56. श्रीमती रेखा वर्मा

57. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल

*58. श्री डी॰ के॰ सुरेश

59. श्री दुष्यंत चौटाला

*60. श्री एस॰ आर॰ विजय कुमार

*61. श्री जी॰ हरि

*62. डॉ॰ कुलमणि सामल

63. श्री वीरेन्द्र कश्यप

*64. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे

*65. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

66. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

67. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*68. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह

69. श्री अजय मिश्र टेनी

*70. श्री लाडू किशोर स्वाईं

71. डॉ॰ रत्ना डे नाग

*72. श्री लखन लाल साहू

73. श्रीमती पी॰ के॰ श्रीमथि टीचर

74. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*75. श्री नलीन कुमार कटील

76. श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

*77. श्री चंद्र प्रकाश जोशी

*78. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

79. श्री राहुल कस्वां

*80. श्री ओम बिरला

81. श्री शैलेश कुमार

*82. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम

83. श्री जुगल किशोर शर्मा

*84. श्री के॰ अशोक कुमार

85. श्री सी॰ एन॰ जयदेवन

*86. श्रीरामेश्वर तेली

*87. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़

88. श्री राम प्रसाद सरमा

*89. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी

*90. श्री गणेश सिंह

91. श्री एन॰ के॰ प्रेमचंद्रन

92. श्रीमती ज्योति धुर्वे

*93. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक

94. श्री राजू शेट्टी

95. श्री प्रकाश बी॰ हुक्केरी

96. श्री दद्दन मिश्रा

*97. प्रो॰ रिचर्ड हे

*98. श्री वी॰ एलुमलाई

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

99. श्री प्रेम दास राय

100. श्रीमती संतोष अहलावत

101. डॉ॰ अंबुमनी रामादोस

102. एड॰ जोएस जार्ज

103. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*104. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील

*105. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

*106. श्री रामसिंह राठवा

*107. श्री कमल भान सिंह मराबी

*108. साध्वी सावित्री बाई फूले

*109. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल

*110. श्री अश्विनी कुमार चौबे

श्री राधा मोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 1 और 2 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 3 से 16, 22 से 26 और 31 से 38 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 46 और 47 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

श्री मो॰ बदरुद्दोजा खान द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 48 से 53 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

अनुदानों की मांग सं॰ 1 से 3 (राजस्व लेखे और पूंजी लेखे दोनों) जिसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय उत्तरदायी है, वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों की मांगों बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 6.14 बजे

13. केन्द्रीय बजट—2017-2018 अनुदानों की मांगें

आवंटित समय : 4 घंटे
लिया गया समय : 1 घंटा 51 मिनट
शेष समय : 2 घंटे 09 मिनट

रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 19 से 22 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''अब सभा रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग सं॰ 19 से 22 पर चर्चा तथा मतदान को लेगी।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो वे पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज सकते हैं। केवल वे कटौती प्रस्ताव, जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होंगी उन्हें ही पेश किया गया माना जाएगा।

जिन कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जाएगा उनकी क्रम सं॰ को दर्शाने वाली सूची उसके तुरंत बाद सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में किसी विसंगति का पता चलता है तो वे उसे तत्काल सभा पटल पर उपस्थित अधिकारी के ध्यान में लाएं।''

रक्षा मंत्रालय से संबंधित 29 कटौती प्रस्ताव (संख्यांक 12 से 25, 29 से 31, 36 और 37 और 48 से 57 पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री आर॰के॰ सिंह
2. प्रो॰ सुगत बोस
3. श्री पिनाकी मिश्रा
4. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
5. श्री आनंदराव अडसुल

6. डॉ० ए० संपत

7. श्री हरिओम सिंह राठौड़

8. श्री गोपाल शेट्टी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 8.05 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 17 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—5101LS(S3)—16-03-2017.

दिनांक 15.03.2017 के समाचार भाग–1

संख्या 208 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ 12 पंक्ति 18 में *69 श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय#'' का **लोप** किया जाए। पृष्ठ 14 पंक्ति 09 क्रमांक 103 श्री अधीर रंजन चौधरी के **पश्चात्** ''104 श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय'' जोड़ा जाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 17 मार्च, 2017/26 फाल्गुन, 1938 (शक)

संख्या 210

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—226 के मौखिक उत्तर दिया गए। तारांकित प्रश्न संख्या 227—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2106 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2106 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2015-2106 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ नैचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2015-2106 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ नैचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन योग एंड नैचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2106 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन योग एंड नैचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2106 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(15) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) विनियम, 2017, जो 2 फरवरी, 2017 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 86(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 के खण्ड (2ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 85(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जो ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई या करने के लिए छोड़ दी गई चीजों के बारे में के सिवाय भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) नियम, 1972 को निरस्त करने के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (पहला संशोधन) नियम, 2017 जो 20 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 61(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन अधिनियम, 2003 की धारा 6 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचनस सं॰ का॰आ॰ 35688अ) जो 28 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 दिसम्बर, 2016 की तिथि को ऐसी तिथि के रूप में नियुक्त किया गया है जब उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) धन-शोधन अधिनियम 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन-शोधन (निरसन) संशोधन नियम, 2016 जो 6 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1116(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 109(अ) जो 7 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाश्ति हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं॰ 44/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 110(अ) जो 7 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2016 की अधिसूचना

सं॰ 45/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 143(अ) जो 17 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के पदाविहित प्राधिकारी द्वारा संचालित प्रतिपाटन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भुत अथवा वहां से निर्यातित सीमलेस ट्यूब, पाइप और लौह, मिश्र या अमिश्र इस्पात चाहे ये हॉट फिनिश्ड या कोल्ड ड्रॉन या कोल्ड रोल्ड हों, के होलो प्रोफाइलों के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख अर्थात् 17 मई, 2016 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(21) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) सा॰का॰नि॰ 65(अ) जो 20 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 13 अगस्त, 1993 की अधिसूचना संख्या 153/93-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 71(अ) जो 27 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 87(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 27/2011-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 88(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 21/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 89(अ), जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय (क) विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन सेल आधारित प्रणाली की प्रारंभिक स्थापना करने या प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए और (ख) बायोगैस या बायो मिथेन या बाई-प्रोडक्ट हाइड्रोजन पर संचालित प्रणालियों

के संतुलन के लिए अपेक्षित मशीनरी की सभी मदों पर आधारभूत सीमा शुल्क को 10/7.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करना है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 90(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) एक्सपोर्ट मैनिफैस्ट (एयरक्राफ्ट) अमेंडमेंट रेगुलेशन्स, 2016 जो 11 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 786(अ) में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) इम्पोर्ट मैनिफैस्ट (एयरक्राफ्ट) अमेंडमेंट रेगुलेशन्स, 2016 जो 11 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 787(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) कस्टम्स बैगेज डिक्लरेशन (अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2015 जो 18 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 639(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा॰का॰नि॰ 181(अ) जो 18 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/97-सी॰शु॰, (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा॰का॰नि॰ 311(अ) जो 16 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/97-सी॰शु॰, (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रोनिक डिक्लरेशन) (अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2016 जो 1 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 393(अ) में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सीमा शुल्क (सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए शुल्क) संशोधन विनियम, 2016 जो 1 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1294(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा॰का॰नि॰ 462(अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 92, 93, 94, 95, 97 और 98 के उपबंधों से अनन्य रूप से तटीय वस्तुओं को ले जाने वाले जलयानों को छूट दी गई है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा॰का॰नि॰ 463(अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आयातित वस्तुएं या निर्यात वस्तुएं, जैसी भी स्थिति हो, ले जाने वाले जलयानों द्वारा उपयोग किए गए बर्थ से संचालित अनन्य रूप से तटीय वस्तुओं को ले जाने वाले जलयानों को छूट दी गई है और ऐसे जलयानों के प्रभारी व्यक्ति या उसके अभिकर्ता जलयान के पहुंचने या प्रस्थान करने के पूर्व तटीय मैनिफैस्टो समुचित अधिकारी को देंगे, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा॰का॰नि॰ 461(अ) जो 27 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/97–सी॰शु॰, (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर वस्तुओं का आयात) दूसरा (संशोधन) नियम, 2016 जो 14 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2407(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा॰का॰नि॰ 821(अ) जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना सं॰ 78/2014–सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो की संभलाई (संशोधन) विनियम, 2016 जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 822(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा॰का॰नि॰ 1006(अ) जो 25 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना सं॰ 66/1996–सी॰शु॰ को निरस्त किया गया है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) आयात शुल्क का अस्थगित संदाय नियम, 2016 जो 2 नवम्बर, 2016 अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1037(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा॰का॰नि॰ 1038(अ) जो 2 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आयात शुल्क के अस्थगित संदाय करने के लिए एईओ (टियर-2) और एईओ (टियर-3) पर प्राधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम के अधीन प्रमाणित आयातकों को अनुमति दी गई है, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा॰का॰नि॰ 1093(अ) जो 25 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना सं॰ 12/97-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) कुरियर आयात और निर्यात (मंजूरी) संशोधन विनियम, 2016 जो 29 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1099(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) उपर्युक्त मद संख्या (21) के (दस) से (चौबीस) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) सा॰का॰नि॰ 72(अ) जो 30 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 30 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 73(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 100(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(24) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) सा०का०नि० 91(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 6/2005-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 92(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या 42/2008-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 93(अ), जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय (क) विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन सेल आधारित प्रणाली की प्रारंभिक स्थापना करने या प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए और (ख) बायोगैस या बायोमिथेन या बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन पर संचालित प्रणालियों के संतुलन के लिए अपेक्षित मशीनरी की सभी मदों पर 6 प्रतिशत रियायती सीमा शुल्क/सीवी शुल्क को विनिर्धारित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 94(अ), जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 95(अ), जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 16/2010-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) संशोधन नियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 96(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) चर्बनशील तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू पैंकिग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) संशोधन नियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 97(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 98(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 99(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(25) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2017 जो 17 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 41(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(28) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) 14वां संशोधन विनियम, 2016 जो 3 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पी॰ 15025/6/2004-पीएफएस/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 11-1/2015-आईएनसी जो 20 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय नर्सिंग परिषद के क्रिटिकल केयर

पोस्ट गेजुएट रेजिडेंशी प्रोग्राम में नर्स प्रैक्टिसनर के पाठयक्रम और विनियमों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(31) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2016 जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षा जारी करना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/017 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2016 जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/021 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्याय) (संशोधन) विनियम, 2016 जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/022 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो 15 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/024 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्तव्य और प्रकटीकरण सूचीयन) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 15 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/029 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षा) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 15 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/030 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 15 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/031 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (नगर निगमों द्वारा ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीयन) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 15 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/032 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कतिपय बिचौलियों के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2016 जो 8 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/023 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर) (संशोधन) विनियम, 2016 जो 2 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/019 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) प्रतिभूति संविदा (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लीरिंग कार्पोरेशन) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 12 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/020 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) प्रतिभूति संविदा (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज और क्लीरिंग कार्पोरेशन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 15 फरवरी, 2017 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/033 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपोजिटरी और भागीदार) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 15 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2016-17/034 में प्रकाशित हुए थे।

4. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 3 फरवरी, 2017 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 16वीं लोक सभा के 11वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 2 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

(1) विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) विधेयक, 2017; और

(2) शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 2014 के सी॰ एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 17 के पैरा सं॰ 2.2 पर आधारित 'साझा मोबाइल अवसंरचना स्कीम' विषय पर 64वां प्रतिवेदन।

(2) 2015 के सी॰ एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 16 पर आधारित 'नियंत्रण मुक्त फास्फैटिक और पोटैसिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता नीति' विषय पर 65वां प्रतिवेदन।

(3) 'अचयनित लेखापरीक्षा पैराग्राफ (नागरिक और अन्य मंत्रालय) पर की गई कार्यवाही टिप्पणियों के समय पर प्रस्तुतीकरण में मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन' के बारे में 66वां प्रतिवेदन।

6. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) पर 35वां प्रतिवेदन।

(2) इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) पर 36वां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) पर 37वां प्रतिवेदन।

7. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और निवेश तथा लोक आस्ति प्रबंध विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 46वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 48वां प्रतिवेदन।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रह्लाद जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) पर 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रामचरण बोहरा ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

10. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (नि:शक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

(4) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

12. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुभाष चन्द्र बहेरिया ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) वाणिज्य विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 132वां प्रतिवेदन।

(2) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 133वां प्रतिवेदन।

13. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 244वां प्रतिवेदन।

(2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 245वां प्रतिवेदन।

(3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 246 वां प्रतिवेदन।

(4) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 247वां प्रतिवेदन।

(5) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 248वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

14. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने 20 मार्च, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.18 बजे

15. अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)

श्री अरुण जेटली ने वर्ष 2016-17 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.19 बजे

16. केन्द्रीय बजट—2017-18 अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 4 घंटे 27 मिनट

रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन मांग संख्या 19 से 22 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री ज्योतिरादियत्य एम॰ सिंधिया
@2. श्री अरुण जेटली
3. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
4. डॉ॰ के॰ गोपाल
*5. श्रीमती सुप्रिया सुले
*6. श्री रंग आप्पा बारणे
*7. श्री बी॰ विनोद कुमार
*8. श्रीमती अंजु बाला

@वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*9. डॉ॰ रत्ना डे नाग

*10. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोस

*11. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

*12. श्री मो॰ बदरुद्दोजा खान

*13. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

*14. श्री एस॰ राजेन्द्रन

*15. डॉ॰ ममताज संघमिता

*16. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील

*17. श्री रामेश्वर तेली

*18. श्री सुनील कुमार सिंह

*19. श्री शरद त्रिपाठी

*20. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू

*21. श्री आलोक संजर

*22. प्रो॰ चिंतामणि मालवीय

*23. श्री पी॰के॰ बीजू

*24. डॉ॰ भारतीबेन श्याल

*25. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़

*26. श्रीमती प्रियंका सिंह रावत

*27. श्री हरि ओम पाण्डेय

*28. श्री निशिकांत दुबे

29. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*30. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*31. श्री आर॰के॰ भारती मोहन

*32. श्री देवजी एम॰ पटेल

*33. प्रो॰ रिचर्ड हे

34. श्री भोला सिंह

35. श्रीमती प्रतिमा मंडल

*36. साध्वी सावित्री बाई फूले

*37. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमेगौड़ा

*38. श्री डी॰के॰ सुरेश

*39. श्री प्रभास कुमार सिंह

*40. श्रीमती संतोष अहलावत

41. श्रीमती नीलम सोनकर

42. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

43. श्री गौरव गोगोई

*44. श्री नारण भाई काछड़िया

*45. श्रीमती रेखा वर्मा

46. श्री रत्न लाल कटारिया

*47. श्रीमती रीती पाठक

*48. श्रीमती सत्यबामा

49. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

50. एड॰ जोएस जॉर्ज

51. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

*52. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*53. श्री जुगल किशोर

*54. श्री के॰ अशोक कुमार

55. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव

*56. श्री ओम बिरला

*57. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत

*58. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल

*59. श्री भर्तृहरि महताब

*60. श्री गणेश सिंह

*61. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

*62. डॉ॰ कृष्ण प्रताप सिंह

*63. श्रीमती पूनमबेन माडम

*64. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत

*65. श्री अश्विनी कुमार चौबे

डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 12 से 25 और 29 से 31 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

श्री गौरव गोगोई द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 36,37 और 52 से 57 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 48 से 51 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

अनुदानों की मांग सं॰ 19 से 22 (राजस्व लेखे और पूंजी लेखे दोनों) जिसके लिए रक्षा मंत्रालय उत्तरदायी है, वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों की मांगों बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 2.56 बजे

17. केन्द्रीय बजट—2017-2018 अनुदानों की मांगें

लिया गया समय : 3 घंटे 42 मिनट

गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग सं॰ 46 से 55 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

> ''अब सभा गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग सं॰ 46 से 55 पर चर्चा तथा मतदान को लेगी।
>
> सभा में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो वे पेश किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज सकते हैं। केवल वे कटौती प्रस्ताव, जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होंगी उन्हें ही पेश किया गया माना जाएगा।
>
> जिन कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जाएगा उनकी क्रम सं॰ को दर्शाने वाली सूची उसके तुरंत बाद सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में किसी विसंगति का पता चलता है तो वे उसे तत्काल सभा पटल पर उपस्थित अधिकारी के ध्यान में लाएं।''

गृह मंत्रालय से संबंधित 39 कटौती प्रस्ताव (संख्याक 2 से 5, 14 से 27 और 39 से 59) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मल्लिकाजुर्न खड़गे
2. श्री हरीश चंद्र मीणा

*3. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत

*4. श्री कौशलेन्द्र कुमार

*5. श्री विनायक भाउराव राउत

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*6. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव

*7. श्रीमती सुप्रिया सुले

8. श्रीमती काकोली घोष दस्तीदार

*9. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़

10. श्री तथागत सत्पथी

*11. श्री अर्का केशरी देव

*12. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू

*13. श्री महेश गिरी

14. डॉ॰ रवीन्द्र बाबू

15. श्री बी॰ विनोद कुमार

16. श्री मोहम्मद सलीम

17. श्री विष्णु दयाल राम

*18. श्री जितेन्द्र चौधरी

*19. श्रीमती पूनमबेन माडम

20. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

*21. स्वामी सुमेधानंद सरस्वती

22. डॉ॰ उदित राज

*23. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी

24. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

*25. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

26. श्रीमती किरण खेर

*27. श्री रामचरण बोहरा

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*28. श्रीमती रीती पाठक

*29. श्री अशोक संजर

*30. श्री रोड़मल नागर

31. श्री अभिजीत मुखर्जी

*32. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल

*33. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

*34. श्री चंद्र प्रकाश जोशी

35. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

36. कुवंर भारतेन्द्र सिंह

*37. श्री निशिकांत दुबे

38. श्री दुष्यंत चौटाला

*39. डॉ॰ थोकचोम मेन्या

40. डॉ॰ संजय जायसवाल

*41. श्री सुनील कुमार सिंह

*42. श्री निहाल चंद चौहान

*43. डॉ॰ अंजू बाला

*44. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश

*45. श्री ओम बिरला

*46. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

*47. श्री प्रेम दास राय

*48. श्री जुगल किशोर

*49. प्रो॰ रिचर्ड हे

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

श्री राजनाथ सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 2 से 4 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

श्री अधीर रंचन चौधरी द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 5,39 और 59 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव सं॰ 14 से 27 पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए।

अनुदानों की मांग सं॰ 46 से 55 (राजस्व लेखे और पूंजी लेखे दोनों) जिसके लिए गृह मंत्रालय उत्तरदायी है, वर्ष 2017-18 के लिए अनुदानों की मांगों बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

$18. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने कार्य मंत्रणा समिति का 41वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सायं 6.39 बजे

(लोक सभा सोमवार, 20 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

$अपराह्न 5.49 बजे

GMGIPMRND—5251LS(S3)—17-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 20 मार्च, 2017/29 फाल्गुन, 1938 (शक)

संख्या 211

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्य द्वारा शपथ

पंजाब के अमृतसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री गुरजीत सिंह औजला ने पंजाबी में शपथ ली, सदस्यों के नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 241 (246 के साथ जोड़ा गया) सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने सभा पटल पर उत्तर रखा। प्रश्न संख्या 241 के पूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 242—245 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 247—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी॰वी॰ गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इम्पलाईज स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2017 जो 20 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 62(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (केन्द्रीय) तीसरा संशोधन नियम, 2016 जो 22 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1166(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) नेशनल डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आर्डिनेंसेज, 2016, जो 4 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीनेट-12/08/2016 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) फर्स्ट स्टैच्यूट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद जो 17 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनआईडीए-जीसी-143-144-2016 में प्रकाशित हुए थे।

(9) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अधीन विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2016 जो 3 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 2(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राईजेज, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राईजेज, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) यू॰टी॰ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एंड दीव (सर्व शिक्षा अभियान मिशन), दमन के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू॰टी॰ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन एंड दीव (सर्व शिक्षा अभियान मिशन), दमन के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर आल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर आल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट आफिस राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान) छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट प्रोजेक्ट आफिस राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान) छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) ओरोविले फाउंडेशन, ओरोविले के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओरोविले फाउंडेशन, ओरोविले के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) महर्षि संदिपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि संदिपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि संदिपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिल्चर, सिल्चर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिल्चर, सिल्चर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कालीकट के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागालैंड, नागालैंड के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागालैंड, नागालैंड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशग्ने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेघालय, शिलांग के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेघालय, शिलांग के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरथकल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक, सूरथकल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) राजीव गांधी युनिवर्सिटी, रोनो हिल्स के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(62) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(63) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

5. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2016-17) का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (16वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया।

6. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती सुप्रिया सुले ने विदेश मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डी ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 15वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

8. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवदेन

डॉ॰ किरीट सोमैय्या ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2016-17)' के बारे में उनके 16वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(2) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 23वां प्रतिवदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 24वां प्रतिवदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

9. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवदेन

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों 2017-18' के बारे में 31वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों 2017-18' के बारे में 32वां प्रतिवेदन

10. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

(2) भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

(3) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

(4) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

(5) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)' के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

11. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने इस्पात मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2017-18)' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे।

12. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ संजय जायसवाल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 99वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 100वां प्रतिवेदन।

(3) आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 101वां प्रतिवेदन।

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 275वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी

स्थायी समिति के 233वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

14. प्रस्ताव

श्री अनंत कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा 17 मार्च, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 41वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

15. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017

16. माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

"माननीय सदस्यगण, कार्य मंत्रणा समिति की 17 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में हुई सहमति के अनुसार, आज सायं 6 बजे गिलोटिन किया जाना है। चूंकि अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) का निपटान आज सायं 5 बजे तक किए जाने की संभावना है, यदि सभा सहमत हो तो हम सायं 5 बजे गिलोटिन कर सकते है।

आशा है सभा इससे सहमत है।"

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 12.08 बजे

17. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांचौर तहसील के गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात में मेहसाणा से राधनपुर के लिए रेल सेवाओं का विकास किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में डाकघर में सेवानिवृत्त व्यक्तियों द्वारा जमा की गई धनराशि को वापस किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री लखन लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बिलहा और केसला के बीच रेलवे समपार पर एक रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री बहादुर सिंह कोली द्वारा भोपाल–जयपुर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 19711/19712) को राजस्थान में भरतपुर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा गुजरात के बारदोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल समापरों पर अंडर ब्रिज और ऊपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) कुंवर भारतेन्द्र सिंह द्वारा मानसिक अवसाद के उपचार हेतु औषधियों के इस्तेमाल के लिए दिशा–निर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री कीर्ति आजाद द्वारा बिहार के पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती संतोष अहलावत द्वारा राजस्थान में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के खेतड़ी कॉपर काम्पलेक्स में कार्यरत संविदा श्रमिकों को वेतन, भत्ते और अन्य सेवा लाभों की बकाया राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा कोचीन विमान पत्तन के साथ–साथ कालीकट विमानपत्तन से भी हज सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री गौरव गोगोई द्वारा असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अद्यतन बनाने के लिए कर्मचारियों की कमी के बारे में।

(12) श्रीमती आर॰ वनरोजा द्वारा तमिलनाडु के तिरूवन्नमलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अपेक्षित विभिन्न रेल सुविधाओं के बारे में।

(13) श्री वी॰ एलुमलाई द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 संबंधी कार्य को पूरा किए जाने के बारे में।

(14) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरामबाग और चन्द्रकना नगरपालिकाओं में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री सुल्तान अहमद द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बनाए जाने के बारे में।

(16) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा अशोक चक्र विजेताओं को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश के गुंटुर में मड क्रैब और सीबास हैचरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा देश में आशा कर्मियों के पारिश्रमिक को संशोधित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा आन्ध्र प्रदेश के अराकु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या के बारे में।

(20) श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नादिया जिलों में बार्डर हाट स्थापित जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) मोहम्मद फैजल द्वारा लक्षद्वीप में हैलिकॉप्टर के लिए रात में उतरने की सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री रामा किशोर सिंह द्वारा बिहार के वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे किसानों जिनकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 के विस्तार हेतु अधिग्रहीत की गई है, को समुचित क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.09 बजे

18. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने आस्ट्रेलिया में एक मलयालयी पादरी पर हुए कथित हमले के बारे में निवेदन किया।

श्री मो॰ बदरूद्दोज़ा खान, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री एम॰बी राजेश, श्री गौरव गोगोई, श्री निनोंग इरिंग, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन, श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन और श्री जार्ज बेकर सहयोजित हुए।

*श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.11 बजे

19. (एक) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)—2016-17

(दो) अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (रेल)—2013-14

लिया गया समय : 6 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एक साथ ली गईं:—

(एक) वर्ष 2016-17 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) संख्या 10 और 16, और

(दो) अतिरिक्त अनुदानों मांगें की (रेल) संख्या 5,6,8,10,13,15 और 16

वर्ष 2016-2017 के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें (रेल) संख्या 10 और 16 वर्ष 2016-2017 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2013-2014 के बजट (रेल) के संबंध में सभी अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 5,6,8,10,13,15 और 16 वर्ष 2013-2014 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

20. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 *विधेयक,* 2017

21. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 *विधेयक,* 2017

श्री सुरेश प्रभु द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

*संसदीय कार्य मंत्री।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सुरेश प्रभु द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

22. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (रेल) विधेयक, 2017

23. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (रेल) विधेयक, 2017 श्री सुरेश प्रभु द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री सुरेश प्रभु द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह् 12.18 बजे

24. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2016-2017

लिया गया समय: 3 घंटे 46 मिनट

वर्ष 2016-2017 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 25, 27 से 30, 32, 36 से 39, 41 से 44, 46, 48, 50 से 54, 56, 58 से 61, 67, 68, 74, 75, 77, 78 और 80 से 98 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल
2. श्री किरीट सोमैया
3. श्री जी॰ हरि

(*लोक सभा अपराह्न* 1.09 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.12 *बजे पुन: समवेत हुई*।)

अपराह्न 2.12 बजे

4. प्रो॰ सुगत राय
*5. श्रीमती वी॰ सत्यबामा
*6. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
*7. श्री नलिन कुमार कटील
8. श्री भर्तृहरि महताब
*9. श्री एस॰ आर॰ विजय कुमार
*10. श्री डी॰ के॰ सुरेश
*11. श्री गणेश सिंह
*12. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़
*13. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
14. श्री राहुल शेवाले
*15. श्रीमती सुप्रिया सुले
16. श्री एम॰ मुरली मोहन
17. प्रो॰ रिचर्ड हे
*18. श्री रामेश्वर तेली
19. श्री ए॰ पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
20. श्री पी॰ करुणाकरन
*21. श्री ए॰ अरुणमणिदेवन

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

22. श्रीमती रेणुका बुत्ता
*23. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार
*24. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
25. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
*26. श्री के॰ अशोक कुमार
*27. श्रीमती अंजू बाला
28. श्री निनोंग इरिंग
*29. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
*30. श्रीमती रीती पाठक
31. श्री पशुपति नाथ सिंह
*32. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी
33. श्री पी॰ आर॰ सुंदरम
*34. श्रीमती वीणा देवी
35. श्री राजेश पाण्डेय
36. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
37. श्री मोहम्मद फैजल
38. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
*39. श्री रामचरण बोहरा
40. श्री ताम्रध्वज साहू
41. एड॰ जोएस जार्ज
*42. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
*43. श्री अजय मिश्रा टेनी
*44. श्री नारणभाई काछड़िया
*45. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
*46. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

*47. श्री गजानन कीर्तिकर

*48. श्री देवजी एम॰ पटेल

*49. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

*50. श्री जगदंबिका पाल

*51. श्रीमती रंजनबेन भट्ट

*52. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

*53. श्रीमती ज्योति धुर्वे

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 25, 27 से 30, 32, 36 से 39, 41 से 44, 46, 48, 50 से 54, 56, 58 से 61, 67, 68, 74, 75, 77, 78 और 80 से 98 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), वर्ष 2016-17 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य)—तीसरे बैच की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

25. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017

26. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री अरुण जेटली की ओर से श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

---

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 5.07 बजे

27. केन्द्रीय बजट (सामान्य)-2017-2018—अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष ने घोषणा की कि वर्ष 2017-18 के अनुदानों की मांगों (सामान्य) से संबंधित सभी कटौती प्रस्ताव, जो परिचालित किए गए थे, को पेश किया गया माना जाए।

सभी कटौती प्रस्ताव, जिन्हें पेश किया गया माना गया था, अस्वीकृत हुए।

वर्ष 2017-18 के बजट (सामान्य)-अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 4 में दर्शायी गयी राशि के लिए निम्नलिखित बकाया अनुदानों की मांगों (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई और पूरी-पूरी स्वीकृत हुई:—

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 4

(2) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 6 से 8

(4) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 10

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12

(7) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 और 15

(8) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 15 और 16

(9) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17

(10) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18

(11) उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23

(12) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24

(13) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25

(14) इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 26

(15) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27

(16) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28

(17) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29 से 36, 39 और 40

(18) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 41

(19) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 42 और 43

(20) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 44 और 45

(21) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 56

(22) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57 और 58

(23) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 59

(24) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60

(25) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61 और 62

(26) लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64

(27) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65

(28) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 66

(29) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67

(30) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68

(31) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69

(32) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70

(33) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72

(34) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73

(35) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74

(36) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 76

(37) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 77

(38) उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 78

(39) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 81

(40) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82 और 83

(41) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 84 से 86

(42) पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87

(43) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 88

(44) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89 और 90

(45) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 91

(46) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92

(47) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93

(48) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 94

(49) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 95

(50) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96

(51) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97

(52) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98

(53) महिला और बाल-विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99

(54) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100

सायं 5.13 बजे

28. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग विधेयक, 2017

29. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग विधेयक, 2017

श्री अरुण जेटली की ओर से श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

*सायं 6.00 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 21 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

*अपराह्न 5.16 बजे से सायं 6.00 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए।

GMGIPMRND—5292LS(S3)—20-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 (शक)

संख्या 212

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261—265 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 266—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2015-16 (खंड I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथारिटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथारिटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2017 जो 6 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 349(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(11) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैब्लीटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैब्लीटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्टस लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ओटकमुंड के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ओटकमुंड का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(21) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

4. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री के॰ अशोक कुमार ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों' की मांगों 2017-18 के बारे में 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती किरण खेर ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2017-18 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 202वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (मांग संख्या 98) की अनुदानों की मांगों 2016-17 के बारे में 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 286वां प्रतिवेदन।

(2) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (मांग संख्या 100) की अनुदानों की मांगों 2016-17 के बारे में 287वां प्रतिवेदन।

(3) उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2017-18 (मांग संख्या 58) के बारे में 288वां प्रतिवेदन।

(4) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2017-18 (मांग संख्या 99) के बारे में 289वां प्रतिवेदन।

(5) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2017-18 (मांग संख्या 57) के बारे में 290वां प्रतिवेदन।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री; और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(एक) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

#अपराह्न 12.05 बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने नैफेड को और अधिक मात्रा में तूर दाल का क्रय करने का निदेश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री भगवंत खुबा, श्री शिवकुमार उदासी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा, श्री डी॰के॰ सुरेश, श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा, श्री भैरों प्रसाद मिश्र सहयोजित हुए।

*श्री राम विलास पासवान ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।)

#अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री।

अपराह्न 2.03 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखेः—

(1) श्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा बिहार के वाल्मीकीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रक्सौल से नरकटियागंज और नरकटियागंज से भिखनाठोरी तक रेल लाइनों के आमान परिवर्तन कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री मुकेश राजपूत द्वारा आलू उत्पादकों के कल्याण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा उत्तर प्रदेश के लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'स्टैंडअप इंडिया' योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार व्यक्तियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री गणेश सिंह द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत सभी पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा देश के आर्थिक केन्द्र बनने की अत्यधिक संभावना वाले अम्बाला में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री देवुसिंह चौहान द्वारा हाइब्रिड/इलेक्ट्रॉनिक कारों के पंजीकरण के बारे में

(7) श्री रोड़मल नागर द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा बिहार के मधुबनी जिले में राजाबली गढ़ और नौ लखा मंदिर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा मध्याह्न भोजन के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में।

(10) श्री निहाल चन्द द्वारा पंजाब से राजस्थान के उसके हिस्से का पूरा पानी दिए जाने और भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में राजस्थान से एक सदस्य नामित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में जल परीक्षण प्रयोगशाला और पर्यावरणीय सूचना प्रणाली (ईएनवीआईएस) स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा पत्रकारों को मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार पत्रकारों को वेतन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) प्रो॰ के॰ वी॰ थामस द्वारा मीडिया के लिए नए वेज बोर्ड के विचारार्थ विषय में संशोधन कर इसका गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एम॰ आई॰ शनवास द्वारा किसानों द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गोड़ा द्वारा देश में आवासीय विद्यालयों की निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री एस॰ आर॰ विजय कुमार द्वारा चेन्नै मेट्रो रेल परियोजना के समझौता ज्ञापन में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री जी॰ हरि द्वारा भारी वर्षा और चक्रवात से प्रभावित तमिलनाडु को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्रीमती प्रतिमा **मण्डल** द्वारा पश्चिम बंगाल में मतला नदी तथा इसकी सहायक नदियों से गाद निकाले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) प्रो॰ सौगत राय द्वारा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों मुठभेड़ की घटनाओं में वृद्धि के बारे में।

(20) श्री अर्का केशरी देव द्वारा ओडिशा में कंटाबाजी और खरियार के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा प्रत्येक संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष तीन करोड़ रुपए दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा 10+2 पाठयक्रम के छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री पी॰ के॰ बिजू द्वारा बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार या ट्रांजेक्सन फी लिए जाने के बारे में।

(25) कुँवर हरिवंश सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सभागार के निर्माण हेतु निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री राजू शेट्टी द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सांड दौड़ को वैद्य बनाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.04 बजे

10. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

वित्त विधेयक, 2017

आबंटित समय	:	8 घंटे
लिया गया समय	:	3 घंटे 56 मिनट
शेष समय	:	4 घंटे 04 मिनट

श्री अरुण जेटली ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 219 का उल्लंघन करते हुए वित्त विधेयक में भारी संख्या में अधिनियमों के संशोधनों को शामिल किए जाने पर आपत्ति उठाई।

श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त मंत्री ने उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि गत वर्ष वित्त विधेयक, 2016 पर विचार करते समय जब इसी प्रकार की आपत्तियां उठाई गई थीं, तो मैंने टिप्पणी की थी कि नियम 219 के अनुसार, वित्त विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही यह नियम गैर-कराधान वाली प्रस्थापनाओं को शामिल किए जाने की संभावना को अस्वीकार नहीं करता। अत:, मैंने इसकी स्वीकृति दी है। वित्त विधेयक में गैर-कराधान वाली प्रस्थापनाएं भी अंतर्विष्ट हो सकती हैं।

अब दूसरी बात यह है कि नि:संदेह कराधान उपायों को अन्य विषयों से पृथक किए जाने का हर प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। किन्तु जैसा कि वित्त मंत्री द्वारा विस्तृत

रूप से स्पष्ट किया गया है, मुझे इन बातों की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है..... मैं अपना विनिर्णय दे रही हूं।

इस प्रकार, अनुषंगी उपबंध किए जा सकते हैं। इसी कारणवश, इस बात का ध्यान रखते हुए कि नियम 219 में वित्त विधेयक में गैर–कराधान वाली प्रस्थापनाओं को शामिल किए जाने पर विशिष्ट रूप से प्रतिबंध नहीं है, मैं व्यवस्था के प्रश्न को खारिज करती हूं।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद–विवाद में भाग लिया:—

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
2. श्री राकेश सिंह
3. श्री एम॰ चन्द्रकासी
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री गजानन कीर्तिकर
7. श्री राम मोहन नायडू किंजरपू
8. श्री योगी आदित्यनाथ
9. श्रीमती कविता कलवकुंतला
10. श्री मो॰ बदरूद्दोजा खान
11. श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी
12. श्रीमती के॰ मरगथम
13. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
14. श्री निशिकांत दूबे

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा बुधवार, 22 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—5349LS(S3)—21-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 22 मार्च, 2017/1 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 213

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281—285 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 286—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति-प्रसुविधाएं) संशोधन नियम, 2016, जो 27 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 170(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी भर्ती में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 89 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) डिजिटल हस्ताक्षर (अंतिम सत्ता) नियम, 2015, जो 26 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 660(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूचना प्रौद्योगिकी (प्रतिभूति प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2015, जो 26 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 661(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणकर्ता प्राधिकारी) संशोधन नियम, 2015, जो 26 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 662(अ) में प्रकाशित हुए थे।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(1) कि 20 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा 9 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई:—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ सं॰ 1, पंक्ति 1, ''सड़सठवें'' शब्द के **स्थान** पर ''अड़सठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खण्ड-एक

2. कि पृष्ठ सं॰ 1, पंक्ति 3, ''2016'' अंक **के स्थान पर** ''2017'' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

(2) कि 21 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017 को पारित किया।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

कुंवर भारतेन्द्र सिंह ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 287वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री; और भूमि विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(एक) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 259वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 274वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 286वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*अपराह्न 12.58 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशनुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और मन्दबुद्धि बच्चों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा और ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल की मोबाईल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा बिहार में मुजफ्फरपुर और बारहाट रेलवे स्टेशनों के नाम क्रमश: शहीद खुदीराम बोस तथा शहीद सतीश के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री हुकुम सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय की दर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रामचरण बोहरा द्वारा जयपुर और शिरडी के बीच सीधी रेल सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी दिव्यांगों, विधवाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों को पेंशन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 12.57 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(8) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान के राज्य राजमार्ग कारोई–राशमी–कपासन–भदसेड़ा को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा मुम्बई और अहमदाबाद को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को आठ लेन का किए जाने के प्रस्ताव के बारे में।

(10) श्री जॉर्ज बेकर द्वारा पश्चिम बंगाल में बंद पड़ी जूट मिलों को पुनः खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री दद्दन मिश्रा द्वारा आग लगने की घटनाओं से प्रभावित लोगों को मकान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भूमिगत जलाशय के निर्माण हेतु एक व्यापक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आयुष अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा सीएसडी कैंटीन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता वाली किराने की वस्तुएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री डी॰एस॰ राठौड़ द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा देश में बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु निधियां जारी किए जाने के बारे में।

(18) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री के॰ अशोक रंजीत रंजन द्वारा तमिलनाडु में बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंसेज एंड एनीमल हस्बेंड्री पाठ्यक्रम में प्रवेश की वर्तमान प्रणाली को जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डॉ॰ रत्ना डे नाग द्वारा देश में मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा देश में स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत के बारे में।

(22) श्री राहुल शेवाले द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को सस्ते कमान उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव द्वारा आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा विजयनगरम् में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में।

(24) श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी द्वारा आन्ध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में।

(25) श्री शैलेश कुमार (बुलो मण्डल) द्वारा बिहार के भागलपुर से घरेलू विमान सेवाएं आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा पंजाब के पर्यावरण अनुकूल जल शोधन मॉडल को पूरे देश में लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा केरल के इडुक्की जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.59 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

वित्त विधेयक, 2017

आबंटित समय: 8 घंटे 41 मिनट

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही। निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

(1) श्री निशिकांत दूबे (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)

(2) श्री अधीर रंजन चौधरी

(3) श्री शिव कुमार उदासी

(4) श्रीमती रंजीत रंजन

(5) श्री अभिषेक सिंह

(6) श्री बदरुद्दीन अजमल

(7) श्री सुभाष चन्द्र बहेरिया

(8) श्री जय प्रकाश नारायण यादव

(9) श्री दुष्यंत चौटाला

(10) श्रीमती हेमा मालिनी

(11) प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस

(12) श्री इदरीस अली

(13) श्री कौशलेन्द्र कुमार

(14) डॉ॰ यशवन्त सिंह

(15) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

(16) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे

(17) श्री भर्तृहरि महताब

(18) श्री थोटा नरसिम्हम

(19) श्री धर्मवीर सिंह

(20) श्री धर्मवीर गांधी

(21) श्री विंसेंट एच॰ पाला

(22) श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

(23) श्री राम चरण बोहरा

(24) श्री राजीव शंकरराव सातव

अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 4 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 28 स्वीकृत हुए।

खंड 29 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 30 से 37 स्वीकृत हुए।

खंड 38 स्वीकृत हुआ।

खंड 39 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 40 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 41 और 42 स्वीकृत हुए।

खंड 43 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 44 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 45 और 46 स्वीकृत हुए।

खंड 47 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 48 और 49 स्वीकृत हुए।

खंड 50 स्वीकृत हुए।

खंड 51 से 55 स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2017 के सरकारी संशोधन संख्या 24 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 55क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 55क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 56 स्वीकृत हुआ।

खंड 57 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 58 से 70 स्वीकृत हुए।

खंड 71 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 72 से 82 स्वीकृत हुए।

खंड 83 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 84 से 105 स्वीकृत हुए।

खंड 106 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 107 से 116 स्वीकृत हुए।

खंड 118 से 126 स्वीकृत हुए।

खंड 127 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 128 से 136 स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

> ''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2017 के सरकारी संशोधन संख्या 39 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 136क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 136क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 137 से 144 स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

> ''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर

होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2017 के सरकारी संशोधन संख्या 40 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 144क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 144क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 145 स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2017 के सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 145क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 145क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 146 से 149 स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2017 के सरकारी संशोधन संख्या 42 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 149क को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 149क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 150 स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2017 के सरकारी संशोधन संख्या 43 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नये खंड 151 से 184 को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नये खंड 151 से 184 भी स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची स्वीकृत हुई।

दूसरी से सातवीं अनुसूचियां स्वीकृत हुईं।

श्री अरुण जेटली ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2017 के सरकारी संशोधन संख्या 44 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आठवीं और नौवीं अनुसूचियों को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नई आठवीं और नौवीं अनुसूचियां स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, वित्त विधेयक जिसे हमने अभी पारित किया है, उसमें 29 सरकारी संशोधन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विधेयक में 38 नए खंड और 2 नई अनुसूचियों के अंत:स्थापन का उपबंध किया गया है। अत:, मैं निदेश देती हूं कि अनुवर्ती खंडों और उप-खंडों को तद्नुसार पुनर्संख्यांकित किया जाए और जहां कहीं अपेक्षित हो, विधेयक में पश्चात्वर्ती परिवर्तन किए जाएं।''

*सायं 6.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 23 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

*अपराह्न 5.44 बजे से सांय 6.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5389LS(S3)—22-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 23 मार्च, 2017/2 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 214

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जो 23 मार्च, 1931 को शहीद हुए थे, के प्रति सभा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने 22 मार्च, 2017 को ब्रिटिश संसद के समीप लंदन में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में कथित तौर पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु और अनेक अन्य व्यक्तियों के घायल होने के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301—303 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 304—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, जो 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/1/0844 (159)-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017, जो 27 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 169(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (19वां संशोधन) नियम, 2016, जो 2 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1034(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (20वां संशोधन) नियम, 2016, जो 28 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1095(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय मोटर यान (21वां संशोधन) नियम, 2016, जो 28 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1096(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय मोटर यान (22वां संशोधन) नियम, 2016, जो 29 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1183(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने ''राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना'' के बारे में प्राक्कलन समिति (16वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति (2016-17) का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

* अपराह्न 12.03 बजे

6. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने केन्द्रीय सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यक्रम में अपना शेयर हटाए जाने के कथित कदम और इस प्रकार उनके वेतन प्रभावित होने तथा राज्य सरकारों पर अत्यधिक बोझ डाल दिए जाने के कारण कर्नाटक सहित देश के विभिन्न भागों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन तथा साथ ही, उनका मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में भी निवेदन किया।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री पी॰के॰ बिजू, श्री एम॰बी॰ राजेश और एडवोकेट जोएस जॉर्ज सहयोजित हुए।

#श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.30 बजे

(दो) श्रीमती रंजीत रंजन ने राज्य के प्रशासन द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰बी॰ राजेश, श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल, डॉ॰ ममताज संघमिता और श्री पी॰के॰ बिजू सहयोजित हुए।

@श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.57 बजे

(तीन) श्री तारिक अनवर ने जूट उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में निवेदन किया।

श्री जितेन्द्र चौधरी सहयोजित हुए।

$श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।)

---

* अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 1.08 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

संसदीय कार्य मंत्री

@ गृह मंत्री

$ वस्त्र मंत्री

अपराह्न 2.03 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखेः—

(1) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में पानी की कमी की समस्या का सामना कर रहे गांवों में जलापूर्ति के लिए एक योजना बनाए जाने तथा ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने हेतु स्टार्टअप की शुरूआत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा रीजनल क्नेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र में विमानपत्तनों के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा बिटकॉइन करेंसी के बढ़ते प्रयोग के बारे में।

(5) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा देश में बाबा साहेब डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ते हुए एक टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कोरिडोर में झारखंड के देवघर को शामिल किए जाने के बारे में।

(7) श्री नलीन कुमार कटील द्वारा कर्नाटक के इको-सेंसिटीव जोन हेतु जारी की गई अधिसूचना को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में

(8) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू-कश्मीर में अर्द्ध-सैनिक बलों की और बटालियनें स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ बंशीलाल महतो द्वारा छत्तीसगढ़ में साउथ-ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के भू-विस्थापितों के मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा चित्रकूट–कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को लखनऊ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रावसाहेब पाटील दानवे द्वारा महाराष्ट्र के जालना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा देश में विशेषकर राजस्थान के टोंक–सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी पात्र परिवारों को बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती रेखा अरुण वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अंदेश नगर में केन्द्रीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र तथा डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा अवयस्कों को तम्बाकू उत्पाद बेचने तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर रोक लगाने वाले विद्यमान कानूनों को कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा केरल में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से निधियों के आवंटन किए जाने के बारे में।

(18) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा एक लांस नायक की मृत्यु के कारणों की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री पी॰आर॰ सुन्दरम द्वारा तमिलनाडु के नमक्कल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह द्वारा ओडिशा के वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों में क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र में खामगांव और जालना के बीच नई रेललाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री जोस के॰ मणि द्वारा अस्पतालों में सीजेरियन प्रसूतियों पर नियंत्रण लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.04 बजे

8. *संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक,* 2017

लिया गया समय: 2 घंटे 05 मिनट

श्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी
3. श्रीमती प्रतिमा मंडल
4. डॉ॰ कुलमणि सामल
5. श्री विनायक भाऊराव राउत
6. श्री विनोद कुमार सोनकर
7. डॉ॰ रवीन्द्र बाबू
8. डॉ॰ (प्रो॰) ए॰एस॰आर॰ नायक
9. श्री रत्न लाल कटारिया
10. श्री जितेन्द्र चौधरी
11. श्री चरनजीत सिंह रोड़ी
12. श्री वीरेन्द्र कश्यप
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्रीमती कमला देवी पाटले
15. श्री धर्म वीर गांधी
16. श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी
17. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
18. डॉ॰ यशवन्त सिंह

श्री थावर चंद गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री थावर चंद गहलोत ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.09 बजे

9. प्रस्ताव

कुंवर भारतेन्द्र सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 22 मार्च, 2017 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 31वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.10 बजे

10. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''यह सभा सरकार से निम्नलिखित के संबंध में तत्काल कदम उठाने का आग्रह करती है—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों को संराशीकरण और पूंजी लौटाने के लाभ बहाल करना;

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले के बारह महीने के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना;

(तीन) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अनुसार पेंशनभोगियों से संराशीकृत पेंशन की पूरी राशि की वसूली के बाद पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना;

(चार) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर तीन हजार रुपए प्रति माह करना;

(पांच) लगभग सत्ताईस हजार करोड़ रुपए की अदावाकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना;

(छह) विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का संशोधन करना; और

(सात) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. श्री अजय मिश्रा टेनी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 24 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—5460LS(S3)—23-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 24 मार्च, 2017/3 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 215

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न सं॰ 321 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 321 का अनुपूरक प्रश्न पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 301—325 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न सं॰ 326 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं॰ 326 का अनुपूरक प्रश्न पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 327—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गएः—

(1) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण (पहला संशोधन) विनियम, 2016, जो 27 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/1/138/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ई-बीमा पॉलिसियों का निर्गम) (पहला संशोधन) विनियम, 2016, जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीएआई/रेग॰/23/135/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड से भिन्न विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और प्रचालन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीए/रेग॰/24/136/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन या पारिश्रमिक या पुरस्कार का संदाय) विनियम, 2016, जो 20 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईआरडीए/रेग॰/25/137/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(5) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमान तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) संशोधन स्कीम, 2017, जो 8 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं का॰आ॰ 370(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 176(अ), जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाकर मामलों पर यथालागू केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के अंतर्गत 01.07.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए किसी संग्रहालय में प्रवेश द्वारा सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत संदेय सेवाकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 150(अ), जो 20 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेवाकर मामलों पर यथालागू केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के अंतर्गत 01.07.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए सामान्य बहि:स्राव शोधन संयंत्र के प्रचालकों द्वारा सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत संदेय सेवाकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 1200(अ), जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिसंबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008-के॰उ॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 1201(अ), जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित विभिन्न अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता की 31.12.2016 को समाप्त होने वाली तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 31.12.2016 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के संबंध में परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कुरियर आयात और निर्यात (निकासी) संशोधन विनियम, 2017, जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 192(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का०आ० 309(अ), जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं० 36/2001-सी०शु० (एन०टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना सं० 09/2017-सी०शु० (एन०टी), जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का०आ० 451(अ), जो 15 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं० 36/2001-सी०शु० (एन०टी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना सं० 12/2017-सी०शु० (एन०टी), जो 16 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का०आ० 665(अ), जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं० 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अधिसूचना सं० 14/2017-सी०शु० (एन०टी०), जो 2 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 1198(अ), जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 18 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 1199(अ), जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं॰ 69/2004-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 1195(अ), जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 1197(अ), जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित विभिन्न अधिसूचनाओं के कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1196(अ), जो 31 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2016, जो 13 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 29(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 9 मार्च, 2017 की अधिसूचना अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 207(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम 2016, जो 13 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 30(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका

एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 9 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 208(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(12) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 103(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 76(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चिकित्सीय उपकरण नियम, 2017 जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 78(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1945 की धारा 16 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय नर्स परिषद् (कारबार संचालन विनियम), 2009 जो 15 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 11-1/2015-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (16वां संशोधन) विनियम, 2016, जो 4 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1042(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 1089(अ) जो 25 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें दिनांक 15 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ सं॰ 166(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 188(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (18वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 7 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1118(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो 2 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 01(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (15वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 10 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 16(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 10 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 17(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(16) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 जो 15 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2016-17/जीएन/रेग.005 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (रिसर्च एसोसिएट्स और परामर्शदाताओं को लगाया जाना) विनियम, 2017 जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2016-17/जीएन/रेग. 006 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2017, जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2016-17/जीएन/रेग.007 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सलाहकार समिति) विनियम, 2017, जो 31 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2016-17/जीएन/रेग.008 में प्रकाशित हुए थे।

(17) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र (2017 का प्रतिवेदन संख्यांक 8) की एक प्रति।

(18) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत विनिधानकर्त्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2017, जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 178(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दलोई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(1) कि 22 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा 9 अगस्त, 2016 को हुई अपनी बैठक में कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2016 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई:—

अधिनियमन सूत्र

(एक) कि पृष्ठ सं॰ 1, पंक्ति 1, ''सड़सठवें'' शब्द *के स्थान पर* ''अड़सठवें'' शब्द *प्रतिस्थापित* किया जाए।

खण्ड-एक

(दो) कि पृष्ठ सं॰ 1, पंक्ति 3, ''2016'' अंक *के स्थान पर* ''2017'' अंक *प्रतिस्थापित* किया जाए।

(2) कि राज्य सभा को, लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 2017 को पारित विनियोग विधेयक, 2017 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(3) कि राज्य सभा को, लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 2017 को पारित विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री शांता कुमार ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 'आवास और शहरी विकास निगम' के बारे में 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2016-17) के 10वें और 11वें प्रतिवदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए।

7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रह्लाद जोशी ने 'कोल बेड मीथेन का उत्पादन' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2015-16) के 14वें प्रतिवदेन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.05 बजे

9. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 27 मार्च, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

$अपराह्न 12.18 बजे

10. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल और श्री भर्तृहरि महताब ने, वर्ष 2009 में किए गए कथित युद्ध अपराधों के लिए श्रीलंका की सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत सहयोजित हुए।

#श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.26 बजे

(दो) प्रो॰ सौगत राय ने उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र और निर्वाचन आयोग को विधि निर्माताओं को पेंशन दिए जाने संबंधी याचिका के बारे में नोटिस के मुद्दे के संबंध में निवेदन किया।

श्री निशिकांत दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री ओम बिड़ला, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, एडवोकेट नरेन्द्र केशव सवाईकर और श्रीमती कोठापल्ली गीता सहयोजित हुए।

#श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.31 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.33 *बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.33 बजे

11. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विधेयक, 2016

आवंटित समय	:	4 घंटे
लिया गया समय	:	58 मिनट
शेष समय	:	3 घंटे 02 मिनट

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

$अपराह्न 12.18 बजे से अपराह्न 1.31 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।
#संसदीय कार्य मंत्री।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

1. डॉ॰ शशि थरूर

2. डॉ॰ हिना विजय कुमार गावित (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.31 बजे

12. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री शैलेश कुमार (बुलो मंडल) का पटना उच्च न्यायालय (भागलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(2) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल का समुद्रपारीय कर्मकार (प्रबंध और कल्याण) विधेयक, 2016

(3) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल का पटना उच्च न्यायालय (महाराजगंज में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2016

(4) डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक का मृत्युदंड का उत्सादन विधेयक, 2016

(5) डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक का मेधावी छात्र (उच्चतर अध्ययन में सहायता) विधेयक, 2016

(6) डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (नए अनुच्छेद 30क का अंत:स्थापन)।

(7) श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी का भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 26 आदि का संशोधन)।

(8) श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी का अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 3क का अंत:स्थापन)।

(9) श्री नारन भाई काछड़िया का जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2017

(10) श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया का बाल पोषण और विकास नोडल एजेंसी विधेयक, 2017

(11) श्री सुखवीर सिंह जौनापुरिया का कृषक कल्याण निधि विधेयक, 2016

(12) श्रीमती रमा देवी का गैर सरकारी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक, 2016

(13) श्री सुनील कुमार सिंह का पर्यटन संवर्धन प्राधिकरण विधेयक, 2016

(14) श्री रबीन्द्र कुमार जेना का खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 57 का संशोधन, आदि)।

(15) श्री रबीन्द्र कुमार जेना का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 23 का संशोधन, आदि)।

(16) श्री रबीन्द्र कुमार जेना का कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 135 का संशोधन)।

(17) श्री निनोंग इरिंग का अरुणाचल प्रदेश राज्य (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 35 का संशोधन)।

(18) श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 15 का संशोधन)।

(19) श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 371–ट का संशोधन)।

(20) श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 25 का संशोधन)।

(21) श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल का सैन्य सेवाएं (अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कार्मिकों के स्थानांतरण का विनियमन) विधेयक, 2016

(22) श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर का बाल विकास कार्यक्रम समन्वय अभिकरण विधेयक, 2016

(23) श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर का मलिन बस्ती और झुग्गी–झोंपड़ी क्षेत्र (मूलभूत सुविधाएं और निर्बाधन) विधेयक, 2016

(24) श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर का रेल की पटरियों के आस–पास रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण विधेयक, 2016

(25) श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 (नई धारा 10क और 10ख का अंतःस्थापन)।

(26) श्री राजेश रंजन का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2016

(27) श्री राजेश रंजन का शिक्षा ऋण विधेयक, 2016

(28) श्री राजेश रंजन का पटसन उत्पादक और कामगार (कल्याण) विधेयक, 2016

(29) श्री राजेश रंजन का हथकरघा बुनकर (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2016

(30) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया का अनिवार्य मतदान विधेयक, 2016

(31) श्रीमती रमा देवी का आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित लोगों के लिए सेवा में पदों और शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण विधेयक, 2016

(32) श्रीमती रमा देवी का पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति का उपबन्ध विधेयक, 2016

(33) श्रीमती रमा देवी का रोगियों पर औषधियों का क्लीनिकल परीक्षण (विनियमन) विधेयक, 2016

(34) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील का बालिका और किशोरियां (कल्याण) विधेयक, 2016

(35) श्री संतोख सिंह चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)।

(36) श्री विद्युत वरण महतो का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017

(37) श्री अरविंद सावंत का राज्यों को आतंकवाद के समर्थक के रूप में अभिहित करना विधेयक, 2017

(38) श्री निनोंग इरिंग का शिक्षण संस्थाओं में उत्तर-पूर्व संस्कृति का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2017

(39) डॉ॰ किरीट सोमैया का राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

(40) श्री सुधीर गुप्ता का स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2017 (नई धारा 6क से 6घ का अंत:स्थापन)।

(41) डॉ॰ धर्मवीर गांधी का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017 (धारा 2 का संशोधन, आादि)।

(42) डॉ॰ निनोंग इरिंग का राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान और विकास विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

(43) श्रीमती कविता कलवकुंतला का हल्दी बोर्ड विधेयक, 2017

(44) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील का विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2017

(45) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण विधेयक, 2017

*(46) श्री रवनीत सिंह का पंजाब राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2017

*(47) श्री रवनीत सिंह का पंजाब राज्य (किसानों के कल्याण के लिए) विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2017

अपराह्न 3.58 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—विचाराधीन

संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री विंसेंट एच॰ पाला द्वारा 5 अगस्त, 2016 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)

2. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल

3. श्री जितेन्द्र चौधरी (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.01 बजे

(लोक सभा सोमवार, 27 मार्च, 2017 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

---

*अपराह्न 5.27 बजे।

GMGIPMRND—5516LS(S3)—24-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 27 मार्च, 2017/6 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 216

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341—346 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 347—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) स्कीम, 2016, जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1190(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी पेंशन (सातवां संशोधन) स्कीम, 2016, जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1191(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी निक्षेप-संबद्ध बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2016, जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1192(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) का॰आ॰ 4250(अ), जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 फरवरी, 2015 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 324(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2017, जो 4 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 6(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(छह) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2017, जो 24 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 67(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) अधिसूचना में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न श्रम विधियों के अंतर्गत रजिस्टरों को बनाए रखने में अनुपालन के सुखाचार नियम 2017, जो 21 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 154(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) औद्योगिक विभाग अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 251(अ), जो 25 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में 'बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर, कर्नाटक में 32 सेवाओं' को जोड़ा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सेंट्रल मैन्युफैक्चुरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मैन्युफैक्चुरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगलुरू के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंस, डिजाइंस, ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडीकेशन्स, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंस, डिजाइंस, ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडीकेशन्स, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावूर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावूर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) महिला समाख्या उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महिला समाख्या उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुंबई के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, कानपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरूपति, तिरूपति के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरूपति, तिरूपति के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैकनोलॉजी पलक्कड़, पलक्कड़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलक्कड़, पलक्कड़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजवाल के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2)के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना संख्या सीयूपीबी/सीसी/12/4919 , जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम संख्यांक 11 और 13 में संशोधन किया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या 42, जो 25 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम संख्यांक 2(4) में संशोधन किया गया है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 52, जो 30 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक आठ-बीस, बाईस, छब्बीस, सत्ताईस और बीस (एक)-(छह) के बारे में है।

(चार) अधिसूचना संख्या सीयूपीबी/सीसी/12/4918, जो 1 जून, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम संख्यांक 40 में परिवर्धन किए जाने तथा परिनियम सं॰ 11, 13, 2(4) और 40 का संशोधन किए जाने के बारे में है।

(74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने 'जनजातीय महिलाओं का सशक्तिकरण' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने खान मंत्रालय से संबंधित 'खनन क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी/अनुसंधान और विकास' विषय पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—समय बढ़ाया जाना

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के मानसूत्र सत्र (2017) के अंतिम सप्ताह के पहले दिवस तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक,* 2017

(दो) *केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक,* 2017

(तीन) *एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक,* 2017

(चार) *माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक,* 2017

(पांच) *संघ राज्यक्षेत्रमाल और सेवा कर विधेयक,* 2017

$अपराह्न 12.15 बजे

8. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री आनंदराव अडसुल ने कुछ एयरलाइन्स द्वारा एक संसद सदस्य पर लगाए गए कथित प्रतिबंध के बारे में निवेदन किया।

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री शरद त्रिपाठी सहयोजित हुए।

#श्री अशोक गजपति राजू पुसापति ने उत्तर दिया।

$अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।
#नागर विमानन मंत्री।

अपराह्न 12.25 बजे

(दो) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल और श्री जोस के॰ मणि ने मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हाल में हुए हमले सहित विदेश में निवास कर रहे भारतीय नागरिकों पर हो रहे जातीयता से अभिप्रेरित हमलों के बारे में निवेदन किया।

श्री राजीव सातव और श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन सहयोजित हुए।

*श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री विक्रम उसेंडी द्वारा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बीएसएनएल मोबाइल सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात में दांडी विरासत मार्ग का विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार निर्माण को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में 'बुंदलेखंड पशुधन विकास बोर्ड' की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा महाराष्ट्र के वरसोना में गोलबंदर में छह लेन वाले एक नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू से अखनूर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन वाला बनाने हेतु निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वर्धा और देवली में डाकघर में रेलवे आरक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*संसदीय कार्य मंत्री।

(7) प्रो॰ रिचर्ड हे द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग–17 पर थलसरी–महे बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान में कुपोषण उपचार केन्द्रों के लिए आवंटन में वृद्धि किए जाने के साथ ही राज्य में ऐसे और केन्द्रों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड के रांची में रिंग रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जहांगीरगंज में विद्युत ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में गिरना नदी के मार्ग पर चेक डैमों का निर्माण किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जुगसलाई में रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री निहाल चन्द द्वारा राजस्थान के उन किसानों को, जिनकी जमीन अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा औरंगाबाद, बिहार में एक ट्रॉमा सेंटर अथवा सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा असम में माजुली द्वीप में पर्यटकों के लिए अद्यतन/आधुनिक नौकाओं की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री बी॰एन॰ चन्द्रपा द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी विद्यालयों में सीसीटीवी लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री विनसेंट एच॰ पाला द्वारा मेघालय में भारत बांग्लादेश सीमा पर सड़क की स्थिति के बारे में।

(18) श्री एस॰ राजेन्द्रन द्वारा नदियों को जोड़े जाने के बारे में।

(19) डॉ॰ (श्रीमती) ममताज संघमिता द्वारा पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर राजमार्ग को छह लेन वाला बनाने से संबंधित कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्रीमती अपरुपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचल क्षेत्र में आप्टिकल फाइबर बिछाए जाने के बारे में।

(21) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा महानदी के मुहाने पर गाद निकालने के बारे में।

(22) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा महाराष्ट्र के धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को ठहराव प्रदान किए जाने के बारे में।

(24) श्री बी॰ विनोद कुमार द्वारा तेलंगाना के करीमनगर में सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा दिव्यांगों के लिए सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

10. सरकारी विधेयक—पारित

मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विधेयक, 2016, *राज्य सभा द्वारा यथा पारित*

लिया गया समय: 5 घंटे 09 मिनट

श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा 24 मार्च, 2017 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. डॉ॰ रत्ना डे (नाग)
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. डॉ॰ रवीन्द्र बाबू
5. श्री कोन्डा विश्वेश्वर रेड्डी
6. श्रीमती सुप्रिया सुले
7. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर

8. श्रीमती रेणुका बुत्ता
9. डॉ॰ सुनील बलीराम गायकवाड़
10. श्री शेर सिंह गुबाया
11. डॉ॰ बंशीलाल महतो
12. श्री इदरिस अली
13. श्री जनार्दन मिश्र
14. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
15. श्री बदरुद्दीन अजमल
16. श्री कौशलेन्द्र कुमार
17. श्री दुष्यंत चौटाला
18. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
19. श्री असादुद्दीन ओवैसी
20. श्री अश्विनी कुमार चौबे
21. श्रीमती वी॰ सत्यबामा
22. श्रीमती नीलम सोनकर
23. डॉ॰ ममताज संघमिता
24. श्री अभिजीत मुखर्जी
25. मोहम्मद सलीम
26. श्री नारणभाई काछड़िया
27. डॉ॰ संजय जायसवाल
28. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
29. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचारार्थ प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 और 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8 और 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11 और 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13 से 17 स्वीकृत हुए।

खंड 18 से 64 स्वीकृत हुए।

खंड 65 से 74 स्वीकृत हुए।

खंड 75 से 86 स्वीकृत हुए।

खंड 87 से 88 स्वीकृत हुए।

खंड 89 से 94 स्वीकृत हुए।

खंड 95 से 97 स्वीकृत हुए।

खंड 98 से 126 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना स्वीकृत हुई।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

सायं 6.14 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 28 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—5568LS(S3)—27-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 28 मार्च, 2017/7 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 217

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत के दौरे पर आए नामीबिया की संसद की नेशनल एसेम्बली के स्पीकर प्रो॰ पीटर एच॰ कट्जाविवी तथा नामीबिया के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए घोषणा की।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने विक्रम संवत के नूतन संवत्सर 2074 के अवसर पर उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361—365 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 366—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) अधिसूचना सं०का०आ० 371(अ) जो 8 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अधीन जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न/खाद्य सब्सिडी के रोकड़ अंतरण की प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार सं०/आधार अधिप्रमाणन की अपेक्षा को समाहित किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र जो 6 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं०का०आ० 752(अ) में प्रकाशित हुआ था (केवल हिन्दी संस्करण)।

(2) वर्ष 2015 के लिए सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 की धारा 15क(4) के अंतर्गत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2015 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21(4) के अंतर्गत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1994-95, 1997-98 से 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 1994-95, 1997-98 से 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा

लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 6 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰नि॰का॰ 106(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2017 जो 1 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰नि॰का॰ 79(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) द इंडियन स्पाईनल इंजुरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) द इंडियन स्पाईनल इंजुरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के वर्ष 2015-2016 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलैक्चुअल डिसएबिलिटीज, सिकंदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलैक्चुअल डिसएबिलिटीज, सिकंदराबाद के वर्ष 2015-2016 की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) खाद्य नियम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत खाद्य निगम (संशोधन) नियम 2017 जो 6 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 202 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 142 (अ) जो 17 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो वर्ष 2015-16 के लिए गन्ने के कारखाना-वार एफ॰आर॰पी॰ के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*(19) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ 10/2017-सीमा-शुल्क, जो 28 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012-सीमा-शुल्क में

*अपराह्न 12.31 बजे

कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि गेहूं और तूर पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत मूलभूत सीमा-शुल्क अधिरोपित किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

#6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री तथागत सत्पथी ने कार्य मंत्रणा समिति का 42वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.03 बजे

7. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

%*(लोक सभा अपराह्न* 1.03 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.02 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.02 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार की 'कमलापुरी वैश्य' जाति को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा गुजरात के सूरत जिले में हजीरा शहर को 'उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र' घोषित किए जाने और शहर की सुरक्षा सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

#अपराह्न 12.02 बजे

%अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(4) श्री महेश गिरी द्वारा 'इकोएंजाइम' के बारे में जागरूकता फैलाने तथा देश में इसके उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ बंशीलाल महतो द्वारा छत्तीसगढ़ के कोबरा जिले में सिंचित क्षेत्र बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री हुकुम सिंह द्वारा भीख मांगने वाले बच्चों के कल्याण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार के गया में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के विस्तार हेतु जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ रवीन्द्र कुमार राय द्वारा झारखंड में कोवाड होकर कोडरमा-गिरिडीह रेलमार्ग पर स्थित सभी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म और उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री देवुसिंह चौहान द्वारा गुजरात के खेड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के बारे में।

(10) श्री सुधीर गुप्ता द्वारा देश में धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा देश में अग्नि-शमन सेवाओं का आधुनिकीकरण किए जाने के बारे में।

(12) डॉ॰ उदित राज द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखंड के धनबाद में भारतीय जीवन बीमा निगम का मंडल कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री लखन लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में चकरभाठा, बिल्हा और दगौरी रेलवे स्टेशनों को बिलासपुर रेलवे मंडल के क्षेत्राधिकार में लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा कर्नाटक के टुमकुर रेलवे स्टेशन का सभी आधुनिक सुविधाओं युक्त हाईटेक स्टेशन के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री थांगसो बाइटे द्वारा मणिपुर की जनजातियों के बीच आधुनिक कृषि पद्धति शुरुआत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्रीमती मौसम नूर द्वारा देश में तलाकशुदा और अकेले रह रही महिलाओं के लिए एक पेंशन योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्रीमती वी॰ सत्यबामा द्वारा तमिलनाडु के किसानों के हित में भवानी नदी पर चेक डैम के निर्माण को रोकने के लिए केरल सरकार को मनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा देश के आशा कार्यकर्ताओं को बेहतर पारिश्रमिक एवं सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह द्वारा ओडिशा के बारगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टिट्यूट (एफएमटीटीआई) स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा देश में रेलवे स्टेशनों पर फल/जूस की दुकानों पर खाने के सामान और बोतलबंद पानी की बिक्री की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) द्वारा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की ऑर्डरबुक स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री एम॰बी॰ राजेश द्वारा केरल के पलक्काड में इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड के कर्मचारियों की पेश आ रही समस्याओं के बारे में।

(24) श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल द्वारा भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय को भागलपुर, बिहार से साहेबगंज, झारखंड स्थानान्तरित किए जाने के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत करीमगंज के कुछ गांवों को सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा केरल में अंगामल्लई–सबरी रेल परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016

लिया गया समय: 3 घंटे

श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. कुमारी सुष्मिता देव
2. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक
3. डॉ॰ मृगांका महतो
4. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह
5. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव
6. श्री भीमराव बी॰ पाटील
7. श्री पी॰के॰ बीजू
8. श्रीमती रेणुका बुत्ता
9. श्री मनोज तिवारी
10. श्री कौशलेन्द्र कुमार
11. श्री एन॰के॰ प्रेमचंद्रन
12. श्री निहाल चंद
13. श्री शेर सिंह गुबाया
14. श्री हुकुम सिंह
15. श्री राहुल शेवाले
16. श्री सिराजुद्दीन अजमल

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 5.04 बजे

10. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017

आबंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 58 मिनट
शेष समय : 1 घंटा 2 मिनट

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
2. श्री सुनील कुमार सिंह
3. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
4. श्री तथागत सत्पथी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.02 बजे

(लोक सभा बुधवार, 29 *मार्च,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—5615LS(S3)—28-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 29 मार्च, 2017/8 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 218

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381—385 और 387 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 386 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि संबंधित मंत्री ने सभा पटल पर उत्तर रखा।

तारांकित प्रश्न संख्या 388—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4371—4600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नॉर्थ-ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ-ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) द हेमिस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) द हेमिस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत मोबाइल बैंकिंग (सेवा की गुणवत्ता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 जो 22 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 305-27/2010-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शान वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शान वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थ व्यक्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण) संशोधन नियम, 2017, जो 8 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 111 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थ व्यक्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण) संशोधन नियम, 2016, जो 8 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 711 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 16 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा की लोक लेखा समिति की 1 मई, 2017 से आरंभ होकर 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए समिति में सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश पर सहमति व्यक्त की और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जिन्हें उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया है, के नामों की सूचना भी दी:—

1. श्री नरेश अग्रवाल
2. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
3. श्री भुवनेश्वर कलिता
4. श्री शांता राम नायक
5. श्री सुखेन्दु शेखर राय
6. श्री अजय संचेती
7. श्री भूपेन्द्र यादव

(दो) कि 16 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की 1 मई, 2017 से आरंभ होकर 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए समिति में सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश पर सहमति व्यक्त की और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जिन्हें उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया है, के नामों की सूचना भी दी:—

1. श्री नरेन्द्र बुडानिया
2. श्री नरेश गुजराल
3. श्री शमशेर सिंह मनहास
4. श्री प्रफुल पटेल
5. श्री ए॰ के॰ सेल्वराज
6. श्री तपन कुमार सेन
7. श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह

(तीन) कि 16 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की 1 मई, 2017 से आरंभ होकर 30 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए समिति में शामिल होने के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने की लोक सभा की सिफारिश पर सहमति व्यक्त की और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों, जिन्हें उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया है, के नामों की सूचना भी दी:—

1. श्री शमशेर सिंह दुल्लो
2. श्री डी॰ राजा
3. श्री अमर शंकर साबले
4. श्री वीर सिंह
5. श्री तिरुची शिवा
6. श्रीमती वानसुक सीम
7. श्री प्रदीप टम्टा
8. श्री दिलीप कुमार टिर्की

9. महंत शंभू प्रसाद जी टुंडिया

10. श्री राम कुमार वर्मा

@(चार) कि 29 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा 22 मार्च, 2017 को पारित, वित्त विधेयक, 2017 को संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।

@5. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

वित्त विधेयक, 2017

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रतन लाल कटारिया ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

एडवोकेट नरेन्द्र केशव सवाईकर ने राजपत्र की अधिसूचना की कागज पर छपाई, को जारी नहीं रखे जाने के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विधि और न्याय मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

#(2) संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

@सायं 7.13 बजे

उन्होंने अपना वक्तव्य मद संख्या 9 के बाद सभा पटल पर रखा।

9. प्रस्ताव

श्री अनंत कुमार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 28 मार्च, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 42वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.07 बजे

10. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने सरकार द्वारा लोकपाल की नियुक्ति में अनुचित विलंब किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री राजीव सातव सहयोजित हुए।

#श्री अरुण जेटली ने उत्तर दिया।

$श्री अनंत कुमार और %श्री एम॰ वेंकैया नायूडू ने भी उत्तर दिया।

अपराह्न 12.11 बजे

(दो) श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने क्रमश: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोगों में नियत रिक्तियों को भरे जाने में विलंब के बारे में निवेदन किया।

श्री राजीव सातव सहयोजित हुए।

&श्री थावर चंद गहलोत ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.18 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

---

*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.18 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#वित्त मंत्री

$संसदीय कार्य मंत्री

. शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्री

&सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(1) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अतर्रा रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन तथा बदौसा रेलवे स्टेशन पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में कबीर टी एस्टेट में आईटीबीपी की एक बटालियन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रमेन डेका द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए शिलान्यास एवं अन्य समारोहों की जिम्मेदारी संसद सदस्यों को सौंपे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा बिहार के पटना स्थित अम्बेडकर इंस्टीटयूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल द्वारा गुजरात के भावनगर जिले में काला हिरण वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान और इसके आस-पास के क्षेत्रों को पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने वाली अधिसूचना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा महाराष्ट्र में राहुरी, बेलवंडी तथा विसापुर में शिरडी-मुम्बई यात्री सवारी गाड़ी संख्या 51033/34 तथा शिरडी-पंढरपुर यात्री सवारी गाड़ी संख्या 11001/02 का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राहुल कास्वां द्वारा राजस्थान में जोधपुर-रेवाड़ी पैसेंजर गाड़ी संख्या 54809/10 को दिल्ली तक बढ़ाए जाने, तथा गाड़ी संख्या 54763/64 को सादुलपुर होकर हनुमानगढ़ से दिल्ली तक चलाए जाने एवं ब्रहमपुत्र मेल को सादुलपुर-हनुमानगढ़ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा देश मे विशेषकर गुजरात में बढ़ते प्रदूषण स्तर को कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने मेरठ-गढ़मुक्तेश्वर-स्याना और बुलंदशहर को जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा मुम्बई में निर्माण हेतु अनुमेय सीमा के लिए नागर-विमानन मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन के बारे में।

(13) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा अजमेर-सियालदह सुपर फास्ट एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12988) को उदयपुर से सियालदह तक चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री थुपस्तान छेवांग द्वारा भोटी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का सरकारी क्षेत्र की कंपनी का दर्जा बरकरार रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान द्वारा ओडिशा में महानदी पर सतकोसीया गार्ज को बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री आनंदराव अडसुल द्वारा रेलवे की नई खान-पान नीति में दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश को केजी बेसिन से 50 प्रतिशत गैस का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में नदियों को आपस में जोड़े जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने और इस प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री जोस के॰ मणि द्वारा रबड़ बोर्ड के अधीन क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को बंद किए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.18 बजे

12. प्रस्ताव

श्री अरुण जेटली ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

'कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परंतुक को, केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017, एकीकृत माल और सेवा कर

विधेयक, 2017, माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017 को विचार तथा पारित करने के लिए किए जाने के प्रस्तावों को, जहां तक ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, लागू करने के संबंध में निलंबित करती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.20 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

#(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017

#(दो) एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक, 2017

#(तीन) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017

#(चार) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017

लिया गया समय: 8 घंटे 33 मिनट

श्री अरुण जेटली द्वारा विधेयकों अर्थात् (एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (दो) एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक, 2017 (तीन) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017 और (चार) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ वीरप्पा मोइली
2. डॉ॰ उदित राज
3. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री आनंद राव अडसुल
7. श्री जैदेव गल्ला
8. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी

#एक साथ चर्चा की गई।

9. मोहम्मद सालिम
10. श्री मुलायम सिंह यादव
11. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
12. श्रीमती सुप्रिया सुले
13. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक
14. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
15. श्रीमती पूनम महाजन राव
16. श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा
17. श्री सुभाष चंद्र बहेरिया
18. श्री राम कुमार शर्मा
19. श्री सुरेश अंगड़ी
20. श्री सिराजुद्दीन अजमल
21. श्रीमती पूनमबेन माडम
22. श्री संतोष कुमार
23. श्री सुशील कुमार सिंह
24. प्रो॰ सौगत राय
25. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे
26. श्री राजीव सातव
27. श्री सुधीर गुप्ता
28. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
29. श्री विद्युत बरण महतो
30. श्री सी॰एन॰ जयदेवन
31. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
32. श्री विष्णु पाद राय
33. श्री राहुल शेवाले

34. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

35. श्री एम॰ मुरली मोहन

36. श्रीमती रमा देवी

37. श्रीमती गीता कोथापल्ली

38. डॉ॰ रवीन्द्र कुमार राय

39. श्रीमती रंजनबेन भट्ट

40. श्री राम प्रसाद शर्मा

41. श्री अनिल शिरोले

42. श्री ओम बिरला

43. श्री अजय मिश्र टेनी

44. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल

श्री अरुण जेटली ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 से 6 स्वीकृत हुए।

श्री एम॰ वीरप्पा मोइली द्वारा पेश किए गए खंड 7 के संशोधन सं॰ 4 पर सभा में मत-विभाजन हुआ; पक्ष में: 46; #विपक्ष में: 246 #भाग नहीं लिया 08

तद्नुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 7 तथा 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11 से 15 स्वीकृत हुए।

#शुद्धि के अध्यधीन।

खंड 16 से 24 स्वीकृत हुए।

खंड 25 से 34 स्वीकृत हुए।

खंड 35 से 59 स्वीकृत हुए।

खंड 60 स्वीकृत हुआ।

खंड 61 से 64 स्वीकृत हुए।

खंड 65 स्वीकृत हुआ।

खंड 66 स्वीकृत हुआ।

खंड 67 से 100 स्वीकृत हुए।

खंड 101 से 149 स्वीकृत हुए।

खंड 150 से 170 स्वीकृत हुए।

खंड 171 से 174 स्वीकृत हुए।

अनुसूची एक स्वीकृत हुई।

अनुसूची दो स्वीकृत हुई।

अनुसूची तीन स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरूण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(दो) एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 तथा 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 11 स्वीकृत हुए।

खंड 12 से 15 स्वीकृत हुए।

खंड 16 स्वीकृत हुआ।

खंड 17 स्वीकृत हुआ।

खंड 18 से 25 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(तीन) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पेश किए गए खंड 5 के संशोधन सं॰ 1 पर सभा में मत-विभाजन हुआ; #पक्ष में: 41; #विपक्ष में: 242; #भाग नहीं लिया शून्य।

तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 5 तथा 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 तथा 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 से 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13 तथा 14 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

#शुद्धि के अध्यधीन।

(चार) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 से 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 से 26 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरूण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 8.54 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 30 *मार्च,* 2017 *को पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—5689LS(S3)—29-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 30 मार्च, 2017/9 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 219

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401—406 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 407—420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4601—4830 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

3. निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विद्युत अपीलीय अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) नियम, 2017 जो 17 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 39(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अंतरराज्यीय पारेषण में संपर्क, दीर्घावधिक अभिगम और मध्यावधिक मुक्त अभिगम प्रदान करने तथा संबंधित मामले) (छठा संशोधन) विनियम, 2017 जो 10 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एल-1(3)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 211(अ) जो 9 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 को अनुमोदित किया गया है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 212(अ) जो 9 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा मोर्मुगॉव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 को अनुमोदित किया गया है।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 213(अ) जो 9 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 को अनुमोदित किया गया है।

(3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (सामुद्रिक दावे के लिए देयता की सीमा) संशोधन नियम, 2017 जो 21 फरवरी, 2017 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 153(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक कल्याण शुल्क की लेवी) (संशोधन) नियम, 2017 जो 10 मार्च, 2017 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 232(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3424(अ) जो 10 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(दो) का॰आ॰ 3510(अ) जो 23 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 44 (सबरूम-इंडो/बांग्लादेश बार्डर खंड) को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

(तीन) का॰आ॰ 3511(अ) जो 23 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 3521(अ) जो 23 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पांच) का॰आ॰ 3513(अ) जो 23 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 3514(अ) जो 23 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 365ख की घोषणा की गई।

(सात) का॰आ॰ 3515(अ) जो 23 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 716 की घोषणा की गई।

(आठ) का॰आ॰ 3586(अ) जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 689 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 3587(अ) जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दस) का॰आ॰ 3588(अ) जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का॰आ॰ 3590(अ) जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का॰आ॰ 3673(अ) जो 7 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 21 की घोषणा की गई।

(तेरह) का॰आ॰ 3688(अ) जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 516डी की घोषणा की गई।

(चौदह) का॰आ॰ 3689(अ) जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 3690(अ) जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों के भागों को उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सोलह) का॰आ॰ 4149(अ) जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 मई, 2016 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1760(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का॰आ॰ 4150(अ) जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अट्ठारह) का॰आ॰ 4151(अ) जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 31क (रांगपो–गंगटोक खंड) को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 4152(अ) जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का॰आ॰ 4153(अ) जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 मई, 2007 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 815(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का॰आ॰ 4154(अ) जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 53 (इम्फाल-जिरिबम खंड) को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

(बाईस) का॰आ॰ 4155(अ) जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं॰का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का॰आ॰ 4171(अ) जो 27 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 363 की घोषणा की गई।

(चौबीस) का॰आ॰ 4172(अ) जो 27 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं॰का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का॰आ॰ 4173(अ) जो 27 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 21 और 22 के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 4174(अ) जो 27 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं॰का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 13(अ) जो 3 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 363 की घोषणा की गई।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 14(अ) जो 3 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की गई।

(उनतीस) का॰आ॰ 28(अ) जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2015 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीस) का॰आ॰ 29(अ) जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकत्तीस) का॰आ॰ 30(अ) जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उड़ीसा और झारखंड राज्य में उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 5 और 6 के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 376(अ) जो 9 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 166क के भागों को महाराष्ट्र राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 377(अ) जो 9 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौंतीस) का॰आ॰ 95(अ) जो 11 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 2 (कानपुर-वाराणसी खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 167(अ) जो 17 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित लगभग 45 बीओटी (टोल) परियोजनाओं में शुल्क को निकटतम पांच रुपये में राउंड ऑफ किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 168(अ) जो 17 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 112 (बगुंडी-बाड़मेर खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 169(अ) जो 17 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 11ख (करौली-बारी-ढोलपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 478(अ) जो 16 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 458 (लाडनु-खाटू-डेगना-मेड़ता सिटी-लाम्बिया-जैतरन-रायपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 479(अ) जो 16 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 15 (बीकानेर-फलौदी खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(5) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 50 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3423(अ) जो 10 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1301(अ) को निरस्त किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 3691(अ) जो 9 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजमार्ग प्रशासन की शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 378(अ) जो 9 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24, 25, 26, 27 और 43 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में उसमें उल्लिखित सीमाओं और अधिकारिता के भीतर इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए उसमें उल्लिखित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

(6) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 4157(अ) जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 14 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 126 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा 4(ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 472(अ) जो 16 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित लोक सभा के दो सदस्यों को अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.03 बजे

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) पोत पविहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।

(2) 'पर्यटक केन्द्र का संपर्क' के बारे में एडवोकेट नरेन्द्र केशव सवाईकर, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं॰ 148 का 2 फरवरी, 2017 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करना।

*अपराह्न 12.04 बजे

5. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया ने कृषि संकट का समाधान करने में सरकार की विफलता, जिसके फलस्वरुप किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है, के बारे में निवेदन किया।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना सहयोजित हुए।

#श्री राधा मोहन सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.18 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री राघव लखनपाल द्वारा उत्तर प्रदेश में बागपत से सहारनपुर तक चार लेनों वाली सड़क के निर्माण से जुड़ी कंपनी को कथित तौर पर अधिक भुगतान की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री दद्दन मिश्रा द्वारा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में चीनी उद्योग, टिम्बर उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को शेष निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा बिहार के बक्सर में विमानपत्तन का विस्तार किए जाने और बक्सर में एक नए अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.06 बजे से अपराह्न 12.07 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#कृषि और किसान कल्याण मंत्री।

(5) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा आयुष चिकित्सकों को एलोपैथी में एक वर्ष के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पश्चात् एलोपैथी में उपचार करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा पर्वतीय राज्यों में कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाने तथा लघु उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के देवघर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाने के बारे में।

(8) श्री छेदी पासवान द्वारा एक नया पूर्वांचल राज्य स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के बेगूसराय जिले में प्रदूषित जल स्रोतों के बारे में।

(10) श्री नाना पटोले द्वारा देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र के मुम्बई में अरब सागर में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश में महाराजपुर से तेंदुखेड़ा तक सड़क निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों का नि:शुल्क प्रवेश सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश में गौवध पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उत्तर प्रदेश में अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों को बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री डी॰के॰ सुरेश द्वारा कर्नाटक के बंगलौर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लंबित रेल परियोजनाओं के बारे में।

(17) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा केरल के कालीकट जिले में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल की केन्द्रीय विश्वविद्यालय को महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरू के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) डॉ॰ के॰ कामराज द्वारा तमिलनाडु के सेलम और विल्लुपुरम जिलों में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री टी॰ जी॰ वेंकटेश बाबू द्वारा तमिलनाडु रोयापुरम रेलवे स्टेशन का विकास और उन्नयन कर एक रेलवे टर्मिनस बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) प्रो॰ सौगत राय द्वारा शहरों में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) डॉ॰ मृगांका महतो द्वारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में आर्द्रा और जयचंडी पहाड़ के बीच स्थित समपार पर एक उपरिपाल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री बिजय चन्द्र बर्मन द्वारा पश्चिम बंगाल के रामसाई जलपाईगुड़ी में वेनम रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्नेक पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा के पारादीप में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल के कोल्लम जिले में इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा बीच सैंड मिनरल के खनन के लिए ली गई भूमि को भू-स्वामियों को वापस सौंपे जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.19 बजे

7. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—अस्वीकृत

**वित्त विधेयक, 2017* लिया गया समय: 1 घंटा 48 मिनट

श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

खंड 51

1. पृष्ठ 25, खंड 51 का **लोप** करें।

खंड 52

2. पृष्ठ 25, खंड 52 का **लोप** करें।

खंड 53

3. पृष्ठ 25, खंड 53 का **लोप** करें।

खंड 154

4. पृष्ठ 52 पंक्ति 11 में, ''प्रकट करेगी'' शब्दों **के पश्चात्** ''जो अंतिम तीन वित्तीय वर्षों के शुद्ध लाभ का 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा'' शब्द और अंक **अंत:स्थापित** करें।

5. पृष्ठ 52, पंक्ति 18 के **पश्चात्** निम्नलिखित परन्तुक **अंत:स्थापित** करें, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि किसी कंपनी के लिए यह अपेक्षा होगी कि वह ऐसे राजनीतिक दलों के नाम प्रकट करे, जिन्हें उसने अभिदाय किया है।''।

(ख) राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिशें अस्वीकृत की जाएं।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
2. डॉ॰ किरीट सोमैया

---

*विधेयक 22 मार्च, 2017 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया और 23 मार्च, 2017 को राज्य सभा को सौंपा गया। राज्य सभा ने विधेयक, सिफारिशों के साथ 29 मार्च, 2017 को लौटा दिया जिसे उसी दिन लोक सभा के पटल पर रखा गया।

3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री जैदेव गल्ला
6. श्री ए॰ पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
7. श्री मो॰ बदरुद्दोजा खान
8. श्री एन॰ के॰ प्रेमचंद्रन
9. श्री आनंदराव अडसुल
10. श्री वाई॰ वी॰ सुब्बा रेड्डी
11. श्री असादुद्दीन ओवैसी

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को अस्वीकृत किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा संशोधन अस्वीकृत किए गए।

इसके पश्चात्, अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

> ''संविधान के अनुच्छेद 109 के खंड (4) के अनुसार विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए किसी संशोधन के बिना, दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया समझा जाएगा जिसमें वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था।''

(लोक सभा अपराह्न 2.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.10 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 3.10 बजे

8. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 2 घंटे 16 मिनट

अध्यक्ष ने नियम 360 के अधीन सतत् विकास लक्ष्य—सभी के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए भावी मार्ग के महत्व को रेखांकित करते हुए आरंभिक टिप्पणियां कीं।

तत्पश्चात्, श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस विषय पर चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवादों में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. प्रो॰ सौगत राय
3. श्री तथागत तत्पथी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*अपराह्न 5.58 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 31 *मार्च,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

---

*अपराह्न 5.26 बजे से अपराह्न 5.58 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—5719LS(S3)—30-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 31 मार्च, 2017/10 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 220

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 421 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने सभा पटल पर उत्तर रखा। प्रश्न संख्या 421 का पूरक प्रश्न पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्या 422—425, 427 और 428 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 426 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने सभा पटल पर उत्तर रखा। प्रश्न संख्या 426 के पूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 429—440 के मौखिक उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4831—5060 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम्पावर्ड कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के अधीन अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 204(अ) जो 8 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं॰ 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 284(अ) जो 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा हाजिरा (सूरत) स्थित पत्तन को ऐसे पत्तनों, जहां से ऐसे निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत आयात और निर्यात की अनुमति है, की सूची में शामिल किए जाने के उद्देश्य से, जोकि व्यापार सुविधा उपाय है, विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं को लागू करने के लिए उसमें उल्लिखित 20 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 287(अ) जो 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं॰ 12/2012-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 249(अ) जो 15 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय मैसर्स गुयांग्जी क्विंझो कैपिटल सक्सैस कैमिकल लिमिटेड द्वारा पहले से अध्यापरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संग्रहण के बिना प्रतिभूति या गारंटी की प्रस्तुति के अध्यधीन प्रतिपाटन शुल्क और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा शुरू किए गए न्यू रिव्यू के परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "फॉस्फोरिक एसिड-टेक्निकल ग्रेड एण्ड फूड ग्रेड (औद्योगिक ग्रेड सहित)" के सभी आयातों का अनन्तिम मूल्यांकन विहित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 254(अ) जो 25 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा तेलंगाना राज्य में हैदराबाद में एक और ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई है।

(दो) का॰आ॰ 298(अ) जो 30 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में बैंगलुरू में एक और ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई है।

(तीन) का॰आ॰ 379(अ) जो 9 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में चंडीगढ़ में एक और ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई है।

(चार) का॰आ॰ 454(अ) जो 15 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य में देहरादून में एक और ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई है।

(पांच) का॰आ॰ 831(अ) जो 15 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में सिलिगुड़ी में एक और ऋण वसूली अधिकरण की स्थापना की गई है।

(छह) का॰आ॰ 253(अ) जो 25 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो केरल राज्य में एर्णाकुलम में ऋण वसूली अधिकरण एक और दो की अधिकारिता के संशोधन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 696(अ) जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में चंडीगढ़ में ऋण वसूली अधिकरण एक और दो के पते में परिवर्तन के बारे में है।

(7) (एक) फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अधीन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) सातवां संशोधन विनियम, 2016 जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 11/09/रेग/हारमोनिज/2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय नर्सिंग परिषद् ''पाठ्यक्रम और विनियम: जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा; संशोधन, 2015'' जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 1-16/2015-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सहायक नर्स और मिडवाइफ-पाठ्यक्रम और विनियम जो 3 जनवरी, 2017 के भारत में राजपत्र में अधिसूचना सं॰ एफ॰ सं॰ 11-1/2015-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(11) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 12 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2016-17/018 में प्रकाशित हुए थे।

(12) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में रूझान की त्रैमासिक समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी), शिमला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी), शिमला के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिक्स, महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिक्स, महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर), श्रीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर), श्रीनगर के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 30 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा 27 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख विधेयक, 2016 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई:—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ सं॰ 1, पंक्ति 1, ''सड़सठवें'' शब्द **के स्थान पर** ''अड़सठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड-1

2. कि पृष्ठ सं॰ 1, पंक्ति 4, ''2016'' अंक **के स्थान पर** ''2017'' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

3. कि पृष्ठ सं॰ 2, पंक्ति 2, ''2016'' अंक **के स्थान पर** ''2017'' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

(दो) कि राज्य सभा को 20 मार्च, 2017 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2017 में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को 20 मार्च, 2017 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (रेल) विधेयक, 2017 में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ''कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का निष्पादन लेखा परीक्षा और ईएसआईसी की चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखा परीक्षा'' विषय पर 67वां प्रतिवेदन।

(2) ''स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोग से अतिरिक्त धनराशि (2014-15)'' विषय पर 68वां प्रतिवेदन।

6. रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने रेल अभिसमय समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'रेल अवसंरचना में पीपीपी के अवसरों की तलाश' संबंधी 11वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) 'भारतीय रेल में हरित ऊर्जा पहल' संबंधी 12वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(3) 'भारतीय रेल की वित्त पोषण विकास आवश्यकताओं में आईआरएफसी की भूमिका और एसपीवी पद्धति के उपयोग के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही' संबंधी 13वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(4) 'विमान और सड़क परिवहन की तुलना में रेल यातायात का शेयर' के बारे में समिति के पांचवे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही' संबंधी 14वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

7. अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड' में नियोजन में अ॰पि॰व॰ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय, विषय पर अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधरी समिति (2015-2016) (सोलहवीं लोक सभा) के पांचवे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति (2016-17) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ॰ विरेन्द्र कुमार ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के पांचवे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) 'ऊर्जा संरक्षण' के बारे में समिति के 7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-I और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(3) 'लघु जल विद्युत क्षेत्र का विकास और स्थिति' के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-I और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(4) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-I में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दद्दन मिश्रा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 294वां प्रतिवेदन।

(2) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 295वां प्रतिवेदन।

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 296वां प्रतिवेदन।

(4) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 297वां प्रतिवेदन।

(5) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 298वां प्रतिवेदन।

(6) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 299वां प्रतिवेदन।

(7) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में 300वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

10. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 5 अप्रैल, 2017 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

11. राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री हरिभाई पार्थी भाई चौधरी ने श्री कलराज मिश्र के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.14 बजे

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

अपराह्न 12.14 बजे

13. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री राजीव सातव ने भारत में अध्ययन कर रहे अफ्रीकी विद्यार्थियों पर कथित नस्ली और द्वेषजनित हमलों के बारे में निवेदन किया।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री पी॰के॰ बिजू, श्री इनोसेंट और श्री जोस के॰ मणि सहयोजित हुए।

श्री अनंत कुमार* ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.33 बजे

(दो) प्रो॰ सौगत राय ने जम्मू-कश्मीर में विद्रोह को रोकने की कार्रवाई के दौरान नागरिकों की कथित मृत्यु के बारे में निवेदन किया।

*संसदीय कार्य मंत्री।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह[$] ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.21 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.30 बजे

14. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017

आबंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 1 घंटा 01 मिनट
शेष समय : 59 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती रंजीत रंजन
2. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
3. डॉ॰ ममताज संघमिता

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.31 बजे

15. प्रस्ताव

श्री रतन लाल कटारिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 29 मार्च, 2017 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन से सहमत हो।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

16. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन

श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

$गृह मंत्री

''यह सभा सरकार से निम्नलिखित के संबंध में तत्काल कदम उठाने का आग्रह करती है—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों को संराशीकरण और पूंजी लौटाने के लाभ बहाल करना;

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थियों को सेवानिवृत्ति के ठीक पहले के बारह महीने के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना;

(तीन) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अनुसार पेंशनभोगियों से संराशिकृत पेंशन की पूरी राशि की वसूली के बाद पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना;

(चार) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर तीन हजार रुपए प्रति माह करना;

(पांच) लगभग सत्ताईस हजार करोड़ रुपए की अदावाकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए आवास योजना सहित कल्याण योजनाएं लागू करना;

(छह) विगत अनुभव के आधार पर संपूर्ण कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का संशोधन करना; और

(सात) कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अजय मिश्र टेनी (अपना भाषण प्रारंभ किया)
2. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
3. डॉ॰ ममताज संघमिता
4. श्री आनंद राव अडसुल
5. श्री रवीन्द्र कुमार राय
6. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी
7. श्री अभिषेक सिंह

8. श्री पशुपति नाथ सिंह

9. श्री जुगल किशोर शर्मा (भाषण पूरा नहीं हुआ)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा बुधवार, 5 अप्रैल, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—5759LS(S3)—31-03-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 5 अप्रैल, 2017/15 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 221

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 1 अप्रैल, 2017 के पूर्व बजट 2017 की प्रक्रिया पूर्ण करने और पारित करने में सभी सदस्यों, सभी दलों, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और सभी मंत्रालयों द्वारा किए गए सहयोग का प्रशंसनीय उल्लेख किया। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इसे उल्लेखनीय घटना के रूप में माना जाएगा। उन्होंने लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और स्टाफ द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 441 से 444 और 448 के मौखिक उत्तर दिए गए।

जिन सदस्यों के नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 445 से 447 सूचीबद्ध थे, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्रियों ने प्रश्न के उत्तर सभा पटल पर रखे। प्रश्न संख्या 446 के पूरक प्रश्न पूछे गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 449—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5061—5290 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) शिक्षु (संशोधन) नियम, 2017 जो 20 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 63(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षु (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 2 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 186(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत समूह 'ख' के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी (अनुभाग अधिकारी तथा निजी सचिव से इतर) तथा समूह 'ग' पदों, केन्द्रीय सूचना आयोग आदेश, 2017, जो 15 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 244(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1106(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2016, जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1107(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2017, जो 8 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 205(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2017, जो 8 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 206(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1104(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2016, जो 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1105(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2016, जो 27 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1177(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2016, जो 27 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1178(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2016, जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1193(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2016, जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1194(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2017, जो 1 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 81(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2017, जो 1 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 82(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2017, जो 1 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 83(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2017, जो 1 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 84(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2017, जो 27 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 171(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2017, जो 27 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 172(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2017, जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2017, जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 180(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(क) (एक) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राईट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) ब्रेथवेट एंड लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(आठ) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(नौ) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दस) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्यारह) डेडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(बारह) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तेरह) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चौदह) कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(7) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल दुर्घटना और अप्रत्याशित घटना (क्षतिपूर्ति) संशोधन नियम, 2016 जो 22 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1165(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2017 का संख्यांक 9)—अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणी का प्रतिवेदन।

(दो) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदनों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2017 का प्रतिवेदन संख्यांक 6)—(अनुपालन लेखापरीक्षा) का प्रतिवेदन।

(9) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

अपराह्न 12.01 बजे

5. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2017*

@(दो) *संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017*

@(तीन) *राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017*

#अपराह्न 12.02 बजे

6. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री भर्तृहरि महताब ने गिलगिट-बाल्तिस्तान को अपना पांचवां प्रांत घोषित करने के पाकिस्तान के एकतरफा प्रयास तथा सरकार द्वारा अविलंब कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री निशिकांत दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री एम॰बी॰ राजेश, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री प्रहलाद जोशी, श्री उदय प्रताप सिंह और श्री देवजी एम॰ पटेल सहयोजित हुए।

*श्रीमती सुषमा स्वराज ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.14 बजे

(दो) श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ अपर्याप्त कार्रवाई पर अफ्रीका मिशन के प्रमुखों द्वारा सरकार पर दु:खद अभ्यारोपण, जिससे विश्व स्तर पर देश की छवि गंभीर रूप से धूमिल हुई है, के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰बी॰ राजेश सहयोजित हुए।

*श्रीमती सुषमा स्वराज ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.54 बजे

(तीन) श्री एम॰बी॰ राजेश ने आधार कार्ड संबंधी जानकारी के लीक होने की सरकार की स्वीकारोक्ति से उत्पन्न स्थिति के बारे में निवेदन किया।

@अपराह्न 12.07 बजे।

#अपराह्न 12.02 बजे से अपराह्न 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

*विदेश मंत्री।

एडवोकेट जोएस, जॉर्ज, डॉ॰ ए॰ संपत, श्री जितेन्द्र चौधरी, श्री मोहम्मद फैजल, श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन सहयोजित हुए।

%श्री पी॰पी॰ चौधरी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.04 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

(1) श्री डी॰एस॰ राठौड़ द्वारा आस-पास के क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों को टोल फ्री किए जाने के बारे में।

(2) श्री राहुल कास्वां द्वारा राजस्थान को समझौते के अनुसार रावी और व्यास नदियों के जल का पूरा हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री मानशंकर निनामा द्वारा राजस्थान में नि:शुल्क बिजली कनेक्शन की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों को शिथिल किए जाने के बारे में।

(4) श्री देवजी एम॰ पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में आंगनवाड़ केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री विद्युत वरण महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अस्पताल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एमडीआर 56 के बचे हुए हिस्से को चौड़ा करने और उसका अनुरक्षण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा ग्राम भनिया, तालुका खम्भा, जिला अमरेली, गुजरात में मूलभूत जनसुविधाओं से संबंधित निर्माण कार्य हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

%विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(8) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू-कश्मीर के जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों में पेयजल की कमी की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बैंकों की शाखा स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान के जिलों में पेयजल तथा सिंचाई के प्रयोजनार्थ बिसलपुर बांध के पानी की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री रमेन डेका द्वारा असम के ओरंग राष्ट्रीय पार्क में जानवरों की सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा बिहार में विशेष रूप से बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा देश में मछुआरों की समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एम॰आई॰ शनवास द्वारा नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्व में चारे और पानी के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री अर्का केशरी देव द्वारा ओडिशा के कसिंगा अथवा भवानीपटना में एक सरकारी तेल डिपो स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा रेल खान-पान सेवा नीति के अनुसार स्टॉल/ट्रॉली/कियोस्क वेंडर्स के हितों की रक्षा किए जाने तथा उन्हें पर्याप्त सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव द्वारा बंद पड़े भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर ब्याज दिए जाने के बारे में।

(18) श्री जितेन्द्र चौधरी द्वारा सार्वजनिक जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी पर दी जाने वाली राजसहायता को समाप्त करने वाले निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री वाई॰वी॰ सुब्बा रेड्डी द्वारा साल्ट फार्मों की समस्याओं के बारे में।

(20) मोहम्मद फैज़ल पी॰पी॰ द्वारा लक्षद्वीप में छह विलवणीकरण संयंत्रों को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा बिहार के मुंगेर जिले में ऋषि कुंड पाटम और धरहरा में सीआरपीएफ का स्थायी कैंप स्थापित किए जाने तथा राज्य में पुलिस बल तथा संचार प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-82 पर पुराने तथा जीर्णशीर्ण नदी-पुलों की मरम्मत किए जाने तथा बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर एक उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा असम के कोकराझार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल परियोजनाओं हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.06 बजे

8. राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन — सहमत

**कर्मचारी प्रतिकर (संशोधन) विधेयक,* 2016

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने श्री बंडारू दत्तात्रेय की ओर से प्रस्ताव किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ सं॰ 1, पंक्ति 1, ''सड़सठवें'' शब्द **के स्थान पर** ''अड़सठवें'' शब्द **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड — I

2. कि पृष्ठ सं॰ 1, पंक्ति 3, ''2016'' अंक **के स्थान पर** ''2017'' अंक **प्रतिस्थापित** किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने प्रस्ताव किया कि सभा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत हो।

---

*विधेयक 9 अगस्त, 2016 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था तथा राज्य सभा को सहमति के लिए भेजा गया था। राज्य सभा ने 22 मार्च, 2017 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और 23 मार्च, 2017 को लोक सभा को लौटा दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

अपराह्न 2.08 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017

लिया गया समय: 3 घंटे 23 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 31 मार्च, 2017 को विधेयक पर विचार किए जाने के पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री धनंजय महाडीक
2. डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल
3. श्री आनंदराव अडसुल
4. श्री बलभद्र मांझी
5. श्री कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी
6. श्री थोटा नरसिम्हम
7. श्री रत्न लाल कटारिया
8. श्री मोहम्मद सलीम
9. श्री शेर सिंह गुबाया
10. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
11. श्री कौशलेन्द्र कुमार
12. श्री अधीर रंजन चौधरी
13. श्री हरिओम सिंह राठौड़
14. प्रो॰ सौगत राय
15. श्रीमती अंजू बाला
16. श्री एम॰ के॰ राघवन
17. श्री राहुल शेवाले

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 से 16 स्वीकृत हुए।

खंड 17 स्वीकृत हुआ।

खंड 18 से 27 स्वीकृत हुए।

खंड 28 स्वीकृत हुआ।

खंड 29 स्वीकृत हुआ।

खंड 30 से 39 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.30 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 3 घंटे 46 मिनट

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा 30 मार्च, 2017 को सतत विकास लक्ष्य—सभी का स्वास्थ्य और कुशलक्षेम की ओर अग्रसर होने का मार्ग, के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली
2. डॉ॰ संजय जायसवाल
3. श्री गौरव गोगोई
4. श्री रत्न लाल कटारिया
5. डॉ॰ रविन्द्र बाबू
6. श्री जितेन्द्र चौधरी
7. श्रीमती सुप्रिया सुले

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 6 अप्रैल, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—54LS(S3)—05-04-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 6 अप्रैल, 2017/16 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 222

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

जिस सदस्य के नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 461 सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 461 के पूरक प्रश्न पूछे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 462 से 466 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 467—480 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5291—5520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

3. निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) चौदहवीं, पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

चौदहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 29	दूसरा सत्र, 2004

पंद्रहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या 30	दूसरा सत्र, 2009
3. विवरण संख्या 24	छठा सत्र, 2010
4. विवरण संख्या 22	आठवां सत्र, 2011
5. विवरण संख्या 21	नौवां सत्र, 2011
6. विवरण संख्या 20	दसवां सत्र, 2012
7. विवरण संख्या 18	ग्यारहवां सत्र, 2012
8. विवरण संख्या 17	बारहवां सत्र, 2012

9. विवरण संख्या 16	तेरहवां सत्र, 2013
10. विवरण संख्या 12	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

11. विवरण संख्या 11	दूसरा सत्र, 2014
12. विवरण संख्या 10	तीसरा सत्र, 2014
13. विवरण संख्या 9	चौथा सत्र, 2015
14. विवरण संख्या 7	पांचवां सत्र, 2015
15. विवरण संख्या 6	छठा सत्र, 2015
16. विवरण संख्या 4	सातवां सत्र, 2016
17. विवरण संख्या 4	आठवां सत्र, 2016
18. विवरण संख्या 3	नौवां सत्र, 2016
19. विवरण संख्या 1	दसवां सत्र, 2016
20. विवरण संख्या 1	ग्यारहवां सत्र, 2017

(6) (एक) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया ने कार्य मंत्रणा समिति का 43वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रत्न लाल कटारिया ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्यवाही विवरण

श्री थुपस्तान छेवांग ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के अंतिम की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'सामान्य रक्षा बजट (मांग संख्या 20, 21 और 27) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15)' के संबंध में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 14वां प्रतिवेदन।

(2) 'रक्षा मंत्रालय के सिविल व्यय तथा रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21, 22 और 28) के संबंध में रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16)' के संबंध में समिति (2014-15) के छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 15वां प्रतिवेदन।

(3) 'नौसेना और वायुसेना के संबंध में रक्षा मंत्रालय (मांग संख्या 24 और 25) की अनुदानों की मांगों (2015-16)' के संबंध में समिति (2015-16) के 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2015-16) का 16वां प्रतिवेदन।

*अपराह्न 12.04 बजे

7. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में हाल में हुए हमले सहित पूरे भारत में सजग समूहों द्वारा गाय तस्करों को कथित रूप से मार देने के बारे में निवेदन किया।

डॉ॰ ए॰ संपत, श्री पी॰के॰ बीजू, श्री एम॰बी॰ राजेश, श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर और एडवोकेट जोएस जॉर्ज सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.11 बजे

(दो) प्रो॰ रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ ने एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंसों द्वारा उन पर 'हवाई यात्रा प्रतिबंध' लगाने, जिसके कारण सदस्यों के मूल अधिकार और प्रदत्त विशेषाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, के बारे में निवेदन किया।

^श्री अनंत गंगाराम गीते और श्री कल्याण बनर्जी ने भी इसी मुद्दे पर निवेदन किया।

$ श्री अशोक गजपति राजू पूसापति ने उत्तर दिया।

श्री राजनाथ सिंह ने भी उत्तर दिया@।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.26 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.45 बजे पुन:समवेत हुई)

(लगातार व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.46 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत हुई)

(लगातार व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.15 बजे पुन: समवेत हुई)

---

*अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 12.25 बजे और अपराह्न 1.15 बजे से अपराह्न 1.53 बजे तक सदस्यों ने अबिलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#गृह मंत्री।

^भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री।

$नागर विमानन मंत्री।

@अपराह्न 1.15 बजे।

अपराह्न 1.15 बजे

(तीन) श्री पी॰करुणाकरन ने इलेक्ट्रानिक मशीनों के माध्यम से मतदान प्रणाली की समीक्षा के बारे में निवेदन किया।

श्री कौशलेन्द्र कुमार, डॉ॰ ए॰ संपत, श्री पी॰के॰ बीजू, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री जोस के॰ मणि, श्री एम॰बी॰ राजेश और श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन सहयोजित हुए।

%श्री अनंत कुमार ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.40 बजे

(चार) श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर ने हथकरघा बुनकरों के लिए कल्याण योजनाओं के बारे में निवेदन किया।

श्री पी॰के॰ बीजू, श्री एम॰बी॰ राजेश, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री मो॰ बदरुद्दोजा खान, श्री जोस के॰ मणि, श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन, डॉ॰ ए॰ संपत सहयोजित हुए।

&श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.53 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.52 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 2.52 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों के नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐत-कोंच, कोंच-जालौन, कोंच-रावतपुरा और कोंच-सलैया सड़क खंडों को चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में सैनिक स्कूल, सीएसडी कैंटीन तथा सैनिक कल्याण बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

%रसायन और उर्वरक मंत्री; और संसदीय कार्य मंत्री।

&वस्त्र मंत्री।

(3) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री कंवर सिंह तंवर द्वारा उत्तर प्रदेश के गजरौला में एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा कैदियों द्वारा जेल कर्मियों के विरुद्ध झूठी शिकायतें दर्ज कराए जाने के बारे में।

(6) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा उत्तराखंड में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, औषधीय पादपों एवं अन्य वन उत्पादों के क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान में भटेवर-भिंडर-कानौड-धरियावाद सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा कथित चिकित्सा लापरवाही के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में।

(9) श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा तम्बाकू उद्योग के बारे में।

(10) श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मरों के लिए बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य बनाए जाने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ किरीट सोमैया द्वारा मुम्बई के पूर्वी मुलुन्ड डाकघर को स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा पंचायत और ग्राम स्तर पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड में टाटा स्टील तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम डीवीसी के द्वारा भू-पट्टा करार के उल्लंघन के मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बिहार में कोसी नदी पर सुपौल और मधुबनी जिलों में बने बांध को सहरसा जिले तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री एस॰ पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा एशिया राजमार्ग संख्या 7 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150ए के बीच 72 किलोमीटर की दूरी को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा पश्चिम बंगाल में मस्लिन खादी उद्योग का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री अरविंद सावंत द्वारा मुम्बई में उपनगरीय रेलवे स्टेशनों के नाम दोबारा रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री धर्म वीर गांधी द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 78, 79 और 80 को रद्द किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री राजू शेट्टी द्वारा विशेष रूप से महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण लेने वालों का शोषण करने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.53 बजे

9. सरकारी विधेयक—पारित

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017

लिया गया समय: 2 घंटे 18 मिनट

श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा श्री अरूण जेटली की और से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ शशि थरूर
2. श्री निशिकांत दुबे
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. डॉ॰ रविन्द्र बाबू
6. डॉ॰ ए॰ संपत

7. श्री कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी
8. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
9. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
10. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
11. श्री राजेश पाण्डेय
12. श्री कौशलेन्द्र कुमार

श्री संतोष कुमार गंगवार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 12 स्वीकृत हुए।

श्री संतोष कुमार गंगवार ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2017 की सरकारी संशोधन संख्या 2 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 12क, 12ख और 12ग को अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुए।

नए खंड 12क, 12ख और 12ग भी स्वीकृत हुए।

खंड 13 से 16 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1 और अधिनियमन सूत्र स्वीकृत हुआ।

पूरा नाम, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष कुमार गंगवार ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

श्री तथागत सत्पथी ने स्पष्टीकरण मांगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 5.11 बजे

10. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

#*(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक,* 2017

#*(दो) संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक,* 2017

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय : 3 घंटे
लिया गया समय : 1 घंटा 19 मिनट
शेष : 1 घंटा 41 मिनट

श्री थावर चंद्र गहलोत द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री थावर चंद्र गहलोत ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 66 के परंतुक को, संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 को विचार तथा पारित करने के हेतु लिए जाने के प्रस्ताव को, जहां तक यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 पर आश्रित है, लागू करने के संबंध में निलंबित करती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यगण, मैं थावर चंद्र गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए बुलाऊं, इससे पूर्व मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय मंत्री ने दिनांक 5 अप्रैल, 2017 के अपने पत्र द्वारा सूचना दी है कि राष्ट्रपति ने विधेयक की

#एक साथ चर्चा की गई।

विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड (3) के अंतर्गत विधेयक पर सभा में विचार किए जाने की सिफारिश की है।''

श्री थावर चंद गहलोत द्वारा संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री राजीव सातव
2. श्री हुक्मदेव नारायण यादव (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.30 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 7 अप्रैल, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—104LS(S3)—06-04-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 7 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 223

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 481—483, 485, 486 और 488 के मौखिक उत्तर दिए गए।

जिन सदस्यों के नाम प्रश्न संख्या 484 सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न संख्या 484 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गए।

जिन सदस्यों के नाम प्रश्न संख्या 487 सूचीबद्ध था, वे अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखा। तारांकित प्रश्न संख्या 489—500 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5521—5750 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 3288(अ) जो 25 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम,

1988 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नियुक्त होने और अपीलीय अधिकरण स्थापित होने तक न्यायनिर्णयन प्राधिकरण और अपीलीय अधिकरण के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का॰आ॰ 3289(अ) जो 25 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 नवम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिस तारीख को बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के उपबंध प्रवृत्त होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध नियम, 2016 जो 25 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1004(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 3290(अ) जो 25 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आयकर प्राधिकारियों को ''प्राधिकरण'' की शक्तियों का उपयोग करने और उसके कृत्यों का निर्वहन करने का निदेश दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (32वां संशोधन) नियम, 2016 जो 21 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3498(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 जो 9 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 117(अ) में प्रकाशित हुआ थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का॰आ॰ 600(अ) जो 23 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (48) के प्रयोजनार्थ नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी को विदेशी कंपनी के रूप में तथा 20 जनवरी, 2013 को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन को 16 अगस्त, 2016 को हस्ताक्षरित बैठक के कार्यवाही सारांश द्वारा यथाआशोधित रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2017 जो 6 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 14(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 290(अ) जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई प्रतिवंचन जांच के अंतिम परिणाम के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित इंडोलिनोन के आयात पर 20 नवम्बर, 2019 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 291(अ) जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा प्रारम्भ की गई न्यू शिपर समीक्षा का परिणाम आने तक प्रतिभूति अथवा गारंटी प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन, पहले से ही अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण किए बिना चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक या निर्यातक), मैसर्स झेजियांग सेनमेई कैमिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक), मैसर्स झियांगसू सेनमेई कैमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) में उद्भूत अथवा वहां से भारत में निर्यातित 1, 1, 1, 2-टेट्राफ्लोरोथन के सभी आयात पर अनंतिम मूल्यांकन विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) (एक) पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया) विनियम, 2017 जो 20 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 1-59/ एफएसएसएआई/2009 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 जो 10 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 1/2008/आयात सुरक्षा/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(5) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 17 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 260(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 जो 9 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 224(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कंपनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) नियम, 2016 जो 7 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1119(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (समझौते, करार और समामेलन) नियम, 2016 जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1134(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (कंपनी की शेयर पूंजी में कमी की प्रक्रिया) नियम, 2016 जो 16 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1147(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (संशोधन) नियम, 2016 जो 20 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1159(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 जो 27 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1174(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (निगमन) पांचवां संशोधन नियम, 2016 जो 29 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1184(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2017 जो 27 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 70(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (लंबित कार्यवाहियों का अंतरण) संशोधन नियम, 2017 जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 175(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जो 17 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 258(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपर्युक्त (6) की मद सं॰ (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 8(अ) जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आईएफएससी सार्वजनिक कंपनियों को छूट दिए जाने के बारे में है।

(दो) सा॰का॰नि॰ 9(अ) जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आईएफएससी प्राइवेट कंपनियों को छूट दिए जाने के बारे में है।

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में संशोधन करने के संबंध में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 1075(अ) जो 17 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कंपनी (कठिनाइयों का निराकरण) चौथा आदेश, 2016 जो 7 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3676(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

***4. राज्य सभा से संदेश**

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(1) कि राज्य सभा को 29 मार्च, 2017 को लोक सभा द्वारा पारित केन्द्रीय माल और सेवा कर विधेयक, 2017 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(2) कि राज्य सभा को 29 मार्च, 2017 को लोक सभा द्वारा पारित एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक, 2017 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(3) कि राज्य सभा को 29 मार्च, 2017 को लोक सभा द्वारा पारित माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक, 2017 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

---

*अपराह्न 12.06 बजे

(4) कि राज्य सभा को 29 मार्च, 2017 को लोक सभा द्वारा पारित संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर विधेयक, 2017 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) (2015-16) के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर आधारित समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने 'ईपीएफओ से छूट प्राप्त संगठन/न्यास/स्थापना: निष्पादन, मुद्दे और चुनौतियां' के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्यवाही विवरण

श्रीमती अंजू बाला ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) भेषज विभाग की 'अनुदानों की मांगों 2016-17' के संबंध में 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी समिति के 29वे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर।

(2) भेषज विभाग के 'फार्मा क्षेत्र के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (सीडीपी-पीएस)' विषय के संबंध में 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तर।

अपराह्न 12.02 बजे

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

9. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के संबंध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव

श्री गणेश सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के संबंध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय शीलकालीन सत्र, 2017 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. प्रस्ताव

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि यह सभा 6 अप्रैल, 2017 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 43वें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.03 बजे

11. सदस्य द्वारा निवेदन

श्रीमती पूनम महाजन ने केरल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों पर कथित हमले के बारे में निवेदन किया:—

श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गणेश सिंह, श्री शरद त्रिपाठी, श्री लखन लाल साहू, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी और श्री सुधीर गुप्ता सहयोजित हुए।

श्री अनन्त कुमार# ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.50 बजे

12. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016

---

*अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 12.50 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#संसदीय कार्य मंत्री।

आवंटित समय : 4 घंटे
लिया गया समय : 3 घंटे 23 मिनट
शेष समय : 37 मिनट

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव श्री नितिन गडकरी द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल
2. श्री उदय प्रताप सिंह
3. सुश्री अर्पिता घोष
4. श्री तथागत सत्पथी
5. श्री अरविन्द सावंत
6. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
7. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
8. श्रीमती किरण खेर
9. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
10. कुमारी सुष्मिता देव
11. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
12. डॉ॰ धर्म वीर गांधी
13. श्री ओम बिरला
14. डॉ॰ रत्ना डे (नाग)
15. श्री अधीर रंजन चौधरी
16. श्री राहुल कस्वां
17. श्री कौशलेन्द्र कुमार
18. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
19. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
20. श्री सिराजुद्दीन अज़मल

21. श्री गोपाल शेट्टी

22. श्री नारणभाई काछडिया

23. श्री सुशील कुमार सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.13 बजे

13. प्रस्ताव

श्री रत्न लाल कटारिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 6 अप्रैल, 2017 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 33वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.15 बजे

14. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

1. श्री शिवाजीराव आधलराव पाटील का सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को पेंशन का संदाय विधेयक, 2016

2. श्री शिवाजीराव आधलराव पाटील का रेल (संशोधन) विधेयक, 2016 (धारा 126 और 127 का संशोधन)।

3. श्री एम॰ के॰ राघवन का एयरलाइन विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2017

4. श्री विष्णु दयाल राम का बालक संरक्षण विधेयक, 2017

5. श्री विष्णु दयाल राम का पोलीथीन बैग पर पाबंदी विधेयक, 2017

6. श्री विष्णु दयाल राम का जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2017

7. श्री ए॰टी॰ नाना पाटील का उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अनाथों के लिए अनिवार्य मूल सुविधाएं विधेयक, 2017

8. श्री भैरों प्रसाद मिश्र का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2017 (नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन)।

9. श्री अश्विनी कुमार चौबे का स्वास्थ्य बीमा योजना विधेयक, 2017

अपराह्न 4.21 बजे

15. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—विचाराधीन

संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015

श्री विनसेट एच॰ पाला द्वारा 5 अगस्त, 2016 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जितेन्द्र चौधरी (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)

2. डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार

3. श्री निनोंग इरिंग (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 10 *अप्रैल,* 2017 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—141LS(S3)—07-04-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 10 अप्रैल, 2017/20 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 224

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 501 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.20 बजे पुन: समवेत हुई)

पूर्वाह्न 11.20 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 502—504 के मौखिक उत्तर दिये गए। तारांकित प्रश्न संख्या 505—520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5751—5980 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(ख) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(ग) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वित्तीय आकलन और निष्पादन बजट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 827(अ) जो 15 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 फरवरी, 2015 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 323(अ) का अधिक्रमण किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 828(अ) जो 15 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 फरवरी, 2015 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 324(अ) का अधिक्रमण किया गया है।

(5) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की न्यूनतम आय का अनुसमर्थन अभिसमय, 1973 (संख्यांक 138) और बाल श्रम का सबसे खराब रूप अभिसमय, 1999 (संख्यांक 182) के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) आयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नोएडा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का अवधारण) संशोधन विनियम, 2016 जो 19 दिसंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2016 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बिएक्को लॉरी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिएक्को लॉरी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) डीएमआईसी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डीएमआईसी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) जबलपुर गारमेन्ट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर एसोशिएशन, जबलपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जबलपुर गारमेन्ट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर एसोशिएशन, जबलपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) फाल्टा सेज अथारिटी के वर्ष 2009-2010 से 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीप्ज सेज अथारिटी के वर्ष 2009-2010 से 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) नोएडा स्पेशल इकानोमिक जोन अथारिटी, जीबी नगर के वर्ष 2009-2010 से 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(18) उपर्युक्त मद संख्या (17) में उल्लिखित उपर्युक्त प्राधिकरणों के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यापार चिन्ह नियम, 2017 जो 6 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 199(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 31(अ) जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2017 तक कर्नाटक राज्य में रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों और डीलरों को अपने नीलामी मंचों पर पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अधिशेष फ्लू कर्व्ड वर्जीनिया तंबाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित फ्लू कर्व्ड वर्जीनिया तंबाकू का क्रय करने की अनुमति देने हेतु तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 32(अ) जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कर्नाटक

राज्य में तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल किया गया है तथा तंबाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नीलामी मंचों पर पंजीकृत उत्पादकों के अधिशेष फ्लू कर्व्ड वर्जीनिया तंबाकू तथा अपंजीकृत उत्पादकों के फ्लू कर्व्ड वर्जीनिया तंबाकू का क्रय करने की अनुमति दी गई है।

(22) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) सर्व शिक्षा अभियान पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, पुदुचेरी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, पुदुचेरी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथारिटी अंडमान और निकोबार समूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अथारिटी अंडमान और निकोबार समूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजूकेशन सोसाइटी, शिमला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजूकेशन सोसाइटी, शिमला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद्, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद्, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान त्रिपुरा, अगरतला के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) मणिपुर यूनिवर्सिटी, इम्फाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मणिपुर यूनिवर्सिटी, कांचीपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, रायपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) (एक) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नादर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नादर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, रांची के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, रांची के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2015–2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2015–2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी जयपुर, जयपुर के वर्ष 2015–16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी जयपुर, जयपुर के वर्ष 2015–16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी कुरूक्षेत्र के वर्ष 2015–16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी कुरूक्षेत्र के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी पुडुचेरी, कराइकल के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी पुडुचेरी, कराइकल के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) उपर्युक्त (76) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) (एक) नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजूकेशनल इंस्टिट्यूट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजूकेशनल इंस्टिट्यूट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(79) उपर्युक्त (78) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) उपर्युक्त (82) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) (एक) नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(86) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, पुणे के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) उपर्युक्त (90) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) उपर्युक्त (92) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, तिरूपति के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, तिरूपति के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, तिरूपति के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) उपर्युक्त (94) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) उपर्युक्त (96) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) उपर्युक्त (98) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, मंडी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(101) उपर्युक्त (100) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, तिरूवनंतपुरम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(103) उपर्युक्त (102) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजूकेशन एंड रिसर्च, मोहाली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(105) उपर्युक्त (104) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(107) उपर्युक्त (106) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) (एक) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लोंगोवाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(109) उपर्युक्त (108) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(110) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सांइस एजूकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सांइस एजूकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सांइस एजूकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(111) उपर्युक्त (110) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोकराझार के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(113) उपर्युक्त (112) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(114) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(115) उपर्युक्त (114) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(116) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(117) उपर्युक्त (116) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(118) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रवांगला के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, रवांगला के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(119) उपर्युक्त (118) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(120) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(121) उपर्युक्त (120) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(122) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग I और II), दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग I और II), दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग I और II), दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(123) उपर्युक्त (122) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(124) राष्ट्रीय, प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 26 की उपधारा 1 के अंतर्गत भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान का परिनियम, शिबपुर परिनियम, 2017 जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 293 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(125) अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 45 की उपधारा 2 के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ ई॰एफ॰एल॰यू/ओ/आरएंडआर/2016 जो 25 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के परिनियम और अध्यादेशों में संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(126) (एक) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2015-16 के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(127) उपर्युक्त (126) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(128) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2015-16 के वर्ष 2014-2015 के कारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(129) उपर्युक्त (128) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड जैसी उन कंपनियों जिनमें 50 प्रतिशत सरकारी तथा 50 प्रतिशत प्राइवेट इक्विटी है, आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की स्थिति' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2016-17) का 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री आनंदराव अडसूल ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'सिटी कंपोस्ट के संवर्धन संबंधी कार्यान्वयन नीति' विषय पर 34वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) मानव संसाधन विकास मंत्री ने 'उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एलुमनी एसोसिएशन' के बारे में श्री महेश गिरि, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1854 के संबंध में 28 नवम्बर, 2016 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मांग सं॰ 11 से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 129वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 264वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 271वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 275वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.06 बजे

7. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(एक) *भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी) विधेयक,* 2017

(दो) *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक,* 2017

*अपराह्न 12.07 बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पूर्व संसद सदस्य द्वारा दक्षिण भारतीयों के बारे में कथित जातीय टिप्पणियां किए जाने के संबंध में निवेदन किया:—

श्री पी॰के॰ बिजू, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, श्री राजीव सातव, श्री गौरव गोगोई और श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा सहयोजित हुए।

@श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

#श्री अनन्त कुमार ने भी उत्तर दिया%।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.22 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.47 बजे पुन: समवेत हुई)

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.52 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 1.50 बजे पुन: समवेत हुई)

अपराह्न 1.52 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्री नाना पटोले द्वारा देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय एटलस और थिमेटिक मैपिंग संगठन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मैप सीरिज संबंधी कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री हरीश मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में असमय वर्षा तथा ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपनाह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.22 और अपराह्न 12.47 से अपराह्न 12.52 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

@गृह मंत्री

#संसदीय कार्य मंत्री

%अपराह्न 12.48 बजे।

(3) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा भाखड़ा–ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में राजस्थान राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में।

(4) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार में गया और औरंगाबाद जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन निर्मित सड़कों पर पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा फिल्मों में चित्तौड़ की रानी महारानी पद्मिनी से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर, देहात जिले के माती स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री गोपाल शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र में स्वीकृत रेल लाइन परियोजनाओं के निर्माण हेतु निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ॰ रवीन्द्र कुमार राय द्वारा झारखंड के कोडरमा जिले में दामोदर घाटी निगम के संयंत्र द्वारा हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा भूमि अधिग्रहण पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 के मानदंडों के अनुसार भारत–नेपाल सीमा सुरक्षा परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी उन्हें पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती रमा देवी द्वारा आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाए जाने तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषक आहार तथा बेहतर बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक जूनियर हाई स्कूल का उन्नयन हाई स्कूल के रूप में किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल मोबाइल सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा रेलवे में सफाईकर्मियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री मानशंकर निनामा द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के अंश के रूप में निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय गन्ना शोध संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री विनसेंट एच॰ पाला द्वारा मेघालय में कोयला और चूना पत्थर की नीलामी हेतु खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम, 2015 के खंड में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री राजीव सातव द्वारा ईपीएफ पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) प्रो॰ सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए लम्बित विधेयकों को अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में।

(19) श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान द्वारा ओडिशा में एनएचएम के अंतर्गत प्लांटिंग सामग्री की लागत समायोजन हेतु मानकों में वृद्धि किए जाने के बारे में।

(20) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा गेहूं की बम्पर फसल और उस पर कम आयात शुल्क के मद्देनजर घरेलू गेहूं उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) प्रो॰ ए॰एस॰आर॰ नाईक द्वारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों हेतु नीति बनाए जाने के बारे में।

(22) श्री धनन्जय महाडीक द्वारा महाराष्ट्र में ऐतिहासिक किलों के विकास हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा देश में आवारा कुत्तों और जंगली जानवरों के खतरे के बारे में।

(24) श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल द्वारा बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा कोथामंगलम में रबड़ बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को बंद किए जाने के बारे में।

अपराह्न 1.53 बजे

10. सरकारी विधेयक—पारित

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016

लिया गया समय: 5 घंटे 02 मिनट

श्री नितिन गडकरी द्वारा 7 अप्रैल, 2017 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री नितिन गडकरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 तथा 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 5 तथा 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 11 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

खंड 16 स्वीकृत हुआ।

खंड 17 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 18 स्वीकृत हुआ।

खंड 19 तथा 20 स्वीकृत हुए।

खंड 21 स्वीकृत हुआ।

खंड 22 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 23 से 26 स्वीकृत हुए।

श्री नितिन गडकरी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 26क के अंतस्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 26क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 27 स्वीकृत हुआ।

खंड 28 स्वीकृत हुआ।

खंड 29 तथा 30 स्वीकृत हुए।

खंड 31 स्वीकृत हुआ।

खंड 32 तथा 33 स्वीकृत हुए।

खंड 34 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 35 स्वीकृत हुआ।

खंड 36 से 39 स्वीकृत हुए।

खंड 40 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 41 से 46 स्वीकृत हुए।

खंड 47 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 48 स्वीकृत हुआ।

खंड 49 के संशोधन के लिए श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा पेश किए गए संशोधन सं॰ 78 से 80 पर सभा में मतदान हुआ; पक्ष में: 38; विपक्ष में: 228; भाग नहीं लिया: 4। तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 49 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 50 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 51 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 52 से 64 स्वीकृत हुए।

खंड 65 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 66 से 72 स्वीकृत हुए।

खंड 73 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 74 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 75 तथा 76 स्वीकृत हुए।

खंड 77 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 78 से 81 स्वीकृत हुए।

श्री नितिन गडकरी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:–

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016 की सरकारी संशोधन संख्या 51 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 81क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 81क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 82 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 83 तथा 84 स्वीकृत हुए।

खंड 85 स्वीकृत हुआ।

खंड 86 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 87 तथा 88 स्वीकृत हुए।

खंड 89 यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्री नितिन गडकरी ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, मोटर यान (संशोधन) विधयेक, 2016 की सरकारी संशोधन संख्या 60 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 90 के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 90 भी स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री नितिन गडकरी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने स्पष्टीकरण की मांग की:—

1. डॉ॰ के॰ कामराज
2. श्री जैदेव गल्ला

3. श्री धनंजय महाडीक

4. श्री एम॰ बी॰ राजेश

5. प्रो॰ सौगत राय

श्री नितिन गडकरी ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

11. सरकारी विधेयक—पारित

#(एक) *राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक,* 2017

#(दो) *संविधान (123 वां संशोधन) विधेयक,* 2017

लिया गया समय: 4 घंटे 32 मिनट

श्री थावरचंद गहलोत द्वारा 6 अप्रैल, 2017 को पेश किए गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 और संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के॰एन॰ रामचन्द्रन
2. श्री कल्याण बनर्जी
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
5. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड
6. श्री पी॰ करुणाकरण
7. श्रीमती रेणुका बुत्ता
8. श्री गणेश सिंह

#एक साथ चर्चा की गयी।

9. श्री धर्मेन्द्र यादव
10. श्री शेर सिंह गुबाया
11. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
12. श्री उपेन्द्र कुशवाहा
13. श्री सिराजुद्दीन अजमल
14. श्री कौशलेन्द्र कुमार
15. श्री प्रेम दास राई
16. श्री असादुद्दीन औवेसी
17. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
18. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
19. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे
20. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
21. श्री धनंजय महाडीक
22. श्री प्रतापराव जाधव

श्री थावरचंद गहलोत ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री थावरचंद गहलोत ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(दो) संविधान (123वां संशोधन) विधेयक 2017 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत–विभाजन हुआ: #पक्ष में 345; #विपक्ष में 4. प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत–विभाजन हुआ: #पक्ष में 352; #विपक्ष में 1.

खंड 2 सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा खंड 3 के संशोधन के लिए पेश किए गए संशोधन सं॰ 8 पर सभा में मतदान हुआ; #पक्ष में: 56; #विपक्ष में: 276; भाग नहीं लिया 04. तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 3 को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत–विभाजन हुआ: #पक्ष में 312; #विपक्ष में 5.

खंड 3 सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 4 के संशोधन के लिए पेश किए गए संशोधन सं॰ 2 से 5 पर सभा में मतदान हुआ; #पक्ष में: 64; #विपक्ष में: 288; तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किए गए खंड 4 के संशोधन सं॰ 13 पर सभा में मतदान हुआ; #पक्ष में: 74; #विपक्ष में : 275; तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 4 और 5 को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत–विभाजन हुआ: #पक्ष में 320; #विपक्ष में 28.

खंड 4 और 5 सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

खंड 1 के संशोधन के लिए संशोधन के संख्यांक 6 पर मतदान हुआ और स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

#शुद्धि के अध्यधीन।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री थावरचंद गहलोत द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव पर सभा में मत–विभाजन हुआ: #पक्ष में 360; #विपक्ष में 2.

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

विधेयक, यथासंशोधित, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत से पारित हुआ।

सायं 6.45 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 11 अप्रैल, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

#शुद्धि के अध्यधीन।

GMGIPMRND—452LS(S3)—10-04-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 11 अप्रैल, 2017/21 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 225

*पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने नौसेना के पूर्व अधिकारी को मृत्युदंड देने के पाकिस्तान सैन्य न्यायालय के गैर कानूनी और मनमाने फैसले के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. श्री निशिकान्त दुबे
3. श्री असादुद्दीन ओवैसी
4. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
5. प्रो॰ सौगत राय
6. श्री बैजयंत जे पांडा
7. श्री विनायक भाऊराव राऊत

---

*पूर्वाह्न 11.00 बजे से पूर्वाह्न 11.31 बजे, सदस्यों ने निवेदन किया।

8. डॉ॰ ए॰ सम्पत
9. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
10. श्री सिराजुद्दीन अज़मल
11. श्री तारिक अनवर
12. डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
15. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
16. डॉ॰ शशि थरूर
17. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर

श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शिवकुमार उदासि, श्री देवजी एम॰ पटेल, डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी, श्री पी॰ के॰ बिजू, श्रीमती पी॰ के॰ श्रीमथि टीचर, श्री भगवंत खुबा और श्री प्रताप सिम्हा सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह% ने उत्तर दिया।

श्रीमती सुषमा स्वराज# ने भी उत्तर दिया@।

पूर्वाह्न 11.31 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 521 और 522 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 523—540 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5981—6210 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

%गृह मंत्री
#विदेश मंत्री
@अपराह्न 12.26 बजे

अपराह्न 12.03 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पापुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पापुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) निम्नलिखित संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष 2015-2016 के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली।

(4) (एक) रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी, झांसी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी, झांसी के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी, झांसी के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय शैक्षणिक विनियम-2016 जो 22 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ आरएलबीसीएयू/बीओएम/4/एएंडपी/2016 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को वर्ष 2015-2016 के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सी॰पी॰आर॰ एनवायर्नमेंटल एजूकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सी॰पी॰आर॰ एनवायर्नमेंटल एजूकेशन सेंटर, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सेंट्रल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एंड ट्रेडीशनल नालेज, बेंगलुरु के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स फार मेडिसिनल प्लांट्स एंड ट्रेडीशनल नालेज, बेंगलुरू के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 388(अ) जो 10 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 8 की उपधारा (1) और (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 897(अ) जो 21 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) नेशनल बायो डायवर्सिटी अथारिटी, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बायो डायवर्सिटी अथारिटी, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) का॰आ॰ 4049(अ) जो 15 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा संस्थित मामलों, उत्तर प्रदेश राज्य की अधिकारिता में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में वाद से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण या अन्य मामलों का संचालन करने के लिए अधिवक्ता श्री इंद्र भूषण सिंह को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(2) का॰आ॰ 4050(अ) जो 15 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए समस्त पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में अधिकारिता वाले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के प्रयोजनार्थ प्रधान जिला और सत्र न्यायालय, पुदुचेरी को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(3) का॰आ॰ 4219(अ) जो 29 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए सिविल जिला उत्तर बस्तर कनकेर, जगदलपुर के बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) और छत्तीसगढ़ के कोंडा गाँव में अधिकारिता वाले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के प्रयोजनार्थ जगदलपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(4) का॰आ॰ 4220(अ) जो 29 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए समस्त मध्य प्रदेश में अधिकारिता वाले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायाधीश का न्यायालय (स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम), भोपाल को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(5) का॰आ॰ 4246(अ) जो 30 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के प्रयोजनार्थ अधिसूचित विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए जगदलपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार तमक को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।

(6) का॰आ॰ 224(अ) जो 23 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच विहार जिलों में अधिकारिता वाले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के प्रयोनार्थ सिलीगुड़ी के वरिष्ठतम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(7) का॰आ॰ 339(अ) जो 2 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए समस्त कर्नाटक राज्य में अधिकारिता वाले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम,

2008 की धारा 11(1) के प्रयोजनार्थ 49 अपर सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, बेंगलुरू सिटी को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(8) का॰आ॰ 776(अ) जो 8 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विशेष न्यायाधीश के विशेष न्यायालय को असम के गुवाहाटी में अपर जिला और सत्र-न्यायाधीश के न्यायालय-II, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए समस्त असम राज्य में अधिकारिता रखने वाले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(17) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क)(एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, पंचकुला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, पंचकुला का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख)(एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग)(एक) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2005-2006 और 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ)(एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले 5 विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आम बीज गिरी श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2017 जो 14 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 126(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सफेद मुसली श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2017 जो 10 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(20) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2017 जो 21 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 895(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 27 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 799(अ) जो 10 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में से प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 24 सितंबर, 2014 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2486(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल उप-महानिरीक्षक (पशुचिकित्सा) भर्ती नियम, 2017 जो 15 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 246(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत अग्नि शमन सेवा के महानिदेशालय, सिविल रक्षा और होम गार्डर्स, सहायक महानिदेशक, सिविल रक्षा (संचार) भर्ती

नियम, 2017 जो 11 मार्च, 2017 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 74 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चुरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वेस्ट बंगाल लाइवस्टोक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वेस्ट बंगाल लाइवस्टोक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् (केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य पशुचिकित्सा संघों के अध्यक्षों में से एक सदस्य का नामनिर्देशन किए जाने की प्रक्रिया) नियम, 2017 जो 14 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 242 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अनुसूचित जाति उप-योजना-2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की निधियों के प्रभावी उपयोग के बारे में प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, रायबरेली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क)(एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख)(एक) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(39) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेंटर (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेंटर (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 37 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1003 (अ) जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 नवंबर, 2016 की अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 3577(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) इंस्टीट्यूट फार डिफेंस स्टडीस एंड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फार डिफेंस स्टडीस एंड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस ने लोक लेखा समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) ''भारतीय रेल में उपनगरीय रेल सेवाएं'' विषय पर 69वां प्रतिवेदन।

(2) ''भारतीय रेल में वाणिज्यिक प्रचार'' विषय पर 70वां प्रतिवेदन।

(3) ''अंतरिक्ष विभाग द्वारा डीटीएच सेवा के संबंध में सैटेलाइट क्षमता का प्रबंधन'' के बारे में 40वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 71वां प्रतिवेदन।

(4) ''कर्मचारी भविष्य निधि संगठन'' के बारे में 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 72वां प्रतिवेदन।

(5) ''बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा सेवा कर पर परिहार्य व्यय'' के बारे में 48वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 73वां प्रतिवेदन।

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ रत्ना डे (नाग) ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 8वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 48वां प्रतिवेदन।

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 49वां प्रतिवेदन।

(3) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 50वां प्रतिवेदन (माने गए)।

(4) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 51वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

(5) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 52वां प्रतिवेदन।

(6) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 53वां प्रतिवेदन।

(7) लक्ष्यद्वीप संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 54वां प्रतिवेदन।

(8) गृह मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 55वां प्रतिवेदन।

(9) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 56वां प्रतिवेदन।

(10) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 57वां प्रतिवेदन (माने गए)।

(11) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 58वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

8. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित ''सेवा की गुणवत्ता तथा कथित कॉल ड्राप से संबंधित मुद्दे'' विषय पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2016-17) का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के संबंध में 'भारतीय दूरभाष उद्योगों (आईटीआई) का पुनरुत्थान' के बारे में समिति के 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) के संबंध में 'डाक विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन और आधुनिकीकरण' के बारे में समिति के 10वें प्रतिवदेन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) के संबंध में 'डाक विभाग में कारबार विकास तथा विपणन कार्यनीति' के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

11. श्रम संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण

डॉ॰ किरिट सोमैया ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(1) 'अर्बन हाटों की समीक्षा' के बारे में समिति के 9वें प्रतिवेदन (16वें लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में उनके 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में उनके 21वें प्रतिवेदन (16वें लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में उनके 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के 'मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवाएं) के दुरुपयोग से प्रभावित व्यक्ति, उनका उपचार/पुनर्वास तथा स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका' विषय के बारे में 25वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 29वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के कार्यकरण की समीक्षा' विषय के बारे में 31वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

13. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने सीमा सुरक्षा: क्षमता निर्माण और संस्था के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 203वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.11 बजे

14. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग और नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) की मांग संख्या 5 से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 95वें और 98वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(4) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दियाः—

(एक) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'उर्वरकों का संचलन तथा निगरानी प्रणाली' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'स्वायत्त संस्थाओं का कार्यकरण—सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी (सीआईपीईटी)' के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*अपराह्न 1.09 बजे

15. सदस्यों द्वारा निवेदन

(i) श्री पी॰ करुणाकरन और श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल ने विशु पर्व से पहले केरल के मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी के संवितरण की आवश्यकता के संबंध में निवेदन किया।

डॉ॰ ए॰ सम्पत, श्री एम॰बी॰ राजेश, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री पी॰के॰ बिजू, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री इंनोसेंट और श्री एम॰के॰ राघवन सहयोजित हुए।

श्री अनन्त कुमार$ ने भी उत्तर दिया।

अपराह्न 1.14 बजे

(ii) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा ने पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) के सेलुलर जेल में प्रदर्शित लाइट एंड साउंड शो में पंजाब के स्वतंत्रता सेनानियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के संबंध में निवेदन किया।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र सहयोजित हुए।

श्री अनन्त कुमार$ ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.18 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.06 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.06 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा रेलवे लाइनों से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित रोड ओवर ब्रिज एवं रोड अंडर ब्रिज के डिजाइन में सुधार करने हेतु एक समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा यू॰सी॰ इंटरनेट ब्राउजर के कार्यकरण एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभाव की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.15 बजे से अपराह्न 1.18 बजे तक सदस्यों ने अबिलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

$संसदीय कार्य मंत्री।

(3) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के विशेषकर अमरेली जिले में स्थित वन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री प्रहलाद जोशी द्वारा उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ में प्रोग्राम जेनरेटिंग सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के डालमिया नगर में वैगन मरम्मत कारखाना स्थापित करने संबंधी कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा भू-दान आंदोलन के दौरान प्राप्त लैंड पूल में से भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री जनक राम द्वारा बिहार राज्य के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान हेतु सरकार से अनुरोध किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मेरठ को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री मुकेश राजपूत द्वारा देश में रेलवे लाइनों की तोड़-फोड़ किए जाने संबंधी मामलों की जांच कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा रांची-बड़कीचांपी पैसंजर ट्रेन (संख्या 48653/48654) का विस्तार झारखंड के गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री राम प्रसाद सरमा द्वारा असम के तेजपुर को स्मार्टसिटी के रूप में विकसित किए जाने और दिल्ली से यहां के लिए दैनिक विमान सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ उदित राज द्वारा दिल्ली के उत्तर-पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किराडी में समपार संख्या 12-सी पर रोड ओवरब्रिज एवं अंडर पास का निर्माण आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नए विद्युत संयंत्र के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एम॰आई॰ शनवास द्वारा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा घोषित नवीन प्रभारों एवं अर्थदंडों को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री बी॰एन॰ चन्द्रप्पा द्वारा कर्नाटक के टुमकुर जिले में स्थित ओरुकेरे के निकट रेलवे जंक्शन का निर्माण करने हेतु अधिग्रहीत 171.93 एकड़ भूमि को कायम रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री आर॰के॰ भारती मोहन द्वारा तमिलनाडु के मइलादुथरई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे परियोजनाओं के बारे में।

(17) श्री के॰ अशोक कुमार द्वारा अंग प्रत्यारोपण एवं अंगदान हेतु चिकित्सा बीमा एवं मौद्रिक लाभ के बारे में।

(18) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) द्वारा देश के किसानों के कल्याण हेतु नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह द्वारा ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर के संरक्षण हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(20) श्री अरविंद सावंत द्वारा देश भर में उपभोक्ताओं को क्षेत्रीय भाषा के टीवी चैनल उपलब्ध कराए जाने के बारे में।

(21) श्री के॰ राममोहन नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मुलापेट्स और नौपाडा के बीच दलदल पर बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री बी॰ विनोद कुमार बोइनापल्ली द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की सूची में लू को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्रीमती कोथापल्ली गीता द्वारा आंध्र प्रदेश के अराकु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थानों में डिजिटल कक्षाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री पी॰ करुणाकरन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा घोषित न्यूनतम औसत खाताशेष (बेलेंस) में वृद्धि किए जाने के बारे में।

(25) श्री सिराजुद्दीन अजमल द्वारा असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर से संबंधित कार्य के बारे में।

(26) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दिव्यांगों को ई-रिक्शा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2017-18 हेतु केरल के कोल्लम जिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, परिपल्ली को अनुमति पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.07 बजे

17. सरकारी विधेयक—पारित

मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017

लिया गया समय: 2 घंटे 44 मिनट

श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी
3. डॉ॰ के॰ कामराज
4. डॉ॰ रत्ना डे (नाग)
5. श्री लडू किशोर स्वाईं
6. डॉ॰ रविन्द्र बाबू पांडुला
7. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड
8. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
9. श्री पी॰के॰ बिजू
10. डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत
11. श्री जय प्रकाश नारायण यादव

12. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्री असादुद्दीन ओवैसी
15. श्री यशवंत सिंह
16. डॉ॰ मनोज राजोरिया
17. डॉ॰ भगवंत मान
18. श्री बदरूद्दीन अजमल
19. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 से 50 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जगत प्रकाश नड्डा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.52 बजे

18. सरकारी विधेयक—पारित

सांख्यिकीय संग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017

लिया गया समय: 2 घंटे 13 मिनट

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा द्वारा 28 मार्च, 2017 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जुगल किशोर शर्मा
2. श्री थोटा नरसिम्हम

3. डॉ॰ ए॰ संपत
4. श्री जी॰ हरि
5. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
6. श्री विद्युत बरण महतो
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्रीमती अंजू बाला
9. श्री असादुद्दीन ओवैसी
10. श्री थुपस्तान छेवांग
11. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 और 6 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.07 बजे

(लोक सभा बुधवार, 12 अप्रैल, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

GMGIPMRND—471LS(S3)—11-04-2017.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 12 अप्रैल, 2017/22 चैत्र, 1939 (शक)

संख्या 226

*पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सदस्यों द्वारा निवेदन

प्रो॰ सौगत राय और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के विरुद्ध पश्चिम बंगाल के एक राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा कथित अभद्र टिप्पणी के संबंध में निवेदन किया।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव, श्री कौशलेन्द्र कुमार और श्री पी॰ करूणाकरन सहयोजित हुए।

श्री अनन्त कुमार# ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 541—546 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 547—600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 6211—6440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

*पूर्वाह्न 11.02 बजे से पूर्वाह्न 11.08 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#संसदीय कार्य मंत्री।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध कार्यान्वयन नियम, 2016 जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 672(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) वर्ष 2016 के लिए कैलेन्डर वर्ष में सामान्य पूल रिहायशी आवास के प्रत्येक टाइप में आने वाली पांच प्रतिशत रिक्तियों के लिए दिनांक 17.11.1997 के मार्गनिर्देशों के अनुसार सामान्य पूल रिहायशी आवास से किए गए बिना बारी वैवेकिक आबंटन के बारे में वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 298(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) स्कीम, 2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 299(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(3) कर्मचारी पेंशन (सातवां संशोधन) स्कीम, 2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 300(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(4) कर्मचारी निक्षेप संबद्ध बीमा (दूसरा संशोधन) संशोधन स्कीम, 2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 301(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(7) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 की धारा 32 की उपधारा (3) के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का पहला परिनियम (तीसरा संशोधन), परिनियम 2017 जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 310(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(8) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 58 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 753(अ) जो 6 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आधार को प्रधान मंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत प्रसुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बनाया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(9) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

(10) (एक) ईईपीसी इंडिया (भूतपूर्व इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईईपीसी इंडिया (भूतपूर्व इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नेशनल कल्चर फंड के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कल्चर फंड के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम्स) के मानक विनियम, 2017 जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 21-5/2016-बीएंडसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संबंध (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 21-4/2016-बीएंडसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(15) (एक) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) संशोधन नियम, 2017 जो 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 282(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2017 जो 5 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 332(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 जो 15 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 248(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(33) उपर्युक्त (32) की मद सं॰ (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कोलकाता का वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) अधिसूचना सं॰ सीयूके/एडीएम/कोर्ट-II/2016 जो 30 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम सं॰ 10 का संशोधन किया गया है।

(दो) अधिसूचना सं॰ सीयूके/रेग./अध्यादेश/सीयूके/2017 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक 1 से 4 के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना सं॰ 20-53/2016-सीयू-III/2016 जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक 1 से 55 के बारे में है।

(चार) अधिसूचना सं॰ कश्मीर के॰वि॰/एडमिन./एफ सं॰ 385/14/3488 जो 29 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक 10 से 11 के बारे में है।

(पाँच) अधिसूचना सं॰ 2-4/2009-एडमिन./7555 जो 27 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्यांक 3, 8 और 10 के बारे में है।

(45) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (दक्षिण क्षेत्र), चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कार्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कार्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

कि राज्य सभा 10 अप्रैल, 2017 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 मार्च, 2017 को पारित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2017 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. सभा की बैठक से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

(1) श्री विनोद खन्ना	31.1.2017 से 9.02.2017 तथा 9.03.2017 से 12.04.2017
(2) श्री रायपति सम्बासिवा राव	9.03.2017 से 30.03.2017

7. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस ने '19वां राष्ट्रमंडल खेल 2010' की विषय पर लोक लेखा समिति (2016-17) का 74वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने वर्तमान सत्र के दौरान आयोजित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 29वीं से 33वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी ने संचार मंत्रालय (दूर संचार विभाग) से संबंधित 'भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2016-17) का 11वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण

डॉ॰ शशि थरूर ने वर्ष 2015-16 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 10वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दिलीप मनसुखलाल गांधी ने 'संपदा महानिदेशालय का कार्यकरण, सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी द्वारा सरकारी आवासीय भवनों तथा अन्य भवनों का विनिर्माण तथा अनुरक्षण' विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2016-2017) का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.09 बजे

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विदेश मंत्री की ओर से निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:—

(एक) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पटल पर रखा।

(3) नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित भारत में विमानपत्तनों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में समिति के 230वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 237वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पटल पर रखा।

(4) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) पटल पर रखा—

(1) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 265वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16)के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 273वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.10 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई:—

(1) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा संथाल परगना के आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने के बारे में।

(2) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा सूरत और मुम्बई के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा द्वारा मुम्बई हाई में बी–157 में ओएनजीसी द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने तथा मछुआरों को उनकी क्षति के लिए मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री लखन लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिल्हा रेलवे स्टेशन पर जन शताब्दी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12069/70) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री मनसुखभाई धनजीभाई बसावा द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची की समीक्षा किए जाने तथा निर्धारित मानदंड को पूरा नहीं करने वाली अपात्र जनजातियों को इस सूची से हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम के डिब्रूगढ़ में कौशल विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड के चतरा में नया संयंत्र स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा खाद्य की बर्बादी कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ मनोज राजोरिया द्वारा राजस्थान के सरिस्का, रणथम्भौर और मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व से विस्थापित हुए परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज की धनराशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर द्वारा गोवा में पर्याप्त संख्या में मोबाइल टावर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

(13) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड के रांची में एक पृथक रेलवे जोन मुख्यालय तथा आईआरसीटीसी का कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा न्यायालयों द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों से निपटने हेतु एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) कुमारी सुष्मिता देव द्वारा असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीका को अद्यतन करते समय वास्तविक नागरिकों की कथित प्रताड़ना के बारे में।

(16) श्री डी॰के॰ सुरेश द्वारा कर्नाटक के कनकपुरा और चन्नापटना में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री और निर्यात को रोकने के लिए एक व्यापक कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री के॰ परसुरमन द्वारा तमिलनाडु के तंजावुर जिले में सेनगिपट्टी में एम्स स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री एम॰ उदयकुमार द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 209 के उन्नयन के बारे में।

(20) श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह द्वारा ओडिशा में चार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए शेष धनराशि निर्गत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(21) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा महाराष्ट्र में अनुमोदित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की सूची तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री जैदेव गल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश में मिर्च उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।

(23) श्री एम॰बी॰ राजेश द्वारा केरल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.11 बजे

14. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सोलहवीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 12.21 बजे

15. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.22 बजे

(लोक सभा अपराह्न 12.22 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र
महासचिव

दिनांक 10.04.2017 के समाचार भाग-एक संख्या 224

का शुद्धिपत्र

पृष्ठ सं०	**पंक्ति**	**के स्थान पर**	**पढ़ा जाए**
33	1–2	#पक्ष में: 345; #विपक्ष में: 4;	#पक्ष में: 361; #विपक्ष में: 2;
33	5–6	#पक्ष में: 352; #विपक्ष में: 1;	#पक्ष में: 360; #विपक्ष में: 1;
33	10	#पक्ष में: 56; #विपक्ष में: 276; अनुपस्थित 04	#पक्ष में: 56; #विपक्ष में: 281; अनुपस्थित 04
33	11–12	#पक्ष में: 312; #विपक्ष में: 5;	#पक्ष में: 333; #विपक्ष में: 1;
33	16	#पक्ष में: 64; #विपक्ष में: 288;	#पक्ष में: 63; #विपक्ष में: 305;
33	18	#पक्ष में: 74; #विपक्ष में: 275;	#पक्ष में: 79; #विपक्ष में: 285;
33	19–20	#पक्ष में: 320; #विपक्ष में: 28;	#पक्ष में: 338; #विपक्ष में: 26;
34	3	#पक्ष में: 360; #विपक्ष में: 2;	#पक्ष में: 365; #विपक्ष में: 1;

पृष्ठ सं० 33 में पंक्ति सं० 23 **के पश्चात्**;—

''खंड 1, यथासंशोधित को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ: #पक्ष में: 370; #विपक्ष में: 2;'' **जोड़ा जाए।**

GMGIPMRND—509LS(S3)—12-04-2017.